खण्ड-233, अंक-8
बुधवार, 14 भाद्रपद, शक संवत् 1884
(5 सितम्बर, 1962 ई0)

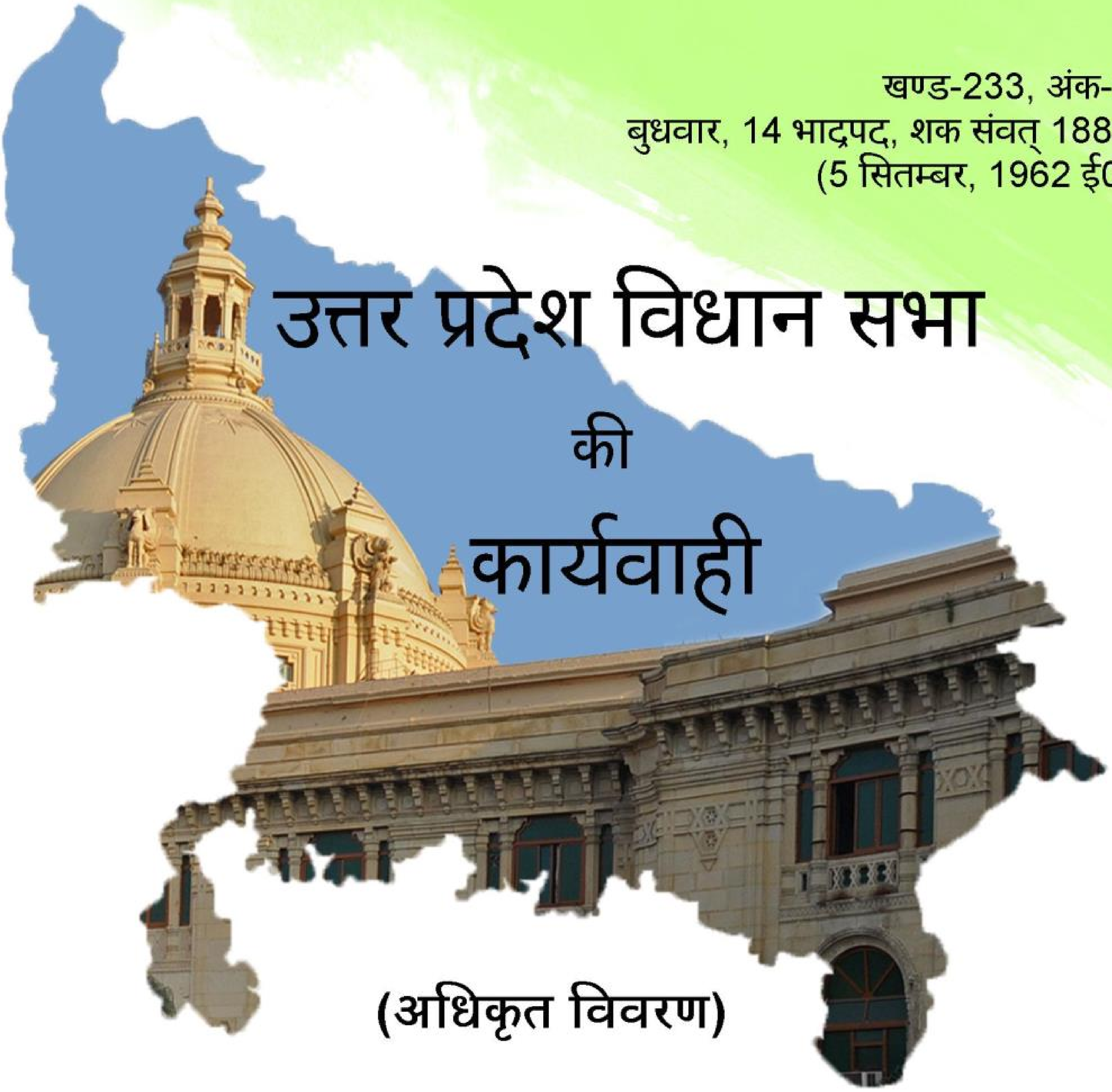

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 233 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	९४५–९४९
प्रश्नोत्तर	९४९–९८८
कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी	९८८–९८९
ऋण वितरण नियमावली (उपस्थापित की गयी)	९८९
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	९८९–९९१
श्री काशीनाथ मिश्र, सोशलिस्ट पार्टी सदस्य के निलम्बन काल को समाप्त करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	९९१–९९२
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ (विचार जारी)	९९२–१०३९
नस्थियां	१०४०–१०५८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ५ सितम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के १० बजकर ३० मिनट पर अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३६७

अक्षैवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंवईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णा, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह त्रिष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जिया उर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट राम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज़ हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री

फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री

राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामशंकर रस्तोगी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकराजसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगन चन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री

मन्तसिंह यूसुफ, श्री
महदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा लघु उद्योग उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ५ सितम्बर, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

कानपुर व आगरे की फर्मों पर बिक्री-कर का बकाया

*१—श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर व आगरा की किस-किस फर्म के ऊपर Sales Tax का १९५८ से १९६१ तक ५,००० रु० या उससे ऊपर बकाया है ?

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—वांछित सूचना संलग्न‡ सूची में दी हुई है।

*२—श्री छत्रपति अम्बेश (अनुपस्थित)—उसकी वसूली के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई और उसमें कितनी सफलता मिली ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उपर्युक्त बकाये की कुल धनराशि १,१२,०८,५६३.५० न० पै० है, जिसमें से १,९५,११०.८५ न० पै० की वसूली हाई कोर्ट द्वारा ४,३६,२५०.९७ न० पै० जज (रिवीजन) द्वारा तथा ७३,६५७.७१ न० पै० बिक्री कर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अन्तर्गत रुकी हुई है। ५,४७,९९९.१५ न० पै० की राशि की अदायगी के हेतु सरकार द्वारा, १८,११,२१४.८४ न० पै० जिला राजस्व अधिकारियों द्वारा तथा २५,३३६.६४ न० पै० विभागीय अधिकारियों द्वारा किस्तें बांध दी गई हैं। शेष रकम के सम्बन्ध में Recovery Certificates जारी करने के उपरान्त उसकी वसूली का यथासम्भव प्रयास किया जा रहा है।

---

‡छापी नहीं गई।

फतेहपुर जिले में कोआपरेटिव सुपरवाइजरों की मुअत्तली

*३—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में दिसम्बर, १९५८ से अब तक कितने कोआपरेटिव सुपरवाइजर्स को मुअत्तल किया गया या निकाला गया ? क्या सरकार उस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें बताने की कृपा करेगी—

(क) उनके निष्कासन या मुअत्तल करने के क्या कारण हैं,

(ख) उनके 'सस्पैन्शन पीरियड' का सबसिस्टेन्स एलाउन्स दिया गया अथवा नहीं,

(ग) उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई तथा हो रही है?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—१९ सुपरवाइजर मुअत्तल किये गये हैं। वांछित सूचना‡ संलग्न विवरण में दी गई है।

सहकारी भट्ठा रुद्रवार का आय-व्यय

*४—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के अन्तर्गत सहकारी संघ रुद्रवार, सिकन्दरपुर तथा शेषपुर में संघ के तरफ से कितने दिनों से ईंट के भट्ठे चल रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सहकारी संघ रुद्रवार वर्ष १९५४-५५ से भट्ठा चला रहा है। सिकन्दरपुर और शेषपुर सहकारी संघों ने कोई भट्ठा नहीं चलाया।

*५—श्री जगन्नाथ चौधरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार उक्त ईंट के भट्ठों की प्रति वर्ष की अलग-अलग आमदनी तथा खर्च बताने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सहकारी भट्ठा रुद्रवार का प्रत्येक वर्ष का आय-व्यय विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०४० पर)

इटावा जिला स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध आरोपों की जांच

*६—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इटावा जिले की विधूना क्षेत्रीय विकास समिति ने दिनांक १३ मार्च, १९६२ के प्रस्ताव संख्या १० में जिले के स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध आरोप लगाते हुये सर्वसम्मति से जांच की मांग की थी ? यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—जी हां, परन्तु विकास समिति ने इस प्रस्ताव की प्रति स्वास्थ्य सेवा निदेशक को नहीं भेजी थी। इस प्रश्न के प्राप्त होने पर इस प्रस्ताव की प्रति मंगायी गई और आवश्यक जांच की गई है। जांच की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

श्री सहदेवसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रस्ताव की प्रति उनके पास आई है, उसमें क्या आरोप लगाये गये हैं ?

श्री धर्मसिंह—आरोप तो विशेष रूप से यही हैं कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ आफिसर ने जो उनसे शिकायत की गई मिडवाइफ की, कोई परवाह जांच इत्यादि के लिये नहीं की।

---

‡ छापी नहीं गई।

श्री सहदेवसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह भी शिकायत सही है कि नार्मल स्कूल के लिये जो ट्रेनीज चुने गए हैं, उनसे हर एक से ५ रुपये रिश्वत ली गई है ?

श्री धर्मसिंह—इस प्रकार की शिकायत १९६१ में आई थी जो कि बाद में जांच होने पर बेसलैस पाई गई थी। उसमें कोई तथ्य नहीं था।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नार्मल स्कूल के विद्यार्थियों से घूस लेने की शिकायत थी, उसकी जांच किससे कराई गई थी और क्या शिकायत करने वालों से पूछ-ताछ की गई थी ?

श्री धर्मसिंह—यह जांच का काम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सौंपा गया था और उनके किसी अधिकारी ने जांच की थी।

सहकारी बीज भण्डार

*७—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने सहकारी बीज भंडार हैं और ३० जून, १९६१ को बीज में सूखन, पई, घुन, चूहा आदि से होने वाली कमी का कितने बीज भण्डारों पर कितना रुपया कर्मचारियों से वसूल करना बाकी था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कुल १,६०० सहकारी बीज भंडार हैं। ३० जून, १९६१ को १२३४ बीज भंडारों में कमी का ४,९०,८७१ रु० ८३ नये पैसे कर्मचारियों से वसूल करना बाकी था।

फर्रुखाबाद जिले में सहकारी भट्ठों का बन्द होना

*८—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सहकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ५ साल के अन्दर फर्रुखाबाद जिले में कितने ईंट के सहकारी भट्ठे बन्द कर दिये गये हैं ? क्या वे उन कारणों और परिस्थितियों पर भी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि जिनके कारण वे भट्ठे बन्द हुये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—१५ सहकारी ईंट के भट्ठे बन्द कर दिये गये हैं।

कुछ संघों की आर्थिक स्थिति खराब होने तथा हानि होने के कारण, कुछ में गबन होने के कारण, कुछ में ईंटों की खपत न होने के कारण, कुछ की निगरानी ठीक न होने के कारण तथा कुछ में कोयला की कमी के कारण उक्त भट्ठे बन्द कर देने पड़े।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न संख्या ८, माननीय सहकारता मंत्री—

(माननीय सहकारिता मंत्री उस समय अनुपस्थित थे)

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, यह कन्टेम्ट आफ हाउस है कि जिन मंत्री को प्रश्न का उत्तर देना है वे मौजूद नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—सदन के सदस्यों से आशा की जाती है कि वे समय पर उपस्थित रहें। यह सदन का अपमान है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—मंत्री लोगों की तादाद कम है, कुछ और बढ़ोत्तरी हो जाय तो शायद ऐसा न हो !

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, भविष्य में इस बात का खयाल रखा जायगा कि ऐसी गलती न हो।

श्री अध्यक्ष—यह सदन का अपमान है कि कोई मंत्री अपने प्रश्न का उत्तर देने के समय मौजूद न हो। यह सारे प्रश्न सहकारिता मंत्री के हैं, प्रश्न संख्या ८ से १२ तक।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ?

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—जो प्रश्न अभी उठाया गया यह आज लिया जायगा या नहीं ? आप कुछ ऐसा आदेश देंगे कि मंत्रीगण सदन में समय से उपस्थित हों जिससे इस प्रकार की घटना फिर कभी न हो ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं मेरा यह आदेश कि यह सदन १०.३० बजे से बैठेगा, सब को ही मालूम है । यह गलत चीज है । वह आ जायें तो मैं उनसे पूछूंगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—जो प्रश्न श्री चन्द्रजीत जी ने उठाया है उस पर क्या विचार किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न में सहकारिता मंत्री महोदय से पूंछ लूं तो इस का उत्तर दूं ।

श्री सूबेदारसिंह—वह कौन-कौन से भट्ठे हैं जो गबन होने के कारण बन्द कर दिये गये, यह माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आपको जो फेहरिस्त दी गयी है उसी में हर एक का कारण लिखा हुआ है, अब जो गबन के हैं वह भी दिये हुये हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने भट्ठे में कितने रुपये का गबन हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गबन तो अलग-अलग है । एक तो सहकारी भट्ठा जो कमालगंज में था उसमें हुआ । इस समय उसकी रकम की सूचना मेरे पास नहीं है । इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय मंत्री जी तैयार हो कर नहीं आये हैं, इसलिये इस को स्थगित कर दीजिये, अध्यक्ष महोदय । मैंने पूछा कि किन-किन भट्टों में गबन हुआ, उसका उत्तर ही नहीं है उनके पास ।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा है कि उसके लिये सूचना चाहिये ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—अभी मंत्री जी ने कहा कि गबन की रकम मेरे पास नहीं है, तो वह किसके पास है, क्या वह बताने की कृपा करेंगे ? (हंसी)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि जिन भट्ठों में गबन है उसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उन पर मुकदमा चलाया जायेगा और नियमानुसार यदि कुछ वसूल किया जा सकता है तो वह वसूल भी किया जायेगा ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद में सहकारी समिति स्वयं उस भट्ठे को चलाती थी या किसी ठेकेदार को दे रखा था ? यदि ठेकेदार द्वारा चलाया जाता था तो वह कौन सा ठेकेदार है जिसने गबन किया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह भट्ठे अलग-अलग सहकारी समितियों द्वारा चलाये जाते हैं । डी० सी० डी० एफ० और लार्ज साइज सोसाइटियां उसको चलाती हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—यह भट्ठे ५ साल से अधिक समय से बन्द पड़े हैं । तो सरकार ने इन्हें चलाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वे कुछ कारणों से ही बन्द किये गये थे । अगर वह चलाने लायक होते तो उनको बन्द ही क्यों किया जाता ?

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधिकांश भट्ठे डी० सी० डी० एफ० के ही थे जिनमें गबन हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---वह तो एक ही था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर जो भट्ठे बन्द हो गये, वहां पर ईंट देने के लिये सरकार की ओर से क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह तो रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, मगर वहां प्राइवेट भट्ठे भी चलते होंगे ।

श्री सूबेदारसिंह---वह कौन-कौन से लोग हैं जिन्होंने गबन किया है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---लोगों की सूची के लिये नोटिस की जरूरत है ।

गोरखपुर डी० सी० डी० एफ० का चुनाव न होना

*९---श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गोरखपुर D. C. D. F. का चुनाव गत कितने वर्षों से नहीं हुआ है और क्यों ? क्या कई बार स्थानीय व्यक्तियों द्वारा जिलाधीशों से उक्त चुनाव के संपन्न कराने की मांग की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---गत दो वर्षों (१९५९-६० व १९६०-६१) से नहीं हुआ है । कारण यह था कि फेडरेशन का संचालक मंडल ९-१-६० से २२-४-६१ तक निलम्बित रहा ।

इसकी कोई सूचना सरकार को नहीं है कि चुनाव कराने के लिये जिलाधीश से मांग की गई है ।

फूलपुर लार्ज स्केल सहकारी संघ का कार्य-संचालन

*१०---श्री ऊदल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फूलपुर लार्ज स्केल सहकारी संघ, वाराणसी के बोर्ड आफ डाइरेक्टर को मार्च, १९६२ में भंग कर दिया गया था और एक कार्यकारी, ५ व्यक्तियों का, बोर्ड बना दिया गया था जिसका कार्यकाल ३० अप्रैल, १९६२ तक था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां ।

*११---श्री ऊदल---क्या सरकार को पता है कि तारीख २९ अप्रैल, १९६२ को बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के चुनाव के लिये जलसा आम बुलाया गया था जिसकी कार्यवाही भूतपूर्व अध्यक्ष सहकारी संघ फूलपुर की अध्यक्षता में शुरू की गयी थी, जिसकी कार्यवाही को बिना अशान्ति के उन्होंने कार्यवाही रजिस्टर पर लिख कर स्थगित कर दिया और दुबारा आम सदस्यों के कहने पर शुरू किया और थोड़ी देर कार्यवाही चलने के बाद कार्यवाही को रजिस्टर से काट कर चले गये और आम सदस्यों की राय नहीं ली ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां । लेकिन यह सत्य नहीं है कि बिना अशान्ति के कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी ।

*१२---श्री ऊदल---क्या सरकार को पता है कि श्री देवमूर्ति शर्मा के चले जाने के बाद जलसा आम ने दूसरा सभापति चुनकर बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स तथा और कई जगह के लिये प्रतिनिधियों का चुनाव उसी दिन कर के ए० आर० कोआपरेटिव, वाराणसी को कार्यवाही की प्रतिलिपियां तारीख ३० अप्रैल या मई के प्रथम सप्ताह में दी हैं ? यदि हां, तो इस लार्ज स्केल सहकारी संघ का कार्य कैसे हो रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां । समिति के जलसा आम दिनांक २९ अप्रैल, १९६२ के प्रथम अध्यक्ष श्री देवमूर्ति द्वारा मीटिंग स्थगित करने के बाद दूसरे अध्यक्ष की अध्यक्षता में की गई। जलसा आम की कार्यवाही अवैधानिक घोषित कर दी गई है और वही कमेटी जो समिति के कार्य-संचालन हेतु बनाई गई थी, कार्य कर रही है ।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कार्य संचालन कमेटी जो ३० अप्रैल, सन् १९६२ तक थी उसे अब किस अधिकार से कार्य करने दिया जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---चूंकि दूसरी कमेटी नहीं बनी है, पहली एड-हाक अरेंजमेंट में काम कर रही है ।

श्री ऊदल---जब उस सहकारी संघ में कोई संचालक मंडल नहीं है तो क्या सरकार विचार करेगी कि वहां आम जलसा बुलाकर चुनाव करा दिया जाय और संचालक मंडल स्थापित कर दिया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---हम कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव हो जाय और सही संचालक मंडल बनकर काम चलने लगे ।

श्री ऊदल---उस जलसे में मैं स्वयं मौजूद था और किसी प्रकार की अशान्ति नहीं हुई। तो क्या मंत्री जी जांच करावेंगे फिर से कि अशान्ति की रिपोर्ट गलत है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---मैं यह तो नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य ठीक नहीं कह रहे हैं । लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें यह है कि मीटिंग में काफी शोरगुल मचा और हंगामा हुआ । अध्यक्ष महोदय उसे छोड़कर चले गये । फिर लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया कि कोई अशान्ति नहीं होगी, फिर मीटिंग शुरू ही हुई थी कि शोर हुआ और मीटिंग नहीं हो सकी । कुछ लोग चले गये और कुछ ने मीटिंग की ।

बलिया जिले में हरिजन स्कूलों के अध्यापकों को वेतन मिलने में विलम्ब

*१३---श्री रघुनाथ (जिला बलिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में कितने हरिजन स्कूल चल रहे हैं तथा क्या उक्त हरिजन स्कूलों के कर्मचारियों का वेतन प्रति माह नियमित रूप से अदा किया जाता है ? यदि नहीं, तो इसका क्या-क्या कारण है ?

समाज कल्याण उपमंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)---बलिया जिले में ६ हरिजन स्कूल चल रहे हैं । इनमें से अनावर्तक अनुदान पाने वाले तीन स्कूलों के अध्यापकों को व्यवस्थापकों द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को समय से बिल न भेजने के कारण मार्च, १९६२ के बाद से वेतन नहीं मिल पाया ।

श्री रघुनाथ---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन स्कूल हैं जिनके व्यवस्थापकों ने अभी बिल नहीं भेजा है कार्यालय में ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)---वहां के जो प्रबन्ध करने वाले हैं उनकी यह भूल है कि वह समय पर अपना हिसाब नहीं भेज सके ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---अध्यापकों का वेतन कब तक उनको मिल जायगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---बहुत शीघ्र ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---इन स्कूलों को वार्षिक अनुदान सरकार की ओर से कितना दिया जाता है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---जैसा कि माननीय रघुनाथ जी ने पूछा था, वह कौन-कौन से स्कूल हैं जिनके व्यवस्थापकों ने समय से वेतन नहीं दिया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---यह जिस विद्यालय के ऊपर है प्रश्न, उसी की सूचना मेरे पास है ।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)---क्या यह सही है कि स्कूलों के व्यवस्थापक समय से स्टेटमेंट भेज देते हैं, लेकिन ऊपर डायरेक्टर के यहां वह रोक लिये जाते हैं, तो क्या मंत्री जी मशीनरी को ठीक करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---ऐसी कोई शिकायत तो नहीं आयी कि व्यवस्थापकों ने समय पर हिसाब भेज दिया पर उनको समय पर रुपया नहीं मिल पाया ।

(इस समय सहकारिता मन्त्री श्री चतुर्भुज शर्मा सदन में आये ।)

श्री अध्यक्ष---माननीय सहकारिता मंत्री, मैंने जब प्रश्न संख्या ८ से १२ तक का उत्तर देने के लिये आपको पुकारा तो आप उपस्थित नहीं थे । मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है ।

श्री चतुर्भुज शर्मा---मुझे इसका बहुत खेद है । मैं इसके लिये क्षमा चाहता हूं । एक तो मुझे घंटी नहीं सुनाई दी और मुझे थोड़ा सा भ्रम था समय के बारे में, इस कारण से मैं नहीं आ सका । मैं दफ्तर में था, लेकिन घंटी नहीं सुनाई दी ।

भदोही तहसील में परिगणित जातीय छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलना

*१४---श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)---क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि वाराणसी जिले की भदोही तहसील में प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाले परिगणित जातीय छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---जी हाँ ।

*१५---श्री हरिगैनराम---क्या समाज कल्याण मंत्री जी को ज्ञात है कि भदोही तहसील जब काशी राज्य के अन्तर्गत थी तो क्या उस समय प्रा० व जूनियर हाई स्कूल के परिगणित छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती थी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---जी हाँ ।

श्री हरिगैनराम---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बनारस स्टेट विलीन होने के बाद चकिया तहसील में तो परिगणित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है और पुस्तकीय सहायता भी दी जाती है लेकिन भदोही तहसील में नहीं दी जाती जबकि दोनों एक ही स्टेट के अंग थे ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---भदोही में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड दोनों लागू हैं । किसी की भी माँग न सरकार के पास आई है और न विद्यालय निरीक्षक के पास आई है ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---माननीय सदस्य के प्रश्न को सूचना मानकर उन छात्रों को छात्रवृत्ति देने पर आप विचार करेंगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---अगर वहाँ से माँग आवेगी तो छात्रवृत्ति अवश्य दी जा सकती है ।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि काशी राज्य जब प्रदेश में विलीन हुआ उससे पहले वहाँ जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा मुफ्त दी जाती थी और हरिजन बच्चों को छात्रवृत्ति अलग से दी जाती थी, तो मर्जर के बाद सरकार ने इस निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति की बात को क्यों नहीं माना जब और सब बातों को माना ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---इसकी पूछताछ चल रही है ।

बदायूं जिला सहकारी विकास संघ में गबन

*१६---श्री कुंवर रुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बदायूं जिला सहकारी विकास संघ में कितने रुपये का गबन हुआ है और इसके विषय में क्या हो रहा है ?

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह)---सूचना संलग्न सूची में दी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०४१ पर)

*१७---कुंवर रुकुमसिंह राठौर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व आनरेरी मंत्री जिला सहकारी विकास संघ बदायूं ने उक्त संघ का क्या पूरा-पूरा चार्ज मौजूदा आनरेरी मंत्री को दे दिया है ?

श्री चन्द्रसिंह---जी नहीं ।

*१८---कुंवर रुकुमसिंह राठौर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सहकारी सोसाइटी के कितने सुपरवाइजर मुअत्तल हैं और वे क्यों ?

श्री चन्द्रसिंह---बदायूं जिले में ११ सहकारी सुपरवाइजर मुअत्तल हैं। १० सुपरवाइजर गबन करने तथा १ जाल व गबन करने के आरोप में मुअत्तल हुये हैं ।

कुंवर रुकुमसिंह राठौर---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह मंत्री २ वर्ष पूर्व हटा दिये गये थे, उनसे पूरा चार्ज क्यों नहीं लिया गया और उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जहाँ तक मैं समझता हूं, आपका मतलब उन मंत्री से है जिनके कार्यकाल में गबन हुआ, तो उस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरे पास रिपोर्ट है, माननीय रुकुम सिंह जी वाइस-चेयरमैन थे । अब वह पहले मंत्री नहीं रहे हैं ।

कुंवर रुकुमसिंह राठौर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस समय से अब तक उनसे चार्ज क्यों नहीं लिया गया जबकि जिला मैजिस्ट्रेट पहले भी प्रेसीडेंट थे और अब भी हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---उनसे चार्ज लेने की बराबर कोशिश की जा रही है । पहले कुछ चार्ज उन्होंने दिया, कुछ कागजात वगैरह वह ले गये थे । उनको समझाया जा रहा है और अगर नहीं देते हैं तो कानूनी कार्यवाही की जायगी ।

आजमगढ़ जिले में चेचक

*१९---श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में चेचक का प्रकोप बहुत बढ़ा हुआ है तथा अनेक लोगों की इससे मृत्यु के भी समाचार प्राप्त हुये हैं ? यदि हाँ, तो सरकार उसकी रोकथाम की क्या व्यवस्था कर रही है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—आजमगढ़ जिले में इस वर्ष चेचक का प्रकोप रहा और ११ अगस्त, १९६२ तक इस रोग से २,८६० व्यक्ति ग्रसित हुये तथा १,२३८ मरे । बीमारी का प्रकोप इस समय बहुत कम है, बीमारी की रोकथाम के लिये आवश्यक प्रबन्ध किया गया और विस्तृत रूप में जिले भर में चेचक के टीके लगाये गये और यह कार्य अब भी जारी है । इस वर्ष ९०,२८० चेचक के टीके जिले में लगाये गये जिसके परिणामस्वरूप रोग को शीघ्र ही काबू में पा लिया गया । इस समय बीमारी का कोई प्रकोप नहीं है ।

कैलाश होस्टल, आजमगढ़ में झगड़ा

*२०—**श्री छांगुर**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनाँक ५ अप्रैल, १९६२ को आजमगढ़ शहर में श्री कैलाश नामक होस्टल में खाना खाने के प्रश्न पर छूआछूत के मसले को लेकर हरिजन छात्रों के साथ मारपीट तथा अपमान की कोई सूचना थाना कोतवाली में दी गई है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी हाँ । परन्तु वास्तव में झगड़ा रुपये पैसे के लेन-देन पर हुआ था छूआछूत के प्रश्न पर नहीं । दोनों पक्षों को समझा बुझा कर वापस कर दिया गया ।

श्री छांगुर—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि दिनाँक ५ अप्रैल को यह छात्रों का झगड़ा हुआ था और उसकी रिपोर्ट थाने कोतवाली में की गयी लेकिन थाने में सही रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और धारा ३२३ के अन्तर्गत दर्ज की गयी । उसके बाद भी कोई जाँच नहीं हुई । तारीख १२ को छात्र जिलाधीश और पुलिस अधिकारी आदि से मिल, तो म यह जानना चाहता हूं कि फिर किस अधिकारी के द्वारा जाँच करायी गयी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—दिनाँक ५ अप्रैल, १९६२ को कैलाश होस्टल आजमगढ़ में मारपीट की सूचना वादी-प्रतिवादी दोनों द्वारा दी गयी और दोनों की साथ-साथ रिपोर्ट लिखी गयी । थाना कोतवाली ने उसकी जाँच में यह पाया कि झगड़ा छूआछूत के प्रश्न को लेकर नहीं बल्कि रुपये पैसे के लेन-देन पर हुआ था, इसलिये रिपोर्ट अस्पृश्यता अधिनियम के अन्तर्गत नहीं दर्ज की गयी । दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि थाना कोतवाली में छात्रों की सही सही रिपोर्ट नहीं लिखी गयी बल्कि धारा ३२३ के अन्तर्गत दर्ज की गयी जब कि वह अस्पृश्यता अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज होनी चाहिये थी ? इस विषय में श्री झारखंडे राय और श्री छांगुर, एम० एल० ए०, जिलाधीश से मिले थे और उनसे यह कहा था कि कोतवाली म क्योंकि रिपोर्ट ठीक से दर्ज नहीं की गयी है इसलिये जाँच किसी दूसरे अधिकारी से करायी जाय, तो इस संबंध में जिलाधीश द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है कि पुलिस में गलत रिपोर्ट दर्ज की गयी ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी इस मामले की गंभीरता को देखते हुये और विशेषकर इस बात को देखते हुये कि इस संबंध में मैं स्वयं और छांगुरराम जी जिलाधीश से मिले थे और उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन दिया था कि वे इसके बारे में जाँच करायेंगे, तो क्या माननीय मंत्री जी हमारी बात को सूचना मान कर इस बारे म जाँच करायेंगे ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगी कि वे कृपया लिख कर दे दें तो मैं अवश्य उस संबंध में जाँच कराऊंगी ।

सहारनपुर जिले में हरिजनों को गृह निर्माणार्थ अनुदान

*२१—श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक जिला सहारनपुर में केन्द्रीय अथवा प्रदेशीय अनुदानों से हरिजनों को खम्भा मकान बनाने के लिये सन् १९५७ से इस वर्ष तक किस वर्ष में कितने अनुदान दिये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०४२ पर)

*२२—श्री रामसिंह (अनुपस्थित)—क्या उपरोक्त दिये गये अनुदानों वाले सभी व्यक्तियों ने वह पैसा मकान बनाने के ऊपर लगाया है या अन्य किसी मद में ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—अब तक जिन व्यक्तियों ने यह धन खर्च किया है वह सभी मकान बनाने के लिये ही खर्च किया गया है ।

*२३—श्री रामसिंह (अनुपस्थित)—क्या उपरोक्त सभी मकान पूरे हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—कुछ मकान पूरे हो गये हैं और जो पूर्ण नहीं हो पाये हैं, उसका कारण सीमेन्ट तथा ईंटों की कमी है ।

हरिजन कल्याण विभाग, गोरखपुर से अनुदान का वितरण

*२४—श्री कल्पनार्थसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरिजन कल्याण विभाग, गोरखपुर के द्वारा गत पांचवर्षीय योजना की अवधि में कितनी सहायता कूप निर्माण के लिये प्रति वर्ष किस-किस ब्लाक में दी गई ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०४३ पर)

*२५—श्री कल्पनार्थसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि बड़हलगंज ब्लाक जिला गोरखपुर में गत पंचवर्षीय योजना में भवन निर्माण सम्बन्धी कोई सहायता हरिजनों को दी गई है ? यदि हां, तो उन गांवों और व्यक्तियों के नाम प्रति वर्ष क्या हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—केवल १९६०-६१ में श्री मिश्री हरिजन, ग्राम रुदौली, को १५० रु० और श्री शंकर हरिजन, ग्राम कोड़री, को ५०० रु० की धनराशि स्वीकृत की गई ।

*२६—श्री कल्पनार्थसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त ब्लाक में कितने आवेदन-पत्र आये थे जिन्हें अस्वीकृत किया गया ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—केवल उपरोक्त दो ही प्रार्थना पत्र-प्राप्त हुए थे, अतः और प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी जिले में हरिजन कूप निर्माण योजना

*२७—श्री ऋषीनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में कितनी हरिजन बस्तियों में पीने के पानी के कुयें नहीं हैं तथा उनके लिये पीने के पानी की कोई समुचित व्यवस्था करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस योजना का विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---वाराणसी जिले में इस समय ३७४ हरिजन बस्तियों में पीने के पानी के कुएं नहीं हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत अनुदान में से वाराणसी में २५० कुएं बनाने की योजना है। इसके अतिरिक्त अन्तरिम जिला परिषद् एवं क्षेत्रीय विकास खण्डों को स्वीकृत अनुदानों से भी हरिजन बस्तियों में कुएं बनाने की प्राथमिकता दी जायेगी। ऐसा विचार किया जाता है कि सन् १९६३-६४ तक प्रायः सभी ऐसी बस्तियों में कुएं बन जायेंगे।

श्री रामायणराय---जिन हरिजन बस्तियों में कुएं नहीं हैं उनके बारे में क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वे लोग वहाँ पानी कैसे पीते हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---इसके लिये आप यदि मुझे सूचना देंगे तो जांच करा कर उत्तर दे सकूंगी।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन हरिजन बस्तियों में इसलिये भी कुएं ठीक समय से नहीं बन पाते हैं कि उनको कुंआ प्रारम्भ करने के बाद अनुदान दिया जाता है, तो क्या इसके बजाय सरकार स्वयं सरकारी एजेन्सी के द्वारा हरिजन बस्तियों में कुएं बनवाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---इसके ऊपर विचार किया जा सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या हरिजन कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन हरिजन बस्तियों में इस वक्त पानी पीने के कुएं नहीं हैं और तत्काल वहां कुएं की व्यवस्था नहीं की जा सकती, वहां कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे उन बस्तियों में हैंड पाइप्स द्वारा पानी पहुंचाया जा सके ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---मेरे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, इसलिये इस विषय में इस समय तो मैं कुछ कह नहीं सकती।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि नियम कड़ा होने से रुपया जल्दी नहीं मिलता है तो जिस वक्त अनुदान का रुपया मंजूर हो उसी वक्त आधा रुपया मिल जाय ताकि काम जल्दी शुरू कर दिया जाय ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---इसके विषय में भी अगर माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे तो विचार किया जा सकता है।

इंटियाथोक बिजैगढ़वा ग्राम के सहकारी बैंक के सुपरवाइजर के विरुद्ध शिकायतें

*२८---श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार को पता है कि इंटियाथोक बिजैगढ़वा ग्राम जिला गोंडा के कुछ अनपढ़ काश्तकारों से सहकारी बैंक के सम्बन्ध में सुपरवाइजर साहेब ने कम रुपया उधार देकर पुरनोट पर अधिक रुपया लिखवा लिया है ?

श्री चन्द्रसिंह---जी नहीं।

*२९---श्री नवरंगसिंह---क्या सरकार को उन सुपरवाइजर के खिलाफ पिछले एक वर्ष के अन्दर इसी प्रकार की और भी कोई शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रसिंह---जी हां। शिकायत तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न सूची में है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०४४-१०४५ पर)

श्री नवरंगसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन शिकायतों की जांच के बारे में जो नीचे लिखा हुआ है कि अनुशासन समिति जब फैसला देगी तो फैजाबाद क्षेत्रीय परिषद् को फैसले के हेतु देंगे, तो इन शिकायतों की जाँच कब शुरू हो रही है और कब तक होगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जैसा कि लिखा हुआ है, इन सब मामलों की जो शिकायतें थीं उनकी जांच सहायक विकास अधिकारी पहले ही कर चुके हैं और कुछ को उन्होंने सही पाया है और कुछ को गलत पाया है। जिन लोगों की शिकायतें जिनके खिलाफ सही पायी गयीं उनके मामले अनुशासन समिति को भेज देंगे। वहां पर कार्यवाही होने के बाद जो उचित कार्यवाही होगी वह की जायगी और यदि पुलिस वगैरह की जरूरत होगी तो वह भी किया जायगा लेकिन पहले अभी अनुशासन समिति में उनके मामले पेश हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सुपरवाइजर के विरुद्ध कौन-कौन सी शिकायतें सरकार के पास आयी हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जैसे एक शिकायत आयी है कि एक साहब ने खजांची को १७५ रु० जमा करने हेतु दिया जिसे उन्होंने तहसील के संरक्षक बुक में जमा नहीं किया। इस पर सहकारी विकास अधिकारी की यह राय है कि यह शिकायत गलत है।

श्री अध्यक्ष--शिकायतें तो उत्तर में दे दी गयी हैं, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो प्रोनोट लिखाया गया और रुपया कम दिया गया उनका हश्र क्या होगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसी तो कोई शिकायत है नहीं। जो ४०० रु० का प्रोनोट बतलाया गया है मालूम हुआ है कि वह सही है और प्रोनोट ठीक लिखाया गया।

जिला कोआपरेटिव बैंक, फतेहपुर के संचालक मण्डल का चुनाव

*३०--श्री रक्षपालसिंह--क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिला सहकारी बैंक के मैनेजिंग डाइरेक्टर, उपाध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी के सदस्यों का चुनाव जो ५ मई, १९६२ को होने वाला था किसके द्वारा किन कारणों से स्थगित किया गया तथा यह चुनाव कब तक किया जायेगा ?

श्री चन्द्रसिंह--५ मई, १९६२ को जो जिला कोआपरेटिव बैंक फतेहपुर के संचालक मंडल की मीटिंग होने वाली थी, उसके स्थगित करने का निर्देश निबन्धक के कार्यालय से उक्त बैंक के अध्यक्ष को भेजा गया था।

इसका कारण यह था कि बैंक के संचालक मन्डल के निर्वाचन व निर्माण के सम्बन्ध में बैंक के सदस्य द्वारा सारी कार्यवाही का दावा निबंधक के यहां सहकारी नियमानुसार दायर किया गया था।

यह मामला नियमानुसार इलाहाबाद के डिप्टी रजिस्ट्रार के विचाराधीन है और उस पर निर्णय होने के बाद बैंक की मीटिंग हो सकेगी।

श्री रक्षपालसिंह--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन से सदस्य थे जिन्होंने यह दावा किया था, क्या वह अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष श्री हर प्रसाद जी थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह मेनेजिंग डायरेक्टर के चुनाव का जो मामला है उस में हर प्रसाद जी कोई हैं, हो सकता है कि वह अध्यक्ष हों, मेरे पास अध्यक्ष नहीं लिखा है, लेकिन हर प्रसाद गुप्ता अध्यक्ष भी हैं फतेहपुर जिला बोर्ड के मेरे पास उन्होंने शिकायत की थी। हो सकता है कि वह अध्यक्ष हों मेरे पास तो खाली हर प्रसाद लिखा है।

श्री रक्षपालसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो आदेश स्थगन का गया था वह किसके दस्तखत से गया था और क्या मंत्री महोदय ने यहां से फोन पर आदेश दे कर यह काम कराया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह बिलकुल गलत है। कार्यवाही तो अफसरान करते हैं। वह आदेश निबंधक महोदय ने दिया होगा।

श्री दयाराम शाक्य---यह जो सालसी कार्यवाही की गई उसमें तात्कालिक स्थगन के लिये कोई प्रार्थना की गई थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

बलिया हरिजन कल्याण विभाग से अनुदान का वितरण

*३१---श्री जगन्नाथ चौधरी (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिला के अन्तर्गत सन् १९५७ ई० से सन् १९६१ ई० तक प्रत्येक ब्लाक में जिला हरिजन कल्याण विभाग द्वारा हरिजनों को मकान बनाने, नये कुयें का निर्माण करने तथा हैंड पम्प लगने के लिये अलग-अलग कितनी सहायता किन-किन व्यक्तियों को दी गयी है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---सूचना संलग्न है।

मैनपुरी जिले में हरिजन कूपों की कमी

*३२---श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी में सन् १९५७ से लगाकर १९६१ ई० तक हरिजनों के पानी पीने के लिये कितने कुओं का निर्माण कराया गया ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---जिला मैनपुरी में १९५७-५८ से १९६१-६२ तक हरिजनों के पीने के पानी के ८० कुओं का निर्माण कराया गया।

*३३---श्री रामसिंह---क्या सरकार जिला मैनपुरी में सर्वे करायेगी कि कितनी हरिजन बस्तियों में अब तक पानी पीने के लिये कूप निर्माण नहीं हुआ है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---सन् १९५८-५९ में नियोजन विभाग द्वारा इस विषय में सर्वे कराया जा चुका है। इसके अनुसार जिला मैनपुरी में ५४ हरिजन बस्तियों में पीने के पानी का कोई प्रबन्ध नहीं था। इसलिये अब एक और सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है।

*३४---श्री रामसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी में अनुदान द्वारा कितनी हरिजन बस्तियां बनाई गईं ? यदि नहीं बनाई गईं, तो उसका क्या कारण है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---सन् १९५७ से १९६१ तक शासकीय अनुदानों द्वारा जिला मैनपुरी में ८ स्थानों में हरिजन बस्तियों का निर्माण कराया गया जिसमें कुल १८६ मकान बने। इसके अतिरिक्त १ स्थान पर २५ मकानों का निर्माण किया जा रहा है।

श्री रामसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिकोहाबाद में जो बस्तियां बनाई गई हैं वे बहुत कम हैं, तो क्या वह और ज्यादा बनाने की बात सोच रही है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---अगर सरकार के पास और बस्तियों की मांगें आयेंगी तो सरकार अवश्य सहायता करने की चेष्टा करेगी।

---

†छापी नहीं गई।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ५४ कुओं का निर्माण होना है वह कब तक पूरा हो जायगा ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—यह ५४ कुएं बन चुके हैं उनके ऊपर जगत बनना बाकी है इसलिये आशा है कि वह बहुत शीघ्र पूरे हो जांयगे ।

श्री सूबेदारसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलवार अलग-अलग हरिजन बस्तियां कितनी हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—मैं तहसीलवार तो इस समय नहीं बता सकूंगी; उस के लिये सूचना की आवश्यकता है ।

बेहटा सहकारी बीज भण्डार के अन्तर्गत बकायेदार

*३५—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली में तहसील डलमऊ के अतर्गत सीड स्टोर तथा सहकारी सोसाइटी बेहटा कलां में क्रमशः गल्ला या रुपयों के ऐसे बकायेदार कितने हैं जिनका बकाया दो साल से ऊपर का है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गल्ला के ग्यारह हैं । रुपये का कोई बकायादार नहीं है ।

*३६—श्री गुप्तारसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त बकायेदारों में से ऐसे बकायेदार कितने हैं जिनका बकाया तीन साल से भी ऊपर का है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उपरोक्त ११ बकायेदार ही तीन साल से ऊपर के हैं।

*३७—श्री गुप्तारसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त बकायेदारों में सोसाइटी के सदस्य और डाइरेक्टर या एकाउन्टेंट भी हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

बुलन्दशहर जिले में सोशल एजूकेशन कैम्प एवं दृश्य दर्शन पर व्यय

*३८—श्री दयाराम शाक्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में social education कैम्प तथा site seeing के लिये निर्धारित धन किस प्रकार खर्च किया गया और कितने कितने लोग इनमें सम्मिलित हुये ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री दयाराम शाक्य—११ मई से यह प्रश्न रखा गया है और एक बार टल चुका है और अब भी उत्तर दिया जा रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो मैं पूछना चाहता हूं कि सूचना एकत्रित करने में कितना समय लगेगा ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इसमें बहुत विवरण से सूचना मांगी गई थी इसी कारण से इसमें देर हुई । मैं आशा करती हूं कि बहुत जल्दी इसकी सूचना एकत्रित हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष—अगली मर्तबा जब आयेगा तक तक सूचना आ जानी चाहिये ।

स्टरलाइजेशन

*३९—कुंवर श्रीपालसिंह तथा श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि परिवार नियोजन की स्कीम के अन्तर्गत अभी तक प्रदेश के किन-किन जिलों में कितने कितने स्त्री तथा पुरुषों को स्टरलाइज किया तथा इस स्टरलाइजेशन में कितने प्रतिशत कामयाबी हुई ?

श्री धर्मसिंह—उपलब्ध सूचना के आधार पर परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत अभी तक इस प्रदेश के ३० जिलों में १,९३९ पुरुषों तथा ४,६८२ स्त्रियों को स्टरलाइज किया जा चुका है। उपरोक्त स्टरलाइजेशन में लगभग १०० प्रतिशत कामयाबी हुई। जिलों की सूची जिन से सूचना प्राप्त हुई है, संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १०४६ पर)

कुंवर श्रीपालसिंह—उत्तर से यह सिद्ध होता है कि पुरुषों का स्टरलाइजेशन कम हुआ है, तो इसके क्या कारण हैं ? पुरुषों में इसका कम प्रचार हुआ है या उनके लिये आपरेशन कुछ टेढ़ा है ? क्या बात है ?

श्री धर्मसिंह—यह तो सूचना मेरे पास नहीं है कि पुरुषों ने स्टरलाइजेशन क्यों नहीं कराया।

श्री ऊदल—पुरुषों का स्टरलाइजेशन कम होने का कारण यह है कि जो सोशल वर्कर्स हैं उनका पे स्केल कम है इसलिये आदमी प्रचार या काम करने के लिये नहीं मिल रहे हैं या कम हैं ?

श्री धर्मसिंह—यह तो पुरुषों की इच्छा पर है।

विधायक निवास कर्मचारियों का सहकारिता समिति संबंधी पत्र

*४०—श्री उमाशंकर (जिला वाराणसी)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी विधायक द्वारा विधायक निवास के कर्मचारियों का निवेदन-पत्र कोआपरेटिव सोसाइटी से सम्बन्धित उनके पास विचारार्थ ८ मई, १९६२ को दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या वे उसकी मुख्य बातें बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रसिंह—जी हाँ। ऐसा एक निवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था उसकी मुख्य बातें संलग्न सूची में दी हैं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १०४७ पर)

श्री उमाशंकर—मंत्री जी बतायेंगे उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी जाँच वगैरह कर रहे हैं।

श्री उमाशंकर—यह प्रार्थना-पत्र काफी दिन का हो गया और इसके पहले भी प्रार्थना-पत्र दिया जा चुका है लेकिन अभी मंत्री जी ने कहा कि अभी जाँच हो रही है। मैं जानना चाहता हूं उसमें कब तक जाँच होगी और क्या कार्यवाही होगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नियमों में जो प्रवीजन हैं उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अब अगर कुछ देर हो गई हो तो मैं इसे जल्दी कराने की कोशिश करूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—विधायक निवास के कर्मचारियों के सम्बन्ध में शिकायती पत्र में क्या-क्या मुख्य-मुख्य बातें हैं, मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अगर आपकी आज्ञा हो तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मैं प्रार्थना-पत्र की बात कर रहा हूं कि क्या-क्या मुख्य बातें हैं ?

श्री अध्यक्ष—वह दी हुई हैं सूची में।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—सूची में दूसरी बातें दी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष—आप दूसरा सवाल कर लें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मंत्री जी बतायेंगे क्या यह सही है कि विधायक निवास में काम करने वाले छोटे कर्मचारियों को कोआपरेटिव सोसाइटी से सम्बन्ध था और उन्हें उसी के अनुसार ऋण दिया जाता था जो एकाएक बन्द कर दिया गया है ? इसका क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वह सेक्रेटेरियेट में माने जाते थे पहले अब उन्हें कुछ अलग माना है। इस कारण से सेक्रेटेरियेट कोआपरेटिव सोसाइटी के अब वे सदस्य नहीं रहे।

श्री मैनेजरसिंह—क्या यह सही नहीं है कि विधायक निवास के कर्मचारियों के हिस्से अभी तक सचिवालय की सोसाइटी में पड़े हुये हैं और उनको सदस्यता से भी वंचित कर दिया गया है, जो अनुचित है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हो सकता है पड़े हों, लेकिन वे अलग मान लिये गये हैं। वे अलग से सोसाइटी बनाना चाहें तो बना सकते हैं और अपना रुपया चाहें तो ले सकते हैं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—माननीय नरसिंहनारायण पांडेय जी ने जो प्रश्न पूछा था वह इसलिये था कि उत्तर में मुख्य बातों का उत्तर नहीं दिया जा सका है।

श्री अध्यक्ष—जो मुख्य बातें हैं उनका विवरण दिया हुआ है।

श्री उमाशंकर—इन कर्मचारियों ने क्या सेक्रेटेरियेट की सोसाइटी में बाईलाज के मुताबिक हिस्सा लिया था ? उन बाईलाज में क्या तरमीम कर दी गयी जिसके कारण वे उसके हिस्सेदार नहीं रह सकते ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बाईलाज के अनुसार तो था ही, लेकिन अब वह सेक्रेटेरियेट में नहीं हैं। इस्टेट डिपार्टमेंट अलग हो गया है इसलिये वह सेक्रेटेरियेट में नहीं माने जा रहे हैं। उस वक्त के बाईलाज के हिसाब से वह थे लेकिन अब वह उन पर लागू नहीं होता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—राज्य सम्पत्ति विभाग और सेक्रेटेरियेट यानी प्रशासन विभाग में क्या फर्क है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—फर्क तो जाहिर है। सेक्रेटेरियेट और इस्टेट डिपार्टमेंट अलग अलग हैं।

श्री ऊदल—जब उनको सेक्रेटेरियेट कोआपरेटिव सोसाइटी से अलग कर दिया गया तो क्या उनके शेयर्स वगैरह वापस कर दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वापस लेना चाहें तो वे दरख्वास्त दें। दरख्वास्त देने पर वापस हो सकता है।

रामसनेही घाट तहसील के अन्तर्गत स्वच्छता नियम भंग करने पर दण्ड

*४१—**श्री मुकुटबिहारीलाल** (जिला बाराबंकी)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील राम सनेही, घाट जिला बाराबंकी के अन्तर्गत अलग-अलग ब्लाक तथा नोटीफाइड एरिया में सेनेटरी कानून भंग करने के जुर्म में १ अप्रैल, १९६१ से ३० मार्च, १९६२ तक किस-किस दफा में कितने चालान हुये ?

श्री धर्मसिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री मुकुटबिहारीलाल—यह सूचना कब तक मिल जायगी ?

श्री अध्यक्ष—अभी यह समाप्त नहीं होता । आगे मिल जायगी ।

*४२-४३—श्री मुकुटबिहारीलाल—[हटा दिये गये ।]

बुलन्दशहर जिले में कोआपरेटिव सुपरवाइजरों की मुअत्तली

*४४—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में कितने कोआपरेटिव सुपरवाइजर १९६० से १९६२ मार्च तक मुअत्तल हुये और उनके कारण क्या हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला बुलन्दशहर में १९६० से मार्च १९६२ तक ८ सुपरवाइजर मुअत्तल हुये हैं । वे गबन करने तथा विभागीय आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में मुअत्तल किये गये हैं ।

*४५—श्री हिम्मतसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोआपरेटिव सोसाइटी बेलौन लखावटी, जिला बुलन्दशहर के किसानों की शिकायतें हैं कि इन सोसाइटियों के कर्मचारियों ने अधिक गल्ला लिख दिया है ? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हाँ । चार व्यक्तियों की एक सम्मिलित शिकायत इस आशय की थी । मामले की जाँच कराने पर आरोप निराधार पाये गये और मामला समाप्त कर दिया गया ।

डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव सभा लिमिटेड, फैजाबाद में अनियमिततायें

*४६—श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद) तथा श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव सभा लिमिटेड, फैजाबाद का १९५२-५३, १९५३-५४, १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९, १९५९-६०, १९६०-६१ व १९६१-६२ वर्षों में कौन-कौन सभापति रहा है ?

श्री चन्द्रसिंह—सूचना संलग्न सूची १ में दी है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १०४८ पर)

*४७—श्री जगदम्बाप्रसाद तथा श्री भीमाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सभा का लखनऊ के रीजनल आडिट आफिसर द्वारा १९५९-६० वर्ष का स्पेशल आडिट हुआ था ? यदि हां, तो कब और क्या-क्या अनियमितता मिली है तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है और क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चन्द्रसिंह—जी हां । सभा का स्पेशल आडिट वर्ष १९५९-६० में हुआ था । मिली अनियमिततायें सूची-२ में दी हैं । सभा की कार्यकारिणी कमेटी निलम्बित कर के उस की जगह एक प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १०४९ पर)

*४८—श्री जगदम्बाप्रसाद तथा श्री भीमाप्रसाद—क्या उपरोक्त सभा का १९६०-६१ वर्ष का भी स्पेशल आडिट हुआ है ? यदि हां, तो कब और कौन-कौन सी अनियमिततायें मिली हैं तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार उक्त स्पेशल आडिट रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री चन्द्रसिंह---जी हां । स्पेशल आडिट वर्ष १९६०-६१ में भी हुआ है । अनियमिततायें सूची-३ में दी हैं । सभा की कार्यकारिणी कमेटी निलम्बित करके उसकी जगह एक प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है । वर्ष १९६०-६१ की स्पेशल आडिट रिपोर्ट† की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १०५० पर)

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके सभापति पहले श्री जयराम वर्मा थे और फिर श्री मदनगोपाल वैद्य थे । इसमें सभापतियों के नाम तो दिये गये हैं, अन्य सदस्यों के नाम मेरे पास नहीं हैं ।

श्री जगदम्बाप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन अनियमितताओं की सूची संलग्न है उनके लिये जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ वह क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह सभा सस्पेंड कर दी गयी है और यहां ऐमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया है ।

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि यह सभा क्यों सस्पेंड कर दी गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---एक तो इसमें बतलाया गया है कि इसका आडिट हुआ और उसमें कुछ खामियां पायी गयीं । कुछ और चीजें थीं वह पूरी नहीं हुई । काफी गड़बड़ियां थीं। उसको नुकसान हो रहा था । इन्हीं कारणों से सस्पेंड करना पड़ा ।

श्री जगदम्बाप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन अनियमितताओं को देखते हुये जो आडिट रिपोर्ट में दिखायी गयी हैं वह उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जो चीजें सामने आती जायंगी उन पर जो कार्यवाही मुनासिब होगी वह की जायगी ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कार्यकारिणी जो निलम्बित की गयी है उसको निलम्बित करने से पहले कोई अवसर दिया गया था कि वह अनियमितताओं को एक्सप्लेन कर सके ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, जो नियम में दिया हुआ है उसके अनुसार कार्यवाही की गयी ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि वह क्या आब्जेकशन्स थे जो अनियमितताओं के बारे में लोगों ने किये थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---काफी हैं । कुछ यह था कि जो भट्ठे चल रहे थे उनमें कुछ कोयला का खर्च ज्यादा था, ईंटें कम आती थीं, कुछ घाटा ज्यादा था, कुछ और जो गल्ले की दूकानें थीं और दूसरी चीजें थीं, इन सब में घाटा था । सीमेंट, खाद वगैरह, की बिक्री की भी शिकायत थी ।

---

†छापी नहीं गई ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस गम्भीर बात की ओर गया है अथवा जायगा कि पिछले वर्षों से इस विभाग के विषय में हमेशा भ्रष्टाचार, कुनबापरस्ती, गड़बड़-घोटाला, लूट खसोट की बातें होती रहती हैं । तो क्या मंत्री जी इन सब बातों की मुकम्मिल जांच करने के लिये कोई हाई पावर कमेटी बनाने पर विचार करेंगे जो इसकी जनरल जांच कर के सरकार को रिपोर्ट दे जिससे इसके विषय में गड़बड़ियां दूर की जा सकें ताकि सहकारिता के जो विरोधी हैं उन्हें कुछ कहने का मौका न मिले ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो जहां जहां गड़बड़ियां हैं, डिफेक्ट्स हैं वहां के सवाल आते हैं। कोई माननीय सदस्य यह कृपा नहीं करते कि जहां जहां अच्छाइयां हैं, जहां फायदा हो रहा है वहां के बारे में सवाल पूछें ताकि वह बातें भी सामने आयें । मैंने अपनी बजट स्पीच में बतलाया था कि गबन के केसेज का इन्सीडेन्स कम हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है जहां करोड़ों आदमी सरकारी और गैरसरकारी काम करते हों और इतना काम बढ़ रहा हो और रुपये पैसे का मामला हो तो कुछ थोड़ी सी चीजें हो जाना कोई ऐसी असाधारण बात नहीं है । यह तो हमारे समाज के चरित्र के ऊपर निर्भर है । कोई हाई पावर कमेटी की जरूरत नहीं है । जैसा मैंने आपसे कहा, गबन रोकने की पूरी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—क्या मंत्री जी को पता है कि इसके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में सभी जिला के एम० एल० एज०, डी० पी० ओ० और स्पीकर महोदय हैं ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा है कि उनके पास सूची नहीं है ।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९६०–६१ और १९६१–६२ में स्पेशल आडिट हुआ है तो एक लाख से ज्यादा का दुरुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो क्या कायवाही की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जैसा मैंने अर्ज किया कि यह एडमिनिस्ट्रेटर के सुपुर्द कर दिया गया है और जो मामले फर्दन-फर्दन आयेंगे उनकी अलग से जांच कराई जायगी और जो कानूनी कार्यवाही हो सकती है वह की जायगी ।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है कि बहुत से केसेज में लाखों का गबन हुआ है । जैसे कि आजमगढ़ में पौने दो लाख रुपये का गबन था । इनमें मामला इतना लम्बा हो जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और कोई बात नहीं हो पाती है । इसके लिये मंत्री जी क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने इसके संबंध में उत्तर दे दिया है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मोटे तौर पर कितनी रकम का गड़बड़ घोटाला मालूम पड़ रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसका एक लाख २५ हजार रुपये का है और इसके अलावा कई रकमें हैं ।

श्री हरिनाथ तिवारी—जो कई आइटम्स हैं उनको अलग-अलग बताने की मंत्री जी कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष—१ लाख २५ हजार के अलावा आप पूछ रहे हैं ?

श्री हरिनाथ तिवारी—जी हां, मंत्री जी ने कहा कि कई आइटम्स हैं ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, और भी कई आइटम्स हैं लेकिन उनके पढ़ने में काफी समय लगेगा ।

श्री जगदम्बाप्रसाद—क्या मंत्री जी इधर ध्यान देंगे कि दो लाख का गबन हुआ है इसकी जांच सी० आई० डी० से कराकर जिस पर उत्तरदायित्व हो उसके खिलाफ पुलिस कार्यवाही करने की आज्ञा देंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जैसा मैंने अर्ज किया कि जांच हो रही है और पुलिस के लायक केस होगा तो जरूर जायगा ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या मंत्री जी इसको देखते हुये कि आडिट रिपोर्ट पर से इस केस की एफ० आई० आर० पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं कराई गई तो भविष्य में रुपया वसूल नहीं हो सकता है, इसकी एफ० आई० आर० दर्ज कराकर पुलिस के सुपुर्द करने की सोच रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—श्रीमन्, असल में इसका नेचर दूसरा है क्योंकि कारोबार बराबर चलता रहा और घाटे का काम करते रहे । इस तरह के गबन का मामला नहीं है कि किसी के पास रुपया इकट्ठा हो और किसी ने ले लिया हो चूंकि भट्ठों के कारोबार में, कोयले वगैरह के आने जाने में, और उसमें और भी चीजें हैं, जिनकी जांच हो रही है जितना कोयला दिया गया, उतना खर्च हुआ था नहीं हुआ, जब डिटेल की चीजें हो जायंगी, तो आगे देखा जायगा कि क्या हो सकता है । कागजात सीज कर लिये गये हैं । किसी तरह का कोई खतरा है नहीं कि कोई गड़बड़-घोटाला हो जायगा ।

हौज ग्राम से कोआपरेटिव सुपरवाइजर के खिलाफ शिकायत

*४९—श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ए० आर० सहकारी समिति, जौनपुर के पास १५ मार्च, १९६२ का ग्राम हौज, जिला जौनपुर के सदस्यों ने कोई शिकायती पत्र स्थानीय कोआपरेटिव सुपरवाइजर के खिलाफ भेजा है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की और उस पत्र की मुख्य-मुख्य क्या बातें हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां ।

शिकायती पत्र की मुख्य बातें निम्न हैं :—

१—सहकारी समिति हौज का दिनांक १४-३-६२ का वार्षिक अधिवेशन अवैधानिक है ।

२—कोआपरेटिव सुपरवाइजर ने फर्जी कार्यवाही करके फर्जी मेम्बर बनाया है ।

३—दिनांक १४-३-६२ के वार्षिक अधिवेशन में श्री रामसूरत नये सरपंच चुने गये हैं । उनके जिम्मे नकद कर्ज व खाद का क्रमशः ३४० रु० और १५२ रु० बकाया है ।

उक्त शिकायतों की सहायक विकास अधिकारी धर्मापुर ने जांच की, और जांच से उक्त सभी आरोप गलत पाये गये ।

कानपुर में आय-कर तथा बिक्री-कर की वसूली

*५०—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) तथा श्री कल्पनाथसिंह (अनुपस्थित)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में इस वर्ष इन्कम टैक्स चार करोड़ तीस लाख तथा बिक्री-कर एक करोड़ बोहत्तर लाख वसूल करना था ? यदि नहीं, तो कितना और उसमें अब तक कितना वसूल हो सका है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ४८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--(क) (१) कानपुर नगर में कुल आयकर वर्ष १९६१-६२ में ४,९३,१३,०३० रु० ९५ न० पै० वसूली हेतु था जिसमें से १,०७,७५,५०० रु० २५ न० पै० वसूल किये जा चुके हैं।

(२) वर्ष १९६२-६३ में १५ अगस्त, १९६२ तक १,७०,७७,८६२ रु० ६१ न० पै० वसूली हेतु थे जिसमें से उक्त दिनांक तक २२,९०,८३७ रु० ८८ न० पै० वसूल किये जा चुके हैं।

(ख) (१) कानपुर नगर में बिक्री कर की कुल धनराशि वर्ष १९६१-६२ में १,७४,७१,३५९ रु० ४७ न० पै० वसूली हेतु थी जिसमें से कुल ६१,८२,५१९ रु० ५५ न० पै० वसूल किये जा चुके हैं।

(२) वर्ष १९६२-६३ में ३१ अगस्त, १९६२ तक कुल १,६९,७३,१९५ रु० १९ न० पै० वसूली हेतु थे, जिसमें से उक्त दिनांक तक १०,१७,६६२ रु० ९३ न० पै० वसूल किये चुके हैं।

*५१--**श्री गेंदासिंह तथा श्री कल्पनार्थसिंह** (अनुपस्थित)--क्या इन्कम टैक्स की वसूली की जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर है? यदि हां, तो १९६१-६२ के वर्ष में कितनी रकम वसूली करनी थी और उसमें कितनी रकम वसूल की जा सकी थी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आय कर की वसूली के केवल उसी भाग से राज्य सरकार का सम्बन्ध है जिसे आयकर अधिकारी स्वयं वसूल करने में असमर्थ रहते हैं। वर्ष १९६१-६२ में आयकर की कुल ४, ९३, १३, ०३० रु० ९५ न० पै० की धनराशि वसूली हेतु थी जिसमें से कुल १,०७, ७५, ५०० रु० २५ न० पै० वसूल किये जा चुके हैं।

*५२--**श्री गेंदासिंह तथा श्री कल्पनार्थसिंह** (अनुपस्थित)--इन्कम टैक्स की वसूली के लिये कितने व्यक्तियों के ऊपर सख्त कदम उठाने की जरूरत सरकार को पड़ी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उपलब्ध सूचना के अनुसार आयकर की वसूली के हेतु कुल १३६ व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी।

यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ के अन्तर्गत सुपरवाइजरों की जमानत

*५३--**श्री गिरजाप्रसाद**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ में ३० जून, १९६१ को कितने ट्रेन्ड सुपरवाइजर थे और क्या सब को यू० पी० कोआपरेटिव सोसाइटी ने जमानत ले रक्खी है? यदि नहीं, तो न जमानत देने वालों का उत्तरदायित्व गबन की अवस्था में किस पर होगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा--३०-६-६१ को यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन लि०, लखनऊ के अन्तर्गत ४४९९ ट्रेंड सुपरवाइजर थे और समस्त सुपरवाइजरों की जमानत ले रक्खी है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*५४--**श्री गिरजाप्रसाद**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सुपरवाइजरों की जमानत की मद का सालाना चन्दा उनके वेतन से काट कर जमानत करने वाली समिति को देने की प्रथा है? यदि हां, तो प्रति कर्मचारी कितना रुपया है और वर्ष १९५६-५७, १९५७-५८ १९५८-५९, १९५९-६०, १९६०-६१ में कितना-कितना वेतन से काटा गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

प्रति कर्मचारी दस रुपया पचीस नया पैसा प्रतिवर्ष मांग की जाती है। विवरण संलग्न तालिका (क) में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १०५१ पर)

*५५—**श्री गिरजाप्रसाद**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ के अन्तर्गत काम करने वाले कर्मचारियों पर जुर्माना करने का भी नियम है? यदि हां, तो १९५६-५७ से १९६०-६१ तक कितने कर्मचारियों पर जुर्माना हुआ और कितना वसूल हुआ? वसूल की हुई धनराशि किसके के पास है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

वर्ष ५६-५७ से ६०-६१ तक ५२२ रु० जुर्माना किया गया तथा ५२२ रु० वसूल हुआ। उपरोक्त धन का संस्था के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन आदि पर प्रयोग में लाया जा रहा है।

सहारनपुर में कंजड़ बस्ती सुधार योजना पर विचार

*५६—**श्री ब्रह्मदत्त मायर** (जिला सहारनपुर)—क्या हरिजन कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगर में मुहल्ला किशनपुरा में नदी के किनारे बसे हुये कंजडों तथा जाटवों की एक बस्ती पिछले ५०/६० साल से बेबसी की हालत में पड़ी है और आये साल बरसात के दिनों में उनके मकान पानी में डूब जाते हैं? यदि हां, तो सरकार ने उन लोगों को ठीक ढंग से बसाने की तरफ क्या ध्यान दिया?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां। इस बस्ती पर प्रायः बाढ़ का प्रभाव पड़ता है परन्तु यह लोग वहां से किसी दूसरी जगह हटना नहीं चाहते। अतः उन्हें कहीं और बसने पर मजबूर नहीं किया जा सकता।

बरसाती पानी बहाने वाली नालियों को ठीक कराने की स्कीम को बाढ़ योजना के अन्तर्गत लेकर नगरपालिका सहारनपुर उस पर विचार कर रही है।

*५७—**श्री ब्रह्मदत्त मायर**—क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि अब यह जमीन वहां के किसी पुराने जमींदार ने किसी पंजाबी परिवार के हाथों बेच दी है जो अब इन गरीब लोगों को वहां से निकालने के उपाय कर रहा है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां।

*५८—**श्री ब्रह्मदत्त मायर**—क्या सरकार उन लोगों को बसाने का कोई प्रबन्ध करेगी और उन लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिये कोई आर्थिक सहायता प्रदान करेगी?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इनको कानूनी और आर्थिक सहायता दी जायगी।

डी० सी० डी० एफ०, इटावा द्वारा कोयले का क्रय-विक्रय

*५९—**श्री सहदेवसिंह**—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी० सी० डी० एफ०, इटावा को झरिया से १, ६०० टन अतिरिक्त कोयला खरीदने का परमिट दिया गया था? यदि हां, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, इटावा जिले के सहकारी भट्ठे को कोयले के अभाव में सम्भावित हानि से बचाने के विचार से जिला सहकारी विकास संघ, इटावा की कार्यकारिणी समिति ने अपनी बैठक दिनांक ८–९–६१ में १,६०० टन कोयला झरिया से खरीद कर लाने का प्रबन्ध करने का निर्णय किया था। इसी निर्णय के अनुसार १,६०६ टन कोयला झारिया से ट्रक द्वारा मंगाया गया। इस तरह कोयला लाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था।

*६०—**श्री सहदेवसिंह**—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि डी० सी० डी० एफ० ने इस परमिट से कितना कोयला खरीदा? उसमें कितने दिन तक कितना रुपया लगाया तथा उससे कितना-कितना कोयला किन-किन सहकारी संस्थाओं को दिया और किस भाव पर?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उक्त प्रकार से १६०६ टक कोयला खरीदा गया और इसमें संघ ने १६–८–६१ से ५–४–६२ तक ६१,९७० रु० लगाया उक्त कोयले में से ४४ टन कोयला जिला सहकारी विकास संघ के केवल भर्यता स्थित भट्ठे को १०४ रु० प्रति टन अनुमानित दर पर दिया गया।

*६१—**श्री सहदेवसिंह**—क्या यह कोयला प्राइवेट भट्ठे वालों को भी बेचा गया? यदि हां, तो नियम विरुद्ध ऐसा क्यों किया गया तथा किस-किस को कितना-कितना कोयला किस भाव पर दिया गया और इससे डी० सी० डी० एफ०, इटावा को कितना लाभ अथवा घाटा हुआ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। ४५,९५७ रु० का कोयला रास्ते में ही सोन नदी पार करने के बाद प्राइवेट भट्ठे वालों को बेच दिया गया जिनके नाम, बेचे गये कोयले की मात्रा, बिक्रीदर इत्यादि का विवरण जिला सहकारी विकास संघ, इटावा में उपलब्ध नहीं है। इटावा में आये हुये कोयले में से निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सम्मुख प्रदर्शित कोयले की मात्रा १०४ रु० प्रतिटन के भाव से बेचा गया :—

नाम व्यक्ति	कोयले की मात्रा
१—श्री रामस्वरूप दीक्षित, प्रिंसिपल, हायर सेकेन्डरी स्कूल, अहेरीपुर ..	१०२—६ टन
२—श्री मोहम्मद साईद, वेरिन टोला, इटावा, भट्ठा संचालक, अहल्दा ..	२२ टन

कोयले का पूर्ण हिसाब अभी तक प्राप्त न होने के कारण लाभ हानि का ब्योरा तैयार नहीं हो सका है।

महाराजगंज तहसील में हरिजन कूप अनुदान

*६२—**श्री दुर्योधन** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४ से १९६० तक गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील में कुल कितने हरिजनों को कुआं बनवाने का अनुदान दिया गया और कितने कुयें ऐसे हैं जिनका पूरा रुपया नहीं दिया गया है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सन् १९५४–१९६० तक महाराजगंज तहसील, जिला गोरखपुर, में कुल ३३ हरिजनों को कुआं बनाने और हैन्डपम्प लगाने के लिये अनुदान दिया गया जिसमें १९ कुंए ऐसे हैं जिनका पूरा रुपया नहीं दिया गया है।

सेवता ग्राम मिडवाइफ के विरुद्ध शिकायतें

*६३--श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सेवता, तहसील बिसवां, जिला सीतापुर में Midwife के विरुद्ध पिछले कई वर्षों से जनता ने गम्भीर आरोप लगाये हैं और जिला और प्रान्त अधिकारियों को आवेदन पत्र भेजे हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--गत वर्ष मई में उक्त मिडवाइड के विरुद्ध कुछ शिकायतें आई थीं।

*६४--श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा--यदि हां, तो क्या उसकी जांच की गयी और की गयी, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--जी हां। जांच से पता चला कि मिडवाइफ के घर पर कुछ अवांछनीय व्यक्तियों का बहुधा आना जाना रहता था जिसके कारण आस पास की ग्रामीण रूग्णाओं को अपनी चिकित्सा कराने में असुविधा होती थी।

परिवार नियोजन केन्द्र, कानपुर

*६५--श्री मुरलीधर कुरील--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिले व नगर में परिवार नियोजन के केन्द्र कितने हैं और उनमें किस उम्र के पुरुष व महिला कर्मचारी रक्खे गये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--कानपुर जिले व नगर में ग्यारह परिवार नियोजन के केन्द्र हैं और उन में २४ से ४५ वर्ष तक की उम्र के पुरुष व महिला कर्मचारी रक्खे गये हैं।

*६६--श्री मुरलीधर कुरील--[हटा दिया गया।]

यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ का अनुदान

*६७--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ को पिछले दस वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितना अनुदान दिया गया और सरकार ने इस बात की जांच के लिये कि अनुदान का रुपया उचित कार्यों के लिये जिसके लिये दिया जाता है प्रयोग होता है, क्या तरीका अपनाया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सूचना संलग्न सूची १ में दी है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ १०५२ पर)

*६८--श्री भीखालाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की यू०पी० कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ में १ फरवरी, १९६२ से अब तक कितने लिपिकों ने त्याग-पत्र दिया और उनके त्याग-पत्र देने का कारण क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--१-२-६२ से अब तक ९ (नौ) लिपिकों ने त्याग-पत्र दिया जिनका कारण मुख्यतः यह है कि अन्य विभाग में उनको अच्छी नौकरी प्राप्त हो गई है।

*६९--श्री भीखालाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन लि० लखनऊ के सहायक मंत्री ने पहली जनवरी, १९६२ से अब तक किन-किन यात्राओं का कितना-कितना भत्ता और किस श्रेणी का प्राप्त किया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सूचना संलग्न सूची-२ में दी है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ १०५३ पर)

गोरखपुर जिले में सहकारी बीज भंडारों के अन्तर्गत बकाया

*७०—श्री दुर्योधन—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के किन-किन सहकारी समितियों के मेम्बरों के जिम्मे १९५६ के पहले का बकाया बीज भंडारों का है और कितना-कितना और अब तक वसूल न होने का क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सूचना एकत्र की जा रही है। गोरखपुर जिले में ५२ बीज भंडार हैं। उन सब से सूचना प्राप्त होने में समय लगेगा।

हिन्दी साहित्य पुस्तकालय मौरावां का अनुदान

*७१—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—क्या सरकार को पता है कि हिन्दी साहित्य पुस्तकालय, मौरावां, जिला उन्नाव को सरकार द्वारा गतमार्च में सात सौ रुपये का अनावर्त्तक अनुदान स्वीकृत हुआ था परन्तु ट्रेजरी आफिसर उन्नाव ने इस अनुदान का बिल इस कारण पास नहीं किया क्योंकि एकाउन्टेन्ट जनरल से अधिकार नहीं प्राप्त हुआ था और अनुदान ३१ मार्च के पश्चात् lapse हो गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*७२—श्री श्रीराम तिवारी—क्या सरकार इस बात की व्यवस्था पर विचार करेगी कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित इस प्रकार के बिल समय पर एकाउन्टेन्ट जनरल से अधिकार न प्राप्त होने पर भी provisionally पास कर दिये जायं ताकि अनुदान lapse न हो ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस प्रकार की व्यवस्था कर देने से अनुदानों का गलत और दुबारा भुगतान हो जाने की सम्भावना हो सकती है इसलिये ऐसी व्यवस्था सरकार उचित नहीं समझती।

मुरादीपुर ग्राम से मलेरिया इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत

*७३—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में तहसील हरैया के मुरादीपुर ग्राम से मलेरिया का दफ्तर रात में हटा दिया गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी नहीं। दफ्तर दिन में हटाया गया था।

*७४—श्री रणबहादुरसिंह—यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि वहां के इन्सपेक्टर के खिलाफ कोई गम्भीर आरोप है ? क्या सरकार के पास आरोप आ गये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—स्वास्थ्य सेवा निदेशक के पास एक शिकायत आई थी जो निराधार सिद्ध हुई। एक और शिकायत सरकार के पास आई है जिस की जांच कराई जा रही है।

गवर्नमेंट इंटरमीडियेट कालेज, इलाहाबाद के मेस

*७५—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—क्या सरकार को मालूम है कि गवर्नमेन्ट इन्टरमीडियेट कालेज, इलाहाबाद होस्टल में तीन मेस चलते हैं—एक शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा हरिजनों का अलग मेस है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां। परन्तु कोई मांसाहारी मेस नहीं है।

*७६—श्री श्यामलाल—यदि यह सत्य है तो क्या सम्बन्धित अधिकारियों से सरकार Explanation मांगेगी और शीघ्रातिशीघ्र भेद-भाव दूर करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां। आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

आजमगढ़ जिले में दाइयों की नियुक्ति

*७७—श्री सुरजन (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में जच्चा-बच्चा सम्बन्धी दाइयां किन-किन सेन्टरों पर कार्य कर रही हैं? इनकी कुल संख्या क्या है और कितनी दाइयां ट्रेनिंग करके वर्षों से उम्मीदवार पड़ी हैं? क्या उन्हें शीघ्र नियुक्त करने की योजना है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—निम्नांकित सेन्टरों पर दाइयां कार्य कर रही हैं जिनकी कुल संख्या ३५ है तथा १२४ दाइयां ट्रेनिंग कर चुकी हैं। उनकी नियुक्ति की कोई योजना नहीं है:

(१) रानी की सराय, (२) दोरापुर, (३) करहा, (४) जहानागंज, (५) सेमा, (६) भूझो, (७) बनकट, (८) चोरपाकला (९) नदवा सराय, (१०) रसूलपुर, (११) पउंडरा (१२) सरगौरा (१३) मेहदूपुर (१४) सदर (१५) मऊ (१६) मोहमदाबाद, (१७) फूलपुर, (१८) निजामाबाद, (१९) परसरामपुर, (२०) लाल गंज, (२१) घोसी, (२२) मुबारकपुर, (२३) दोहरीघाट, (२४) बदराउन, (२५) अजमतगढ़, (२६) बड़ागांव, (२७) कसारा, (२८) कोइरियापार, (२९) मदीसिपह, (३०) अमिला, (३१) लहुवाकल, (३२) मंझवारा, (३३), सरायगनेश, (३४) सिपहइब्राहीमाबाद, (३५) मघा।

मलेरिया विभाग, मैनपुरी में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के कर्मचारी

*७८—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मलेरिया विभाग, मैनपुरी में १९५९ से १९६२ अप्रैल तक हर साल अलग-अलग किस-किस पद की और कितनी भर्ती हुई है उसमें कितने परिगणित तथा पिछड़े वर्ग से हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ १०५४ पर)

गाजीपुर जिले में हरिजन छात्रों को वजीफा

*७९—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९५७-५८, १९५८-५९, १९५९-६०, १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में गाजीपुर जिले में सभी प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूलों तथा डिग्री कालेज में हरिजन विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक स्कूल कालेज में क्या थी तथा अलग-अलग स्कूलों में कितने हरिजन विद्यार्थियों को वजीफा दिया गया?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना एकत्र की जा रही है।

*८०-८२—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—[१९ सितम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न १-३ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

मैनपुरी जिले के स्वास्थ्य विभाग में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के कर्मचारी

*८३—श्री रामसिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले के स्वास्थ्य विभाग में नीचे लिखे पद पर कितने व्यक्ति इस समय कार्य कर रहे हैं और उनमें क्रमशः कितने परिगणित तथा पिछड़े वर्ग से हैं:

(क) हेल्थ विजिटर,
(ख) मलेरिया इन्स्पेक्टर,
(ग) कम्पाउन्डर,
(घ) सुपरवाइजर मलेरिया गैंग,
(ङ) मलेरिया डाक्टर,
(च) चपरासी,
(छ) क्लर्क?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना निम्न प्रकार है।

पद		कुल संख्या	परिगणित जाति	पिछड़े वर्ग
(क) हेल्थ विजिटर	..	३	०	०
(ख) मलेरिया इन्स्पेक्टर	..	३३	९	०
(ग) कम्पाउन्डर ..	..	५	०	०
(घ) सुपरवाइजर मलेरिया गैंग	..	३२	१०	१
(ङ) मलेरिया डाक्टर	..	१	०	०
(च) चपरासी ..	..	१३	१	५
(छ) क्लर्क ..	..	१०	०	१

सिकन्दराराव के सहकारी भट्ठे में गबन

*८४—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सहकारी संघ सिकन्दराराव (अलीगढ़) के सहकारी भट्ठे में पिछले सालों में १४,००० रु० का गबन हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। गबन के लिये उत्तरदायी भट्ठा मुंशी को निलम्बित कर दिया गया। भट्ठा मुंशी से एक हजार रुपया वसूल किया गया। स्थानीय विभागीय अधिकारियों ने संघ के संचालक मंडल को गबन का मामला पुलिस में देने तथा भट्ठा मुंशी के विरुद्ध विभागीय सालसी कार्यवाही करने की सलाह दी। लेकिन संचालक मंडल ने उक्त किसी सलाह पर अमल नहीं किया है। उप-निबन्धक आगरा को लिखा गया है कि वह मामले में अग्रिम उचित कार्यवाही करें।

चौधरी स्वीट हाउस, लखनऊ

*८५—श्री उमाशंकर—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौधरी स्वीट हाउस, लखनऊ में पिछले किसी महीने में पुलिस ने कई टन सोख्ता कागज बरामद किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बता सकती है कि वह सोख्ता कागज किसलिये वहाँ रखा था ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी नहीं।

*८६—श्री उमाशंकर—क्या यह सच है कि वह सोख्ता कागज दूध की बनी हुयी मिठाइयों में मिलाया जाता था ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—प्रश्न नहीं उठता।

*८७—श्री उमाशंकर—क्या सरकार की ओर से कोई मुकदमे की रिपोर्ट चौधरी स्वीट हाउस के मालिक के विरुद्ध की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—नहीं। सरकार की ओर से कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है।

डेहरी विकास क्षेत्र की चकबन्दी में विलम्ब

*८८—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अन्नपूर्णा सहकारी कृषि समिति लिमिटेड, डेहरी विकास क्षेत्र, भागलपुर, जिला देवरिया की चकबन्दी के लिये कमिश्नर गोरखपुर ने तारीख १५ मई, १९६१ को आदेश दिया था? यदि हां, तो अब तक चकबन्दी न होने का कारण क्या है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। इस चकबन्दी के विरुद्ध डेहरी के दूसरे काश्तकार बार-बार अपील दायर कर देते थे जिसके निपटाने में काफी समय लग जाता था। अब कलेक्टर, देवरिया ने एस० डी० एम०, सलेमपुर को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दे दिए हैं।

[५ सितम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित ताराँकित प्रश्न]

बीज वितरण

*१—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले वर्ष कुल कितना धान का बीज और कितना गेहूं का बीज प्रदेश के सहकारी बीज भंडारों में जमा था कितना किसानों को वितरण हुआ और उसका (purity Test) असलीपना कितना प्रतिशत था?

श्री चतुर्भुज शर्मा—३.४४ लाख मन धान और १८.२८ लाख मन गेहूं का बीज जमा था।

३.३२ लाख मन धान और १६.१६ लाख मन गेहूं किसानों को वितरण किया गया।

बीज की शुद्धता का परीक्षाफल सब जिलों से अभी प्राप्त नहीं हो पाये हैं। जो प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार असलीपना धान और गेहूं का ९५ से १०० प्रतिशत है।

*२—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले तीन वर्षों में कितना-कितना रबी और खरीफ का बीज प्रदेश के सहकारी बीज भंडारों द्वारा रद्दी समझ कर निकाला गया और कितना-कितना कृषि विभाग से असली बीज लिया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पिछले तीन वर्षों में जो बीज निकाला गया उसका विवरण संलग्न सूची में है:—

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ १०५५ पर)

*३—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या सरकार ने कोई अनुपात इस बात के लिये तय किया है कि प्रति वर्ष सहकारी बीज भंडार अपने बीज को कृषि विभाग से अच्छा बीज लेकर असली स्टाक कर ले (क) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में इसका पालन हुआ कि नहीं? (ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। सहकारी बीज भंडारों को अपने बीज के २० प्रतिशत स्टाक को प्रति वर्ष कृषि विभाग से अच्छा बीज लेकर असली स्टाक करने हेतु सुझाव दिये गये हैं।

(क) पिछले तीन वर्षों में आदेशों का पालन हुआ है परन्तु अनुपात की पूर्ण रूप से पूर्ति न हो सकी।

(ख) कारण यह कि कहीं-कहीं सहकारी संघों ने हानि के डर से बीज की मांग कम की और कहीं पर मांगे हुए बीज की सप्लाई में कमी रही।

अनैतिक व्यापार मुक्त स्त्रियों के संरक्षण गृह

*४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश में किन-किन जिलों में अनैतिक कार्य करने वाली स्त्रियों को ठीक ढंग से लाने हेतु कितने-कितने आश्रम खोले गये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—अनैतिक व्यापार से मुक्त की गई स्त्रियों को शरण प्रदान करने तथा उनके प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित गृह सरकार द्वारा खोले गए हैं :—

(१) सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रेफिक इन वीमेन ऐण्ड गर्ल्स ऐक्ट, १९५६ के अन्तर्गत लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ एवं मथुरा में एक-एक संरक्षण गृह।

(२) देहरादून का उद्धार तथा संरक्षण गृह।

(३) राज्य के निम्नलिखित जिलों में शरणालय तथा प्रवेशालय जिन्हें उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण गृह भी घोषित किया गया है :—

१—आगरा, २—बरेली, ३—मिर्जापुर, ४—हरिद्वार (जिला सहारनपुर), ५—इटावा, ६—गाजीपुर, ७—फैजाबाद, ८—इलाहाबाद, ९—उन्नाव, १०—हलद्वानी, ११—अल्मोड़ा, १२—कोटद्वार (जिला पौड़ी-गढ़वाल), १३—टेहरी-गढ़वाल, १४—एटा, १५—झांसी।

*५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या समाज कल्याण मंत्री बतलायेंगे कि इलाहाबाद में १९६०–६१ में समाज कल्याण विभाग की ओर से कौन-कौन स्थानों पर कौन-कौन से कार्य किये गये ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इलाहाबाद जिले में १९६०–६१ में जो मुख्य कार्य किए गए उनका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ १०५६--१०५८ पर)

मैनपुरी जिले में क्षेत्रीय सहकारी संघ संचालकों पर कथित बकाया

*६—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में कोआपरेटिव विभाग की तरफ से क्षेत्रीय सहकारी संघ आर्यपुर के सबडिपो जगतपुर व छतरीवरी व बरहट के संचालकों पर १२,३४० रु० ५६ न० पै० काफी अर्से से बाकी चले आ रहे हैं और इस विषय की लिखित शिकायतें २१ अप्रैल, १९६२ को ए० आर० तथा डी० पी० ओ०, मैनपुरी को दी गयी हैं ? यदि हाँ, तो उन पर क्या हो रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के सुपरवाइजरों के वेतन में अन्तर

*७—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के काम करने वाले सुपरवाइजरों का वेतन-क्रम क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सुपरवाइजरों का वेतन-क्रम निम्नलिखित प्रकार है :

प्रथम श्रेणी—५०—४—९० द० रो०—५—१०० रु०।

द्वितीय श्रेणी—३०—४५—द० रो०—३—६० रु०।

*८—श्री मंगलदेव—क्या यह सही है कि शैक्षिक योग्यता के आधार पर उनके वेतन-क्रम में भिन्नता है ? यदि हाँ, तो जिन्होंने योग्यता पूरी कर ली हो उनके वेतनक्रम में एकरूपता लाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—शैक्षिक योग्यता के आधार पर वेतन-क्रम का पुनरीक्षण शासन के विचाराधीन है। निर्णय यथाशीघ्र किया जायगा।

*९—श्री मंगलदेव—क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में केन्द्रीय सरकार ने जितना रुपया प्रदेशीय सरकार को हरिजनों की भलाई के लिये दिया था, उतना खर्चा हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी नहीं। केन्द्रीय सरकार से कुल धनराशि १,०९,२७,४०० रु० की प्राप्त हुई थी, जिसमें से २,०६,००० रु० की धनराशि व्यय न हो सकी, इसका मुख्य कारण लखनऊ जिले में पोलीटेक्निक खोलने हेतु भूमि का प्राप्त न होना तथा औद्योगिक संस्थाओं के लिये सीमेंट व कोयले का अभाव हो जाना है।

इटावा सहकारी संघ मण्डल संचालक को नोटिस

*१०—श्री सहदेवसिंह—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई या अगस्त, १९६१ में सहकारी विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार ने डी० सी० डी० एफ०, इटावा ने संचालक मंडल को मुअत्तल करने का नोटिस दिया था ? यदि हाँ, तो उसके क्या कारण थे और उस पर आगे क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हाँ। संघ के संचालक मंडल द्वारा संघ का कुप्रबन्ध करने तथा संघ को आर्थिक हानि होने के कारण यह नोटिस दिया गया था। मामले की जाँच कराई गई। जाँच रिपोर्ट उपनिबंधक इलाहाबाद के विचाराधीन है।

*११—श्री सहदेवसिंह—क्या क्रय-विक्रय समिति भरथना, इटावा का वार्षिक अधिवेशन ३१ दिसम्बर, १९६१ को अवैधानिक तौर पर बिना क, ख श्रेणी के प्रतिनिधियों का चुनाव कराये कर लिया गया था ? यदि हाँ, तो सरकार ने इन पाँच महीनों में उसकी दुरुस्ती के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हाँ। इस विषय में उपनिबन्धक ने सहायक निबन्धक द्वारा जाँच-पड़ताल कराई। जाँच रिपोर्ट पर उप निबन्धक को निर्णय देना है।

*१२—श्री सहदेवसिंह—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अमरसेड़ा सहकारी सघ का वार्षिक अधिवेशन सरकार के आदेशों के बावजूद भी गत आठ महीने से नहीं हो रहा है और इस स्थिति में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अमरसेड़ा सहकारी संघ का वार्षिक अधिवेशन बुलाने के संबंध में सरकार के कोई आदेश नहीं थे। स्थानीय विभागीय अधिकारियों की ओर से संघ को अधिवेशन बुलाने का आदेश अवश्य दिया गया था। संचालक मंडल द्वारा बैठक बुलाने का प्रयत्न किया गया परन्तु कोरम पूरा न होने के कारण संचालक मंडल की बैठक नहीं हो सकी और इसलिये वार्षिक अधिवेशन की तिथि भी निश्चित न हो सकी। सहायक निबन्धक, इटावा ने अधिवेशन बुलाने की कार्यवाही करने के लिये संघ के अधिकारियों को फिर लिखा है।

जिला कोआपरेटिव बैंकों की सदस्यता

*१३—श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि जिला कोआपरेटिव बैंकों में उसी जिले के विधायक भी पदेन सदस्य रहा करें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

पेन्शन पाने वालों का महंगाई भत्ता

*१४—श्री बृजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार से पेन्शन पाने वालों को महंगाई भत्ता किस दर के हिसाब से दिया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पेन्शन पर महंगाई भत्ता अस्थाई वृत्ति के रूप में दिया जाता है जिसकी दरें निम्नलिखित हैं :

६० रुपये या उससे कम पेन्शन	५ रु० प्रति मास अस्थायी वृद्धि
६० रु० से अधिक किन्तु १०० रु० से कम पेन्शन	६ रु० प्रति मास अस्थायी वृद्धि
१०० रु० से अधिक पेन्शन ..	वह धनराशि जिससे कुल पेन्शन १०६ रु० प्रति मास हो जाय ।

*१५—श्री बृजेश्वर सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पेन्शन पाने वालों को जो महंगाई भत्ता सन् १९४७ में मिलता था वही अब तक मिलता है या बढ़ाया गया है ? अगर हां, तो कितना बढ़ाया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उपर्युक्त दरें १ अप्रैल, १९४७ से स्वीकृत की गई थीं । तब से इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

*१६—श्री बृजेश्वर सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पेन्शन पाने वालों का महंगाई भत्ता कुछ और भी बढ़ रहा है ? अगर हां, तो कितना ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अस्थायी वृद्धि को बढ़ाने का इस समय कोई विचार नहीं है ।

कानपुर के पब्लिक हेल्थ विभागों में राजपत्रित अधिकारी

*१७—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पब्लिक हेल्थ विभाग, कानपुर में कितने राजपत्रित अधिकारी हैं जो तीन साल से अधिक समय से वहां पर हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—दो ।

*१८—श्री ऊदल—हटा दिया गया ।]

रायबरेली जिले के मुअत्तल रजिस्ट्री क्लर्कों का स्मृति-पत्र

*१९—श्री उग्रसेन—क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १९६१ में रजिस्ट्री आफिस, रायबरेली से कितने क्लर्क मुअत्तल किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१९६१ में रजिस्ट्री आफिस, रायबरेली से कोई क्लर्क मुअत्तल नहीं किया गया बल्कि एक क्लर्क रजिस्ट्री आफिस डलमऊ का और एक क्लर्क डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार आफिस, रायबरेली का मुअत्तल किया गया था ।

*२०—श्री उग्रसेन—क्या राय बरेली रजिस्ट्रेशन आफिस के मुअत्तल क्लर्कों का कोई स्मृति-पत्र माननीय मन्त्री जी को जुलाई, अगस्त, १९६१ में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, उपरोक्त मुअत्तल क्लर्कों में से श्री सरवासिया का स्मृति-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था । सरकार ने इस संबंध में प्रधान निबन्धक निरीक्षक (Inspector General of Registration) से आवश्यक सूचना मांगी थी । जो सूचना

सरकार को प्राप्त हुई उससे ज्ञात होता है कि श्री सरवासिया के विरुद्ध कई आरोप थे जिनके फलस्वरूप अनुशासन कार्यवाही की गई और दोषी पाये जाने पर उनको नौकरी से बरखास्त कर दिया गया ।

*२१–२३—श्री विजय सिंह—[१९ सितम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न ७–९ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

कोल असला परगना में मुसहर तथा करवल परिवारों की सुधार योजना

*२४—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दल्लीपुर, कूंडी, कठिरांव, परगनापन्द्रह व पिंडरा, बसन्तपुर, घोघलीं, देवराई, मगारी, झंझौरा, शाहपुर व बड़ा गांव परगना कोल असला तहसील व जिला वाराणसी में मुसहरों व बड़ा गांव में करवरों की बस्ती, कुओं, कृषि आदि के सम्बन्ध में हरिजन कल्याण विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर श्री गोपीनाथ जी १७ अप्रैल, सन् १९६२ को जांच के लिये गये थे ? यदि हां, तो उन्होंने सरकार को क्या-क्या रिपोर्ट दी और उसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां ।

सम्बन्धित रिपोर्ट में श्री गोपी चन्द्र, सहायक निदेशक, हरिजन कल्याण ने इन गांवों में रहने वाले मुसहर तथा करवल के २२५ परिवारों की स्थिति पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है। उन्होंने उपरोक्त परिवार की मुख्यतः आर्थिक स्थिति को असन्तोषजनक बताया है । विशेषरूप से उन्होंने पानी पीने के कुओं, मकानों तथा कृषि साधनों के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के सुझाव दिये हैं ।

रिपोर्ट के अनुसार, विभाग के साधनों को देखते हुये जिला कर्मचारियों की राय से इन परिवारों के सुधार की योजना बनाई जा रही है ।

फैजाबाद सहकारी संघ में धन का दुरुपयोग

*२५—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद सहकारी संघ का सन् १९६०–६१ व १९६१–६२ में कोई आडिट कराया गया है ? यदि हां, तो क्या आडिट में १ लाख रुपये की कमी खाद, भट्ठा आदि कई चीजों में पाई गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां । आडिट रिपोर्ट में एक लाख रुपये से अधिक दुरुपयोग होने की बात कही गई है ।

हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां

*२६—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में कितने वजीफे प्रदेश के हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को दिये जाते हैं तथा कितने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिये जाते हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले उत्तर मैट्रिक कक्षाओं के लिये वजीफों की संख्या निर्धारित नहीं है। छात्रवृत्ति पाने योग्य प्रत्येक हरिजन विद्यार्थी को छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है । १९६१–६२ में १५,९८४ हरिजन छात्रों को वजीफे दिये गयेथे तथा ६६·५३ लाख रुपया व्यय हुआ । पिछड़े वर्ग के लिये स्वीकृत दरों से उपलब्ध धन में जितना अधिक से अधिक छात्रों को सम्भव हो सकता है वजीफे प्रदान किये जाते हैं । इस मद के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रत्येक वर्ष ४,४३,२०० रु० मिलता है तथा अन्य जो धन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कर दिया जाय व्यय किया जाता है ।

हरिजन कल्याणार्थ बोर्ड स्थापित करने का सुझाव

*२७—श्री भीखालाल—क्या सरकार हरिजन तथा पिछड़ी जातियों की दशा सुधारने के लिये प्रदेशीय स्तर पर एक बोर्ड की स्थापना करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी नहीं ।

राज्य में प्रदेशीय स्तर पर जो हरिजन तथा पिछड़ी जातियों की दशा सुधारने के लिये पहले से ही राज्य हरिजन तथा पिछड़ी जाति कल्याण बोर्ड स्थापित है ।

प्रोबेशन योजना

*२८—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस समय प्रोबेशन योजना किस-किस जिले में चली हुई है और कुल कितने प्रोबेशन आफिसर नियुक्त हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इस समय प्रोबेशन योजना निम्नलिखित ३२ जिलों में चली हुई है । राज्य में कुल ६० प्रोबेशन अफसर नियुक्त हैं :—

१—आगरा	२—अलीगढ़	३—इलाहाबाद
४—बरेली	५—देहरादून	६—बाराबंकी
७—इटावा	८—फैजाबाद	९—फर्रुखाबाद
१०—गाजीपुर	११—गोरखपुर	१२—हरदोई
१३—जालौन	१४—झांसी	१५—कानपुर
१६—लखनऊ	१७—मेरठ	१८—मुरादाबाद
१९—मुजफ्फरनगर	२०—शाहजहांपुर	२१—उन्नाव
२२—वाराणसी	२३—बुलन्दशहर	२४—देवरिया
२५—हमीरपुर	२६—रामपुर	२७—सुल्तानपुर
२८—जौनपुर	२९—सीतापुर	३०—फतेहपुर
३१—प्रतापगढ़	३२—लखीमपुर-खीरी	

*२९—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि वे इस वर्ष अन्य जिलों में भी इस योजना को प्रसारित करने का विचार रखते हैं ? यदि हां, तो कहाँ-कहां ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इस वर्ष सीतापुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़ तथा लखीमपुर-खीरी जिलों में प्रसारित कर दी गई है ।

*३०—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार के प्रोबेशन ऐक्ट, १९५० के अन्तर्गत राज्य सरकारों को जो नियम बनाने थे वे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी कृपया उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—केन्द्रीय सरकार के प्रोबेशन आफ आफेन्डर्स ऐक्ट, १९५८ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेशीय सरकार ने उत्तर प्रदेश प्रोबेशन आफ आफेन्डर्स रूल्स, १९६२ बनाये हैं और उन को भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा था । उपरोक्त नियमों पर भारत सरकार की टीकाएं (कमेन्ट्स) आ गयी हैं जिन पर विचार किया जा रहा है । इस समय जब तक ये नियम अंतिम रूप से नहीं आ जाते उन को सदन की मेज पर रखना उचित न होगा ।

*३१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—[१४ सितम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न १०३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

मेरठ जिले में हरिजनों को सहायता

*३२—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मेरठ जिले के किस-किस विकास खंड में कितनी कितनी सहायता हरिजनों के लिये दिसम्बर सन् १९६० से दिसम्बर सन् १९६१ तक दी है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना एकत्र की जा रही है ।

मिल्क बोर्ड, कानपुर

*३३—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सहकारिता मन्त्री कृपा कर यह भी बतायेंगे कि प्रदेश में कोई मिल्क बोर्ड का गठन किया गया है ? यदि हां, तो इसके अध्यक्ष व सदस्य कौन कौन हैं और उन पर प्रत्येक मा; कितना व्यय किया जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां ।

कानपुर नगर में कानपुर मिल्क बोर्ड का गठन किया गया है । इसके अध्यक्ष तथा सदस्य इस प्रकार हैं :—

१—पदेन अध्यक्ष—सचिव, सहकारी विभाग ।

२—पदेन संचालक—१—निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश ।
२—संचालक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश ।
३—संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश ।
४—श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर ।
५—मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी ।

३—समितियों के प्रतिनिधि संचालक : ११

कानपुर मिल्क बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों पर बोर्ड का कोई माहवारी व्यय नहीं होता है ।

*३४-३५—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—[हटा दिये गये]

बलिया जिले की मिडवाइव्स

*३६—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में कितनी मिडवाइफ ऐसी हैं जिनके पति भी सरकारी कर्मचारी हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—दो ।

नवीन कर

*३७—श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६२-६३ के आय-व्यय में जो तेरह करोड़ से अधिक रुपये का घाटा दिखाया गया है उसे पूरा करने के लिये राज्य सरकार ने कुछ नये करों के लगाने का निर्णय किया है ? यदि हां, तो उसका विवरण सदन को देने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

घाटे को पूरा करने के लिये सरकार ने जिन नये करों को लगाने का निर्णय किया है उनसे संबंधित निम्नलिखित विधेयक सदन में प्रस्तुत किये जा चुके हैं :—

(१) उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, १९६२,

(२) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२,

(३) उत्तर प्रदेश (नगर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२,

(४) उत्तर प्रदेश जोत कर विधेयक, १९६२,

इन में से प्रथम २ विधेयक इस सदन द्वारा पारित भी किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० और उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, १९४८ के निर्धारित दरों में कुछ संशोधन किये गये हैं जिससे वित्तीय वर्ष में सरकारी राजस्व में वृद्धि हो। नये करों के सम्बन्ध में जो अन्य निर्णय लिये जायेंगे वे भी उपयुक्त समय पर विधेयक के रूप में सदन में प्रस्तुत किये जायेंगे।

चेचक उन्मूलन योजना

*३८—श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग ने चेचक उन्मूलन की कोई योजना तैयार की है? यदि हां, तो इस योजना का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां, राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में भी चेचक उन्मूलन की योजना चलाने का निश्चय किया है। यह योजना इस वर्ष केवल १७ जिलों—देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, मेरठ, मथुरा, नैनीताल, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फैजाबाद, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया तथा आजमगढ़ में २ अक्टूबर, १९६२ गान्धी जयन्ती के शुभ अवसर से प्रारम्भ होगी। इस योजना को निश्चित तिथि से प्रारम्भ करने के हेतु १७ पैरा मैडिकल असिस्टेन्ट, ३४ हैल्थ एजूकेटर, ३२४ चेचक इन्सपेक्टर तथा १९४४ वैक्सीनेटरों की नियुक्ति की जा चुकी है और उनको प्रशिक्षण राज्य के प्रधान कार्यालय तथा जिलों के स्तर पर जोरों से दी जा रही है। योजना के लिये आवश्यक सामग्री गाड़ी तथा फार्म इत्यादि भी इन जिलों को पहुंचाई जा चुकी है।

*३९—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—[हटा दिया गया।]

कानपुर में टी० बी० अस्पताल बनाने का आयोजन

*४०—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या सरकार को पता है कि मजदूर वर्ग में तपेदिक के रोगियों का अनुपात कानपुर में दुनिया में सबसे अधिक है तथा इसी बात को ध्यान में रखते हुये कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने आज से दो वर्ष पूर्व कानपुर में एक क्षय अस्पताल बनाने की मंजूरी दी थी? यदि हां, तो उक्त क्षय अस्पताल के स्थापित करने में क्यों देर हो रही है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—तपेदिक के रोगियों की संख्या कानपुर में अधिक है, लेकिन यह कहना कठिन है कि संसार में सबसे अधिक है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सौ बेड का एक टी० बी० अस्पताल बनाने का विचार डेढ़ वर्ष से चल रहा है जिसके लिये डेवलपमेन्ट बोर्ड कानपुर ने जमीन देने को कहा था। उक्त जमीन को राज्य बीमा निगम ने मंजूर भी कर लिया था। लेकिन नगर की जनता और नगरपालिका के सदस्यों द्वारा उस जमीन पर टी० बी० अस्पताल बनाने पर एतराज हुआ, इस कारण डेवलपमेन्ट बोर्ड कानपुर उस जमीन को न बेच सका। इसलिये जागेश्वर मन्दिर के निकट दूसरी जमीन को खरीदा गया जिस पर अस्पताल की इमारत बनाने का कार्य शीघ्र शुरू किया जायगा।

*४१—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कानपुर में एक ५०० बेड वाला अस्पताल स्थापित करने की मंजूरी दी थी? यदि हां, तो उसकी जगह पर १०० बेड वाला अस्पताल क्यों बनाया गया है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—पांच सौ (५००) बेड वाला बीमा अस्पताल बनाने का कोई विचार नहीं था। केवल १०० बेड का एक बीमा अस्पताल बनाने का विचार था जो स्थापित किया जा चुका है। इस अस्पताल में १०० बेड और बढ़ाने का कार्य शीघ्र शुरू होने वाला है और इसके अतिरिक्त बीमा शुदा औरतों के इलाज के लिये एक १०० बेड वाला अस्पताल नगर महापालिका से जमीन मिलने पर बनाया जायगा।

बचत योजना से प्राप्त धन का व्यय

*४२—**श्री सुखलाल** (जिला लखनऊ)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने राज्य कर्मचारियों की सभाओं में कहा था कि बचत का धन छोटे सरकारी कर्मचारियों पर व्यय किया जायेगा ? यदि हां, तो सरकार अब तक कितना धन बचत योजना के अन्तर्गत बचा चुकी है और उसमें से कितना धन छोटे कर्मचारियों पर व्यय किया जा चुका है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जहां तक सरकार को पता है ऐसा कोई आश्वासन प्रकट रूप में नहीं दिया गया था। फिर भी यह तो सरकार का प्रयत्न रहा ही है कि प्रशासकीय व्यय में जो बचत की जा सके की जाये और साथ-साथ सरकार के छोटे कर्मचारियों के लिये भी जो कुछ किया जा सके किया जाये। बचत की निश्चित निधि और यह भी कि उसमें से कितना छोटे कर्मचारियों पर व्यय किया गया बताना बड़ा कठिन है क्योंकि बचत करना तो सरकारी मशीनरी का एक अंग ही है और यह बराबर होता ही रहता है, पर किसी निश्चित बचत को किसी निश्चित मद पर खर्च नहीं किया जाता क्योंकि ऐसा करना वित्तीय सिद्धांत के विरुद्ध है। छोटे कर्मचारियों के हित के लिये कुछ न कुछ किया ही गया है। कुछ दिन हुये उनके वेतन में ५ रु० की वृद्धि की गयी थी। उनके पेंशन के नियमों में भी कुछ सुधार किया गया है।

*४३—**श्री सुखलाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य मंत्री ने राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्रसाशनिक व्यय में बचत लाने की अपील की थी ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इस अपील पर किन्हीं अधिकारियों या कर्मचारियों ने अपने वेतन या भत्ते में कटौती की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। परन्तु अपील में कोई ऐसा अनुरोध नहीं किया गया था कि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने वेतन या भत्ते में कटौती करे। अतः इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है।

लखनऊ में कोआपरेटिव जलसे पर व्यय

*४४—**श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री कल्पनार्थसिंह** (अनुपस्थित), **श्री रियासत हुसैन** (जिला मुरादाबाद), **श्री चन्द्रजीत यादव, श्री गुप्तारसिंह** (अनुपस्थित) तथा **श्री शिवेन्द्रप्रताप** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ शहर में कैसरबाग बारादरी नामक स्थान पर दिनांक २८ जुलाई, १९६२ को जो कोआपरेटिव जलसा किया जा रहा था उस पर शासन की तरफ से कितना खर्चा किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—शासन की तरफ से कोई खर्चा नहीं किया गया।

अतारांकित प्रश्न

अलीगढ़ जिले में रजिस्ट्रेशन क्लर्कों की नियुक्ति

१—**श्री गिरवरप्रसाद** (जिला एटा) तथा **श्री हिम्मतसिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार प्रश्न संख्या ८ से १० जो प्रथम सत्र के चौथे बुधवार को पूछा गया था उसके संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि श्री सुरेशचन्द्र गुप्ता व श्री कृष्ण कुमार मिश्रा क्रमशः दूसरे व पांचवें स्थान पर अलीगढ़ में १९५८ की लिस्ट पर थे ? यदि हां, तो अब दोनों उम्मीदवार किस स्थान पर आज कल कार्य कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अलीगढ़ रजिस्ट्रेशन जिले में सन् १९५८ म रजिस्ट्रेशन क्लर्कों के ७ रिक्त पद थे। इनमें से ५ पदों के लिये पिछले सालों की लिस्ट में से उम्मीदवार उपलब्ध थे। अतः शेष २ पदों के लिये चुनाव करके ७ उम्मीदवारों की प्रावीजिनल (provisional) लिस्ट बनी। चूंकि इस लिस्ट से केवल दो ही स्थानों की पूर्ति करनी थी अतः जो व्यक्ति प्रथम स्थान पर था, एक अन्य जो अनुसूचित जाति का था उनकी नियुक्ति की गई; इस प्रकार श्री सुरेश चन्द्र गुप्त और श्री कृष्ण कुमार मिश्र की प्राथमिकता तथा अनुसूचित जातियों के लिये विशेष आरक्षण के आधार पर नियुक्ति नहीं हो सकी।

२—**श्री गिरवरप्रसाद** तथा **श्री हिम्मतसिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार उक्त प्रश्न के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त श्री सुरेशचन्द्र व श्री कृष्णकुमार मिश्रा का नाम एटा जिला लिस्ट पर किस प्रकार लाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्री सुरेश चन्द्र गुप्त और श्री कृष्ण कुमार मिश्र के नाम अलीगढ़ से एटा जिले की लिस्ट पर विभागीय स्तर पर नहीं भेजे गये। उन्होंने स्वयं एटा के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से वहां की लिस्ट में अपने नाम दर्ज कराने के लिये प्रार्थना की जिसके फलस्वरूप वे एटा रजिस्ट्रेशन जिले की लिस्ट के लिये चुन लिये गये।

३–४—**श्री भीखालाल**—[१९ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

बदायूं में बिक्री कर का बकाया

५—**कुंवर रुकुमसिंह राठौर**—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बदायूं नगर में किन-किन व्यापारियों पर १९५० से १९६२ तक का सेल्स टैक्स शेष है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बदायूं नगर के जिन-जिन व्यापारियों पर बिक्री-कर की धनराशि अवशेष है उनकी †सूची संलग्न है।

६–८—**श्री मुरलीधर कुरील**—[१९ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

९–११—**श्री केशरीप्रसाद पांडेय**—[१९ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

संक्रामक रोगों से बचाव

१२—**श्री छत्रपति अम्बेश** (अनुपस्थित)—रोगग्रस्त भिखारियों से संक्रामक व असंक्रामक रोगों से जनता को कैसे बचाया जा सके, इसके लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—संक्रामक रोगों से पीड़ित लोगों को उचित इलाज के लिये जिसमें भिखारी भी शामिल हैं उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा २८० और उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ४०६ के अनुसार अस्पतालों में पहुंचा दिया जाता है। भिखारियों के लिये कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया जाता। असंक्रामक रोगों से बचाने का कोई प्रश्न नहीं होता।

जौनपुर जिले में मलेरिया योजनान्तर्गत परिगणित जाति के कर्मचारी

१३—**श्री माताप्रसाद**—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मलेरिया उन्मूलन योजना पच्छिमी और पूर्वीय क्षेत्र जौनपुर में कुल कितने सीनियर मलेरिया इन्स्पेक्टर, मलेरिया इन्स्पेक्टर, सर्वेलेंस इन्स्पेक्टर, हाउस विजिटर एस०एफ० डब्लू०, आई० एफ डब्लू०, चपरासी और चौकीदार कार्य कर रहे हैं और उनमें कितने परिगणित जाति के व्यक्ति हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—२९५ व्यक्ति कार्य कर रहे हैं इनमें से ४७ परिगणित जाति के हैं।

---

†सूची छापी नहीं गई।

१४—श्री माताप्रसाद—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिगणित जाति वालों को सुरक्षित कोटे का स्थान न देने का क्या कारण है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—परिगणित जाति के व्यक्तियों के सुरक्षित कोटे का ध्यान बराबर रक्खा जाता है ।

गोरखपुर राजकीय संरक्षण गृह

१५—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या समाजकल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में प्रोटेक्टिव होम में केवल अनैतिक व्यापार करने वाली महिलायें रखी जाती हैं या और किसी प्रकार की भी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—गोरखपुर में स्थापित राजकीय संरक्षण गृह में अनैतिक व्यापार करने वाली महिलाओं के अतिरिक्त नैतिक आपत्ति में ग्रस्त महिलाओं को भी शरण दी जाती है ।

१६—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या समाज कल्याण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जून, जुलाई सन् १९६२ में कितनी महिलायें उपरोक्त प्रोटेक्टिव होम में रखी गईं और वे किन-किन अपराधों में पकड़ी गई थीं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जून मास में उपरोक्त संरक्षण गृह में महिलाओं की कुल संख्या १३ थी । इनमें से २ महिलायें इस मास में प्रविष्ट हुईं । वे स्वेच्छा से आई थीं ।

जुलाई मास में उक्त गृह में महिलाओं की कुल संख्या १६ थी इस मास में प्रविष्ट होने वाली महिलाओं की संख्या २ थी । २ महिलायें भारतीय दन्ड विधान की धारा ३६६ तथा भारतीय दंड विधि संग्रह की धारा १०० के अन्तर्गत तथा १ महिला स्वेच्छापूर्वक इस मास में उक्त गृह में प्रविष्ट हुई ।

१७—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या समाज कल्याण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) जो नौकर चपरासी इन होम्स में रखे गये हैं उनकी क्या उम्र है ?
(ख) उपरोक्त चपरासियों की तनख्वाहें कितने महीने से बाकी हैं ?
(ग) उपरोक्त बन्दी महिलाओं को पठन-पाठन सामाजिक शिक्षा क्या दी जाती है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—(क) इस समय इस गृह में जो चपरासी तथा चौकीदार काम कर रहे हैं उनकी आयु २३ या २४ वर्ष है ।

(ख) उपर्युक्त चपरासी तथा चौकीदार में से किसी का भी वेतन शेष नहीं है ।

(ग) इस गृह में प्रविष्ट महिलाओं को प्रारम्भिक तथा सामान्य शिक्षा व नैतिक सदाचरण की शिक्षा दी जाती है । इसके अतिरिक्त इस गृह से एक प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र भी सम्बन्ध किया गया है जहां पर इन महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, कसीदाकारी व देश का सामान बनाने शिक्षा दी जाती है ।

सहकारी दुग्ध संघ, लखनऊ

१८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—सहकारी दुग्ध संघ लखनऊ-हैदरगढ़, जिला बाराबंकी क्षेत्र से १८ छटांक के सेर से १४ रु० ५५ न० पै० फी मन की दर से खरीद करता है और लखनऊ में १६ छटांक के सेर से २४ रु० ५६ न० पै० की दर से बेचता है ? सरकार ने इस प्रकार होने वाले दोहरे बाटों के प्रयोग तथा सहकारी संघ में इस प्रकार १० रु० १ न० पै० फी मन के मुनाफे को संतुलित करने हेतु क्या कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—लखनऊ सहकारी दुग्ध संघ, हैदरगढ़ क्षेत्र, जिला बाराबंकी से १८ छटांक के सेर से १४ ० ५५ न० पै० प्रति मन की दर से दूध नहीं खरीदता है परन्तु १६ छटांक के सेर से १६ रु० प्रतिमन के भाव से खरीदता है और शहर में २४ रु० ५६ न० पै० प्रतिमन के भाव से बेचता है। अतः अंतर केवल ८ रु० ५६ न० पै० है न कि १० रु० १ न० पै० प्रति मन का है।

१९—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील हैदरगढ़ (बाराबंकी) की ६९ सहकारी ग्रामीण दुग्ध समितियों में जो व्यक्ति दुग्ध संग्रह का कार्य करते हैं उनकी नियुक्तियां कब से की गई हैं और उनके क्या नाम हैं? क्या यह बात सही है कि इनकी नियुक्ति सहकारी दुग्ध संघ, लखनऊ की ओर से की गई है और उनके वेतन का भुगतान संघ करता रहा है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तहसील हैदरगढ़ (बाराबंकी) की सहकारी ग्रामीण दुग्ध समितियों में दुग्ध संग्रह का कार्य करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके वेतन का भुगतान संबंधित सहकारी समितियां करती हैं। इन कर्मचारियों के नाम तथा उनकी नियुक्ति की तिथि से संबंधित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है इसके एकत्र करने में कुछ समय लगेगा।

२०—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—क्या सरकार बतायेगी कि सहकारी दुग्ध संघ, लखनऊ किस ऐक्ट, नियम के अनुसार कार्य करता है? क्या सरकार इस संघ की नियमावली सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सहकारी दुग्ध संघ, लखनऊ कोआपरेटिव ऐक्ट, १९१२ तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार काम करता है। संघ की नियमावली की एक प्रतिलिपि† सदन के मेज पर प्रस्तुत है।

२१—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी दुग्ध संघ में मार्च, सन् १९६२ तक कितने कर्मचारी काम करते थे उनके क्या नाम हैं जिन्हें इस संघ से वेतन दिया जाता रहा है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सहकारी दुग्ध संघ, लखनऊ में मार्च, १९६२ तक ४३८ कर्मचारी काम करते थे। उनके नामों की† सूची दी जा रही है। इन सब को संघ से ही वेतन दिया जाता रहा है।

२२—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—क्या यह बात सही है कि सहकारी दुग्ध संघ, लखनऊ ने संघ में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को कमीशन एजेन्ट के रूप में काम करने का निश्चय डेयरी वर्कर यूनियन को मान्यता मिल जाने के बाद किया? यदि हां, तो क्या यह समझा जाय कि यह इसलिये किया गया कि डेयरी वर्कर यूनियन की संख्या न बढ़ सके और संघ को बराबर मनमानी करने की छूट रहे? कोई आवाज गलत कार्यों के सम्बन्ध में न उठाई जा सके?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ दुग्ध संघ की कार्यकारिणी ने दिनांक १७-३-६२ की बैठक में वेतन भोगी कर्मचारियों के बजाय कमीशन एजेन्टों द्वारा दुग्ध वितरण करने का निर्णय अपनी विस्तार योजना को ध्यान में रखते हुये किया है। डेरी वर्कर्स यूनियन को मान्यता प्राप्त होने की तिथि की सूचना अभी तक इस संघ को प्राप्त नहीं है।

---

†छापी नहीं गई।

२३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या यह बात सही है कि मार्च, सन् १९६२ से पूर्व उक्त संघ में दुग्ध संग्रह का कार्य करने वाले कर्मचारियों का भुगतान संघ की ओर से किया जाता रहा है और अब ग्रामीण सोसाइटी की आय से भुगतान होता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। मार्च, १९६२ के पूर्व भी दुग्ध संग्रह का कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समितियों की आय से किया जाता था और अब भी समितियों की आय से किया जाता है।

२४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी दुग्ध संघ ने डेरी वर्कर यूनियन के गठन के पश्चात् ८५ व्यक्तियों को नौकरी से निकाल दिया है और कर्मचारियों ने स्थायी संराधन बोर्ड के समक्ष अपने अधिकारों की रक्षा हेतु अपील की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—लखनऊ सहकारी दुग्ध संघ ने ८५ कर्मचारियों को इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट, १९४७ के अनुसार पूरा मुआविजा देकर १-४-६२ को नौकरी से निकाल दिया है। यह भी सही है कि डेरी वर्कर्स यूनियन ने इस सम्बन्ध में स्थायी संराधन बोर्ड के समक्ष एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। इस मामले में अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। मामले की सुनवाई के लिये अगली तारीख नियत कर दी गयी है।

२५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या यह बात सही है कि सहकारी दुग्ध संघ के अधिकारियों ने स्थायी संराधन बोर्ड द्वारा निश्चित समझौते की शर्तों को ठुकरा दिया है ? यदि हां, तो बोर्ड ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह कहना उचित नहीं होगा कि सहकारी दुग्ध संघ के अधिकारियों ने स्थायी संराधन बोर्ड के द्वारा निश्चित समझौते की शर्तों को ठुकरा दिया है। वास्तव में बोर्ड के चेयरमैन ने दिनांक १६-५-६२ की बैठक में समझौते के कुछ सुझाव रखे थे जिसके अनुसार समझौता न हो सका। अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

२६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या यह बात सही है कि निकाले गये संघ के कर्मचारियों ने सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा करने की प्रार्थना की है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या-क्या कदम उठाये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सही है कि निकाले गये संघ के कर्मचारियों की तरफ से डेरी वर्कर्स यूनियन ने एक ऐसा प्रार्थना-पत्र सरकार को भेजा है। परन्तु चूंकि मामला स्थायी संराधन बोर्ड के विचाराधीन है अतः जब तक बोर्ड के चेयरमैन की रिपोर्ट और उनके सुझाव न आ जायें सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया जा सकता।

२७-२९—श्री कल्पनाथसिंह (अनुपस्थित)—[१९ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाहता हूं। जब चन्द्रजीत जी ने प्रश्न उठाया था, मंत्री महोदय के उपस्थित न होने पर, तो आपने कहा था कि मैं सुन कर निर्णय दूंगा। अब मंत्री महोदय उपस्थित हैं। उनको सुनकर निर्णय दे दें।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने खेद प्रकट कर दिया। आते ही मैंने पूछा था।

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—मैं एक सूचना चाहता हूं। २७ तारीख को आपने कहा था कि पुलिस सदन के अन्दर नहीं आयेगी, इस पर हम कल व्यवस्था दे देंगे। वह आज तक आपने नहीं दी है। आप कब देंगे ? और आप ने यह भी कहा था कि बाढ़ पर दूसरे दिन भी बहस होगी।

श्री अध्यक्ष—अभी मैं बताऊंगा।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं। अतारांकित प्रश्न २० से सम्बन्धित इसमें लिखा हुआ है कि संघ की नियमावली की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है। इसकी हमें प्रतिलिपि नहीं मिली है। मैं जानना चाहता हूं कि वह कहां प्रस्तुत है और श्रीमन्, व्यवस्था कर दें कि वह मुझे मिल जाय।

श्री अध्यक्ष—माननीय सहकारिता मंत्री, वह सदन की मेज पर आ जानी चाहिए थी। तारांकित प्रश्न संख्या २० इस प्रकार है—"क्या सरकार बतायेगी कि सहकारी दुग्ध संघ, लखनऊ किस ऐक्ट, नियम के अनुसार कार्य करता है ? क्या सरकार इस संघ की नियमावली सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?"

आपने उत्तर देते हुए कहा है कि "संघ की नियमावली की एक प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है"। यहां रखी जानी चाहिए थी। यह गलत बात है।

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—माननीय सदस्य के पास न पहुंची हो तो मैं रखवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष—अच्छा, तो रखवा दीजिएगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—श्रीमान् जी, मैं आप का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कल आश्वासन समिति का १२वां प्रतिवेदन हम लोगों को मिला, जो १३ मार्च, १९६२ को सदन की टेबिल पर रख दिया गया था। उसमें काफी देर हो गयी, जब कि नियमानुसार ६ हफ्ते के अन्दर मिलनी चाहिये। उसी तरह से जो कार्यवाही छपती है, उसको भी आप देखें। २५ मई की कार्यवाही अभी हाल में छप कर मिली है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर व्यवस्था कर दें।

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से बात कर लूं कि क्यों विलम्ब होता है। फिर जानकारी मैं दे सकूंगा।

'ऋण वितरण नियमावली*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—मैं निवास विभाग के शुद्धि-पत्र संख्या ५८१३–एच/३७—१८३–एच—५९, दिनांक १३ मार्च, १९६२ के साथ पठित विज्ञप्ति संख्या ३४९३–एच/३७, दिनांक ६ दिसम्बर, १९६१ के अधीन प्रख्यापित 'अल्प आय-वर्ग निवासन योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण नियमावली' को उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास तीन-चार सूचनायें आयी थीं। एक माननीय उग्रसेन की है। यह गोरखपुर में बाढ़ के सम्बन्ध में है। इसको मैंने अस्वीकार किया है किन्तु इसकी सूचना राजस्व मंत्री जी के पास भेज दी है और इसमें मैंने यह आदेश

* छापी नहीं गयी।

[श्री अध्यक्ष]

दिया था कि सभी नेताओं से परामर्श करके बाढ़ पर चर्चा के लिए दिन में निश्चय करने वाला हूं। तो आज सायंकाल हम लोग बैठ जायं और बाढ़ के सम्बन्ध में कब चर्चा की जाय, उसके लिये निश्चय कर लें। इसको मैंने अस्वीकार कर दिया है किन्तु माननीय राजस्व मंत्री के पास उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया है।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, इसमें हमारा तो कहना यह था, यों तो बहुत से दफा ५२ और कामरोको प्रस्ताव—गोरखपुर, देवरिया की बाढ़ के सम्बन्ध में हम दे चुके हैं, लेकिन इस समय करीब ६–७ लाख आदमी ऐसे हैं कि जो भूखे हैं और उपवास कर रहे हैं। तो वह उनके लिए विधिवत मुफ्त भोजनालय की व्यवस्था कर दें और जो बीमारियाँ फैल रही हैं, उनके लिए कोई दवाओं का इन्तजाम नहीं हो रहा है। तो यह टाइफाइड, मलेरिया वगैरह जो फैल रहे हैं इनके लिए दवाइयों का समुचित प्रबन्ध कर दें और बाढ़ शरणार्थी जो हैं उनको रेगुलर भोजन दिया जाय। माननीय कमलापति जी और माननीय राजस्व मंत्री जी दोनों उन शरणार्थी कैम्पों को देख आये हैं। तो इन दोनों चीजों की व्यवस्था पहले करा दी जाय। करीब २५–२६ लाख आदमी इस बाढ़ की चपेट में आ गये हैं और अभी जब मैं आया था तो वहाँ की हर एक नदी, डेढ़ फुट, दो फुट और साढ़े छः फुट तक खतरे के बिन्दु से ऊपर थी। लगभग ३४ मील का समुद्र बन गया है।

श्री अध्यक्ष—माननीय उग्रसेन जी, मैंने लिख दिया है कि इसे राजस्व मंत्री जी के पास उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया जाय।

श्री उग्रसेन—जरा उनको कह दीजिए कि मुफ्त भोजन और दवाइयों का प्रबन्ध पहले कर दें उसके बाद मार्ग-परिवर्तन बाद में करते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष—अब माननीय शिवनाथ सिंह का नियम ५२ के अन्तर्गत एक नोटिस आया है। यह विलम्ब से आया था, दस बजकर ५ मिनट पर। लेकिन तो भी मैंने इसे नियम ५२ के अन्तर्गत अस्वीकार करते हुए सूचनार्थ माननीय राजस्व मंत्री के पास भेज दिया है क्योंकि विषय महत्वपूर्ण है।

फिर माननीय ऊदल जी ने एक प्रश्न उठाया है और इस सम्बन्ध में माननीय रामचन्द्र विकल जी का एक अल्पसूचित ताराँकित प्रश्न मेरे पास आया था जिसको मैंने स्वीकार किया है। जो सुविधायें पिछड़े वर्ग को पुलिस में भर्ती होने के लिए उनकी उम्र के सम्बन्ध में प्राप्त थीं, वह शायद समाप्त कर दी गई हैं, उसी के सम्बन्ध में वह प्रश्न है और चूंकि आज ही अन्तिम दिवस विभाग में प्रार्थना-पत्र देने का है इस कारण से इसको लेने से कोई लाभ नहीं था....

श्री ऊदल—लेकिन अभी चुनाव का दिन तो बाद में आयेगा, इसलिए फायदा तो हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—मेरा आदेश तो सुन लीजिए। इस सम्बन्ध में मैंने यह आदेश दिया है कि इस सम्बन्ध में अल्पसूचित ताराँकित प्रश्न आ चुका है। मंत्री जी के पास यह सूचना भी भेज दी जाय ताकि वह सदन में पूरी सूचनायें दे सकें। मैं उनसे चाहूंगा कि शुक्रवार तक अगर यह सूचना दे दें तो जो उद्देश्य है वह पूरा हो जायगा।

एक माननीय नरसिंह नारायण पाण्डेय का है और एक माननीय चन्द्रजीत यादव जी का है और माननीय सूरजलाल गुप्ता का भी है। वह इस प्रकार है "बोर्ड आफ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट ने जो पुनस्संघटन स्कीम हाई स्कूल और इंटर कक्षाओं में वाद्य संगीत (इंस्ट्रुमेंटल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

म्यूजिक) के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार के पास मंजूरी हेतु भेजा है उसके मंजूर होने पर १० हजार से ऊपर लड़कियों को वाद्य संगीत की शिक्षा नहीं मिल पायेगी और इस कार्य में रत ४०० अध्यापकों का जीवन खतरे में पड़ जायगा।"

तो ऐसी सम्भावना है अगर राज्य सरकार उसे स्वीकार कर ले, यह माननीय सदस्य का खयाल है। मैंने उसमें लिख दिया है कि अल्पसूचित ताराँकित प्रश्न द्वारा यह बात पूरी हो सकती है।

इसी प्रकार से गोंडा जिले में एक नाव-दुर्घटना के सम्बन्ध में है जो वहाँ पर उलट गई है। उसमें कुछ लोग डूब गये हैं। लेकिन यह विषय नियम ५२ का नहीं है। इसमें बहस करके कोई बात पैदा नहीं होगी। आप अल्पसूचित ताराँकित प्रश्न कर लीजियेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें ८०–८५ आदमी सवार होकर जा रहे थे। जो लोग वहाँ पर घाट पर थे उनकी लापरवाही के कारण यह नाव उलट गई है। आज सही पता नहीं चल सका है कि कितने आदमी उसमें डूबे हैं, लेकिन यह सही है कि ४० से अधिक आदमी इसमें मरे हैं। मैं समझता हूं इसमें गवर्नमेंट को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये। मैं समझता हूं सरकार से आप कहें कि इसके ऊपर वह अपना एक बयान दे कि कितने लोग उसमें मरे।

श्री अध्यक्ष—देखिये, अल्पसूचित ताराँकित प्रश्न का मतलब यही है कि आप कोई महत्वपूर्ण विषय पर, जो अविलम्बनीय हो, प्रश्न कर सकते हैं। इसके ऊपर नियम ५२ के अन्तर्गत बहस करने से कोई लाभ नहीं हो सकता है। यह तो सूचना में कहा गया है कि घाट पर दुर्व्यवस्था के फलस्वरूप यह दुर्घटना हुई है। अगर दुर्व्यवस्था हुई है तो आप प्रश्न दूसरा पूछ लें, पता लग जायगा।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दफा ५२ में मैंने भी दिया है। वहाँ पर एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। १० हजार शिक्षार्थी लड़के और लड़कियाँ, जो कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लेकर इन्टरमीडियेट में बैठते थे उन पर असर पड़ रहा है। इसलिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और नियम ५२ के अन्तर्गत इस पर माननीय मंत्री जी का वक्तव्य होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैंने उसमें लिख दिया है कि सरकार के पास सुझाव गया है और अब यह बात सरकार के फैसले के अधीन है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—सरकार उस पर आदेश देने जा रही है या दे चुकी है, यह बात स्पष्ट होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैंने कह दिया है कि वह सरकार के पास गया है।

श्री काशीनाथ मिश्र, सोशलिस्ट पार्टी सदस्य के निलम्बन काल को समाप्त करने का प्रस्ताव

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री से आपके द्वारा यह अपील करना चाहता हूं कि माननीय काशीनाथ का एक महीने के लिये निष्कासन हुआ था। यह घटना अशोभनीय हुई जिसका मुझे भी दुख है। माननीय मुख्य मंत्री का प्रस्ताव था तो उनको एक मास के लिये निलम्बित कर दिया गया। माननीय मुख्य मंत्री बहुमत दल के नेता हैं और सदन के भी नेता हैं। मेरी उनसे अपील है कि जितना दण्ड उनको दिया जा चुका उसको मैं पर्याप्त समझता हूं और अब उस प्रस्ताव को समाप्त कर दिया जाय। जितना दण्ड उनको

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

दिया जा चुका है उसको पर्याप्त समझ कर बाकी समय के लिये उनको सदन में आने की आज्ञा होनी चाहिये। यह अपील मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से करता हूं और मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मुझे भारी दुख होता है जब कि मैं कभी इस सदन में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लाता हूं कि अमुक व्यक्ति को इतने समय के लिये इस सदन से निलम्बित किया जाय। उस दिन भी जब मैंने वह प्रस्ताव इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था तो मुझे भारी वेदना थी। उस वेदना के सम्बन्ध में कई मर्तबा इसी प्रकार से मैं अपने विचार प्रकट कर चुका हूं। मैं कभी अपने साथियों के सिलसिले में चाहे वे इधर बैठते हों या उधर बैठते हों, कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहता जो कि मेरे लिये यह समझा जाय कि मैं कोई उनके प्रति विन्डिक्टिव होना चाहता हूं। यदि नेता विरोधीदल यह चाहते हैं कि जो प्रस्ताव, मैंने उस दिन एक महीने के निलम्बन के लिये प्रस्तावित किया था और जिसमें हमारे वह साथी, माननीय काशीनाथ जी, निलम्बित किये गये थे, उस प्रस्ताव को समाप्त कर दिया जाय तो उन्होंने जो अपना प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसको सहर्ष स्वीकार करने के लिये उद्यत हूं और आप से भी प्रार्थना है कि वह अब माफ किये जायं इस आशा के साथ कि इस सदन में फिर ऐसा कोई अवसर उपस्थित नहीं होगा कि जब हमें किसी साथी को इस सदन में निलम्बित करना पड़े।

मैं विभिन्न दलों के नेताओं से भी यह नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस कार्य में जब कभी हमारे नौजवान साथी जोश में आकर भूल भी कर बैठें तो उन्हें संतुलित ढंग से सदन में काम करने के लिए प्रेरित करें कि जिससे इस सदन का वातावरण बिगड़े नहीं और इस सदन में स्वस्थ परम्परायें बनें। मैं फिर से विरोधी दल के नेता का जो प्रस्ताव है उसे आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं और सदन से आपके द्वारा यह प्रार्थना करता हूं कि जो निलम्बन उनका एक महीने का हुआ था अब वह समाप्त किया जाय और उन्हें सदन में आने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि माननीय काशीनाथ मिश्र के विरुद्ध निलम्बन आज्ञा, जो १ मास के लिये दी गयी है, वह आज समाप्त की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर विधेयक, १९६२ पर विचार होगा।

श्री उमाशंकर (जिला वाराणसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर विधेयक, १९६२ विचार करने के लिये सदन में पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं और चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया जाय और उसको उसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और वह अपने रिपोर्ट १० दिन के अन्दर दे।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी गाँधीवादी हैं और राष्ट्रपिता की तस्वीर के ठीक सामने इस सदन में बैठते हैं। मुझे इस बात का दुख है कि उन्होंने यह विधेयक पेश किया, क्योंकि उनके इस विधेयक को पेश करने से हमारे राष्ट्रपिता की आत्मा को गहरी ठेस लगी होगी, क्योंकि राष्ट्रपिता दरिद्रनारायण के बड़े समर्थक थे और हमारे माननीय मंत्री जी का नाम

---

*२१ अगस्त, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

†४ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही से।

विचित्र नारायण है। इस विधेयक के पेश करने से आज उनका नाम सार्थक हुआ। गाँधी जी के चेले होते हुए भी जो उन्होंने विचित्रता दिखलायी है कि इस विधेयक को पेश कर गाँधी जी के उसूलों के खिलाफ....

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य से मैं यह निवेदन करूंगा कि व्यक्तिगत आलोचना प्रस्तुत करने से किसी का कुछ लाभ नहीं होता, चाहे वह श्री विचित्र नारायण हों या न हों। इसमें कोई लाभ नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि एक दूसरे पर आरोप लगाने से इस सदन की शोभा और इसका गौरव नहीं बढ़ता। इसलिये कृपा कर आप विषय पर ही बोलें।

श्री उमाशंकर—मैं विषय पर ही आ रहा हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—शर्मा जी से ऐसी आशा नहीं थी, इसलिये माननीय सदस्य ऐसा कह रहे हैं।

श्री उमाशंकर—बात यह है कि माननीय मंत्री जी गांधी के चेले हैं और गांधी जी के नेतृत्व में जो लोग थे उनमें उनका स्थान पहली पंक्ति में था, ऐसे लोगों में कि जो गांधी जी के पक्के अनुयायियों में कहे जाते हैं और जो यह विधेयक पेश किया गया है उस से गरीबों पर कर भार लद रहा है। चूंकि वे ठीक राष्ट्रपिता की तस्वीर के सामने बैठते हैं, अब इस विधेयक के पेश करने में उनकी आत्मा को ठेस लग रही है और इसीलिये मुझे कहना पड़ रहा है कि वे वास्तव में "विचित्रनारायण" हैं। वैसे मैं शर्मा जी की बड़ी इज्जत करता हूं। शर्मा जी को इस बिल के पेश करने से पहले त्याग-पत्र दे देना चाहिये था, वरना घोषित करना चाहिये था कि वे गांधी जी के अब अनुयायी नहीं हैं।

माननीय शर्मा जी ने यह बिल पेश किया है और इसके समर्थन में उन्होंने जो सबसे बड़ी दलील दी वह यह है कि पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये धन की आवश्यकता है, जिससे देश, प्रान्त की समृद्धि हो और उसका विकास हो। इसके लिये धन की आवश्यकता है। बजट की कमी को पूरा करने के लिये उन्होंने इसको पेश किया है। लेकिन श्रीमन्, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनायें बीत गई हैं और जिसके लिये करोड़ों रुपया खर्च किया गया तो क्या उन पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार जो टारगेट (कोटा) थे वे पूरे हो गये ?

मैं आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना का एक उदाहरण देता हूं। उसमें "अधिक अन्न उपजाओ" की योजना थी जिस पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया, परन्तु आज भी हमारा देश अन्न के मामले में आत्म निर्भर नहीं है। आप सिंचाई और बाढ़ को लीजिये। उसके साधनों के लिये उन योजनाओं में भी करोड़ों रुपया खर्च किया गया, लेकिन आज भी हमारे देश में सिंचाई के साधनों की कमी है। बहुत से खेत सूखे रह जाते हैं तो कहीं वर्षा से डूब जाते हैं।

हमारे नियोजन मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था विधान परिषद् में, कि हम जो अपनी योजनाओं में टारगेट रखते हैं, वह अपूर्ण रह जाते हैं और रुपया बच भी जाता है जो बाद में लैप्स हो गया था क्योंकि हम सही माने में खर्च नहीं कर पाते हैं। ऐसी हालत में मैं यह कहता हूं कि आप अपने बजट की कमी दिखलाकर गरीब जनता के ऊपर टैक्स लगाते जा रहे हैं, यह कहां तक उचित है, मेरी समझ में नहीं आता। आप पंचवर्षीय योजनाओं के नाम पर धन एकत्र नहीं कर रहे हैं, आप देश के विकास के लिये टैक्स नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आप का मतलब कुछ और ही है। यह हम लोग ही नहीं कह रहे हैं, किन्तु आप के ही पार्टी के कांग्रेस जन भी कहते हैं। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि कानपुर शहर में माननीय ऋषि जी जो एम० पी० हैं, उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के सामने एक वक्तव्य दिया है। उसमें यह है कि स्वराज्य होने के बाद से भ्रष्टाचार और बढ़ा है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। पर यदि हम यह बात कहें तो कहा जायगा कि चूंकि विरोधी पार्टी के लोग कह रहे हैं,

[श्री उमाशंकर]

इसलिये गलत है । अब यह बात आप ही के दल के कांग्रेसी लोग ही कह रहे हैं । आप पंच-वर्षीय योजनाओं के नाम पर जनता के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं । फिर भी आप और टैक्स बढ़ाने की बात कहते हैं । हम यह चाहते हैं कि जो आप टैक्स लगा रहे हैं वह न लगाया जाय ।

श्रीमन्, टैक्स लेने के कुछ विशेष सिद्धान्त होते हैं । टैक्स हमारी भारतीय संस्कृति में बताया गया है कि किस प्रकार से लिया जाय । हमारे मंत्री महोदय तो भारतीय संस्कृति के पोषक हैं । हमारे यहां लिखा है कि जनता से कर उस रूप से लिया जाना चाहिये जैसे सूर्य कर लेता है कि किसी को तकलीफ नहीं पहुंची और सब पानी सोख लेता है । बाद में इन्द्र भगवान वर्षा कर सबको जल देकर पालता है, इसी प्रकार जनता से सरकार को कर लेकर मनुष्य को सुख देना चाहिये । ऐसा टैक्स नहीं लिया जाना चाहिये जिसे जनता को देने में तकलीफ हो । टैक्स के रुपये का सदुपयोग भी होना चाहिये जिससे जनता सुखी और प्रफुल्लित हो । आज क्या हो रहा है ? टैक्स दिन पर दिन लगाये जा रहे हैं पर वे जनता के लाभ के लिये नहीं है । आज टैक्स मंत्रियों की शान बढ़ाने के लिये, और उनके लिये तरह-तरह के ऐशोइशरत के सामान मुहइया करने के लिये लगाये जा रहे हैं । हमारे पूज्य बापू, राष्ट्रपिता कहा करते थे कि हमारे देश में मंत्री एक किसान का लड़का होना चाहिये, जो कि जनता के दुखों को समझ सके । आज मंत्रियों के लिये शीत-ताप वातानुकूलित बंगले और मोटरों का प्रबंध किया जाता है पर जनता भूखी मरती है, सड़कों पर रहती हैं । यह जनता के प्रतिनिधि जनता की भलाई नहीं कर रहे हैं, यह तो अपने ही आराम में फंसे हैं । आज हमारे देश में किसानों और गरीब जनता के पास खाने को अन्न और पहनने को कपड़ा नहीं है और जनता रिक्शा चलाने जैसे अमानवीय साधनों से अपनी जीविका अर्जित करती है, तो यह कहां तक उचित है ? आज हमारे देश में माताओं और बहनों को अपना पेट पालने के लिये अपना सतीत्व तक बेचना पड़ता है, वहां हमारे मंत्रियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती । श्रीमन्, आप को मालूम होना चाहिये कि यह टैक्स जो लगाये जा रहे हैं यह जनता के समृद्धि के लिये नहीं, बल्कि मंत्रियों के ऐशो-आराम के लिये लगाये जा रहे हैं और आप कहते हैं कि देश के विकास के लिये, प्रान्त के विकास के लिये धन दें । आप देखें कि जो बिल पेश किया गया है इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा ? बड़े-बड़े आदमी तो अछूते छोड़ दियेगये हैं । शहरों में वह बड़े आदमी जो व्यापार करते हैं, जिनके पास सैकड़ों मकान हैं, उनसे नहीं लिया जायगा बल्कि वह किरायेदार, जो विधवा है, कुली हैं, अपाहिज हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, जो देहातों से भुखमरी के कारण शहरों में आकर इन्सान होकर हैवान की जिन्दगी बसर कर रहे हैं, वह जब शहरों में झोपड़ियों में रहेंगे तो उन पर टैक्स लग जायगा । और ऐसे टैक्सों से भी देश की बेकारी दूर होती, भुखमरी दूर होगी और गरीबों को रोजी मिलती तो शिकायत न होती, लेकिन सरकारी आंकड़ों से साबित है कि देश में गरीबी, भुखमरी, बेकारी बढ़ रही है, राहजनी और डकैती बढ़ रही है, कत्ल बढ़ रहे हैं और ऐसे राज्य में जिसको रामराज्य कहा जायगा, अगर यही बढ़ाने के लिये यह टैक्स बढ़ाया जा रहा है तो हम समझेंगे कि यह विकास किसी हालत में नहीं और शर्मा जी को बापू जी की आत्मा के सामने जवाब देना पड़ेगा । क्या इसीलिये उन्होंने कुर्बानी की थी ? क्या इसीलिये हमारी माताओं-बहिनों ने माथे के सिंदूर को धोया था कि राष्ट्रपिता के चेले शर्मा जी जब गद्दी पर बैठेंगे तो किसानों और गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा टैक्स के रूप में जो लिया जायगा उसका इस तरह से दुरुपयोग होगा ? हम उनसे अपील करेंगे कि या तो इस बिल को लौटा लें या त्याग-पत्र दे दें । आज जनता धोखे में है । वह समझती है कि शर्मा जी राष्ट्रपिता बापू के शिष्य हैं, इसीलिये उन्होंने उनको वोट दिया था कि वह बापू के हिमायती हैं और उनके पदचिह्नों पर चलने वाले हैं, इसलिये गरीबों के हित की बात करेंगे, लेकिन गद्दी पर बैठ कर शर्मा जी उस बात को भूल गये....

श्री अध्यक्ष—माननीय उमाशंकर जी, मैंने निवेदन किया था कि किसी मंत्री को संबोधन करके.....

श्री उमाशंकर—ठीक है । तो मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस बिल को वापस कर लें । काशी, मथुरा, प्रयाग में ऐसी-ऐसी विधवायें रहती हैं, जो कि दूसरे प्रान्तों से आकर ईश्वर की आराधना में अपना शेष जीवन व्यतीत करती हैं । वह भी किरायेदार हैं उनको भी मंत्री जी ने कर के बिना नहीं छोड़ा है । उनको १०–१५ रुपये ही जीविका का उपार्जन के लिये मिलते हैं, तो इस महंगाई के जमाने में किसी तरह उनकी गुजर-बसर होती है । इस बिल में एक ऐसी सूची दी गयी है, जिन नगरपालिकाओं के ऊपर टैक्स लगाया जायगा, लेकिन ऐसी म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरियाज और नोटिफाइड एरियाज बच गये हैं, जिन के संबंध में कहा गया है कि बाद में सरकार उनके संबंध में आज्ञा जारी करेगी। आप सोचें कि बहुत से ऐसे नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया हैं, जहां किसान लोग रहते हैं, लेकिन थोड़े से लोगों ने बाजार लगा लिये हैं और वह नगरपालिकायें बन गई हैं । लेकिन आज उन्हें इस बिल से अपने खेतों पर भी टैक्स देना पड़ेगा तो इस तरह उन पर दोहरा टैक्स पड़ जायेगा । एक तो वे मालगुजारी देंगे और दूसरे जमीन का टैक्स देना पड़ेगा । इस तरह से यह बिल बिलकुल अपूर्ण है और अगर यह बिल यहां सदन में पास होता है तो यह रामराज्य का टैक्स न होगा, रावण राज्य का टैक्स होगा । जिस तरह से रावण ने ऋषियों आदि का खून चूसा, टैक्स लगाया और फल-स्वरूप वह खुद ही नष्ट नहीं हुआ बल्कि उसके सारे वंश का ही नाश हो गया माननीय मंत्री जी इस पर सोच लें । अगर यह बिल पास हुआ तो उनको ही यह गद्दी नहीं छोड़नी पड़ेगी, उनके सभी साथियों की भी यह गद्दी छिन जायेगी । इसलिये वे हमारे लिये नहीं, गरीबों के लिये नहीं, बल्कि अपनी गद्दी को बनाये रखने के लिये इस बिल को वापस ले लें या इसको प्रवर समिति में भेजें जिससे इस बिल की खामियों पर वहां विचार-विनिमय हो सके । बहुत से कांग्रेस पक्ष के लोग ही इस बिल के खिलाफ हैं और उनके भाषण भी उसके विरोध में हुये हैं । अगर खंडों पर विचार होगा तो उससे व्यर्थ में सदन का समय बरबाद होगा और जनता के पैसे का दुरुपयोग होगा । इसलिये इस बिल की खराबियों को दूर कर एक ऐसा बिल यहां पेश होना चाहिये जिससे कि गरीबों पर टैक्स का बोझ न पड़े । हम यह जरूर चाहते हैं कि मंत्री जी को कुछ पैसा जरूर मिल जाय । मगर इस बिल की कमियों को दूर किया जाना चाहिये । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जाय जो १० दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दें ।

*__श्री कमलासिंह यादव__ (जिला गाजीपुर)—अध्यक्ष महोदय, जो बिल यहां सदन में प्रस्तुत हुआ है उसको मैंने शुरू से आखिर तक पढ़ा है और मुझे यह ताज्जुब हुआ कि हर जगह प्रदेश में अमीर और गरीब के दो भाग हैं, उनमें फर्क रखा गया है, मगर इस विधेयक के अन्दर अमीर और गरीब में कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है । हमेशा जो भी टैक्स लिया जाय उससे यह नियम होना चाहिये कि टैक्स उसी आदमी से लिया जाय जो उस टैक्स को अदा कर सके; जिसकी इतनी आमदनी न हो कि वह टैक्स दे सके, उससे टैक्स वसूल नहीं किया जाना चाहिये । इस बिल के अन्दर हम यह चीज नहीं पाते । आज हम देखते हैं कि लोग खेती छोड़ कर, गांव छोड़ कर शहरों में आकर रिक्शा चलाकर अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं और एक टूटी-फूटी झोपड़ी डाल कर रहते हैं । छोटी-छोटी कोठरियों में रहते हैं । इस विधेयक के जरिये उन लोगों से भी टैक्स लिया जायेगा । जैसा कि और विधेयकों के अन्दर डिस्टिंक्शन है कि गरीबों को टैक्स से बरी रखा जाय और अमीरों से टैक्स लिया जाय, वह भावना इस विधेयक के अन्दर नहीं रखी गयी है । इसके अन्दर आप देख रहे हैं कि गरीब लोग जो किराये का मकान लेकर रहते हैं और किसी प्रकार से अपनी जिन्दगी बसर करते हैं, उनके ऊपर यह भार डाला जा रहा है, उनके किराये पर भी टैक्स लगाया जा रहा है । यानी एक तरीके से उनको बाध्य किया जा रहा है कि वह टैक्सों को छिपायें । सरकार को चाहिये था कि वह इसमें कुछ डिस्टिंक्शन रखती और वह यह कि जो लोग ५० रुपया महीना किराया देते हैं या जिनसे साल में ६०० रुपया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

आमदनी होती है उन पर यह टैक्स न लगाया जाता, लेकिन आज इस हथियार द्वारा सब के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि यह कहां तक उचित है।

जिस वक्त यह विधेयक आया तो मेरा ध्यान अपने जिले गाजीपुर की ओर गया। वहां पर म्युनिसिपैलिटी है। उसके ऊपर गवर्नमेंट का ३ लाख रुपया कर्ज है। यह म्युनिसिपैलिटी सुपरसीड हो गयी थी, सरकार के हाथ में थी, लेकिन फिर भी कर्जा अदा नहीं हुआ। चुनाव के बाद उसका शासन म्युनिसिपिल बोर्ड कर रहा है। हम देखते हैं कि उसने १८-१९ प्रतिशत हाउस टक्स लगाया है। अभी माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने श्री जगदीश शरण अग्रवाल जी के प्रश्न के उत्तर में जो कागजात पेश किये उनमें बताया गया है कि इतनी धनराशि की वसूली की जायगी जब कि कर की दर ३ प्रतिशत से १६ प्रतिशत तक होगी। मेरा यह खयाल है कि माननीय मंत्री जी को बिल उन्हीं टाउन एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड्स में लागू करना चाहिये था जहां पर ३ प्रतिशत से १६ प्रतिशत टैक्स मकानों पर लगाया गया है। लेकिन गाजीपुर में जहाँ कि १८-१९ प्रतिशत टैक्स मकानों पर लगाया गया है और वहां १० प्रतिशत आप और लगा देंगे तो यहां के लोगों की क्या हालत होगी? १८ प्रतिशत में ही उनकी हालत यह है कि बहुत से लोगों के खिड़की और दरवाजे निकल चुके हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने किसी अधिकारी से इस बात का पता लगायें कि कितने दरवाजे और खिड़कियां टैक्स की वसूली में निकाल लिये गये हैं। ऐसी हालत में मेरा विचार है कि इस टैक्स से गाजीपुर जिले को बे बरी करने की सोचेंगे।

इस विधेयक में यह भी बताया गया है कि असेसमेंट और वसूली के लिये एक अलग एजेन्सी कायम की जायगी। कहीं यह भी दिया हुआ है कि म्युनिसिपैलिटी और टाउन एरिया को रुपया वसूल करने के लिये ५ प्रतिशत दिया जायगा। इसके अलावा अभी तक म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज में १० साल के बाद असेसमेंट हुआ करता था, लेकिन इस विधेयक के जरिये से ५ साल किया जा रहा है। इस सरकार का असेसमेंट डिपार्टमेंट अलहदा होगा और म्युनिसिपैलिटी वगैरह का अलग होगा। यह तो एक प्रकार से क्लाइव का दोहरा प्रबंध हो गया और इसके क्या-क्या दुष्परिणाम होंगे, वह तो सदन के माननीय सदस्य समझ ही सकेंगे। इसलिये मेरा सुझाव है कि जहां पर टाउन एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड्स में हाउस टैक्स लागू हैं और उनके जरिये से सालाना वैल्युएशन होता है, उनका जो वर्ष या महीना असेसमेंट का हो उसको उसी रूप में सरकार मान ले, नहीं तो कन्फ्यूजन पैदा हो जायगा और उसका नतीजा यह होगा कि लिटीगेशन बहुत बढ़ जायगा और लोगों की परेशानी भी बढ़ जायगी। हमारे जिले के म्युनिसिपल बोर्ड में अभी एक साल पहले असेसमेंट हुआ है, अगर वहां सरकार के द्वारा फिर असेसमेंट किया गया तो लोगों को फिर से परेशानी होगी और लिटीगेशन बढ़ेगा, और जनता के सिर पर एक जहमत फिर से सवार हो जायगी।

इसके अलावा यह भी इस बिल में दिया हुआ है कि यह टैक्स लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल किया जायगा। अब जहां भी कोई टैक्स लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल किया जाता है वहां ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि अगर उसमें डिले हुई तो किसी तरह की पनिशमेंट दी जायगी, लेकिन इसमें पनिशमेंट दी जा रही है। जो टैक्स लगाया जायगा उसका दसवां भाग उसके अलावा देना होगा। मैं समझता हूं कि यह न्यायसंगत नहीं है। एक ओर तो हमारे ऊपर इस प्रकार से यह टैक्स लादा जा रहा है जिसके लिये कोई साधन नहीं है कि किस तरीके से उसको अदा किया जायगा, उसके अलावा भी डिफाल्ट के रूप में और एक टैक्स इस टैक्स पर वसूल किया जा रहा है।

एवीडेंस ऐक्ट में अभी तक यह लिखा हुआ है कि अगर किसी शख्स को कोई डाक्यूमेंट पेश करने की आज्ञा दी जाय और वह पेश न करे तो अधिकारी स्वयं उसके बारे में प्रीज्यूम करेगा, लेकिन इस ऐक्ट में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई डाक्यूमट पेश न किया जाय तो उसको ५० रुपया पेनाल्टी देनी होगी। यह अनुचित बात है। मेरा खयाल है कि इसके लिये कानून

है, वही काफी है। जो कोई आदमी मकान बनाता है या मोल लेता है उसकी बाकायदा रजिस्ट्री होती है और अगर टैक्स से ताल्लुक उसका है तो म्युनिसिपल बोर्ड मौजूद है, इसलिये जितने भी कागजात तलब किये गये हैं वे वहां से प्राप्त किये जा सकते हैं। फिर भी मेरी समझ में नहीं आता कि यह क्यों रखा गया है। मेरी राय में यह ५० रुपये की पैनाल्टी और वसूल करने का जो तरीका है वह बड़े शर्म की चीज है।

माननीय मंत्री जी जरा इसको देखें कि इसके अन्तर्गत जो अधिकारीवर्ग रखे जायेंगे उन पर वे २० लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं। मेरा खयाल है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। म्युनिसिपल बोर्ड वगैरह से ही इस रुपये को वसूल करा लिया जाय तो कर का २० लाख रुपया आसानी से बच सकता है। एक ओर तो सरकार के द्वारा सेविंग्स की बात कही जाती है और दूसरी ओर इस प्रकार से रुपया बेकार खर्च किया जा रहा है। इस तरह से यह रुपया बचाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, असेसमेंट के सिलसिले में यह देखा गया है और यह नियम है कि जब किसी के नाम असेसमेंट किया जाता है, उसको उस असेसमेंट की नकल भी दी जाती है और अपील का मौका होता है या फाइनल होता है तो उसकी फ्री कापी दी जाती है। लेकिन इस विधेयक के अन्दर इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि किसी आदमी का मकान एसेस किया जायगा तो उसकी फ्री कापी उसे दी जायेगी। नतीजा यह होगा कि उस आर्डर की नकल लेने में कितना रुपया लोगों का खर्च होगा और कितना करप्शन होगा, इस बातको सभी लोग जितने माननीय सदस्य हैं, जानते हैं। मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी कम से कम इतना अवश्य कर दें कि असेसमेंट जो पहले शुरू में किया जायगा, जो प्रपोजल होगा उसकी फ्री कापी दी जाय और फाइनल जो हो उसकी भी फ्री कापी दी जावे और उसके बाद जब जब अदालतों में उसका फाइनल हो या कोई भी आर्डर हो उसकी भी फ्री कापी देने की कोशिश करें।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि असेसमेंट जिसके ऊपर हो उसकी पर्सनल सर्विस होनी चाहिये। अगर पर्सनल सर्विस न होगी तो कोई आदमी बाहर गया होगा और उसके मकान पर चिपका देने से ही उसे उसकी सर्विस मान ली जायगी और इसी तरीके से किसी बच्चे से दस्तखत ले लिया गया और उसे ही सर्विस मान लिया गया तो बड़ी दिक्कत होगी और मकान मालिकों की परेशानी बढ़ जायेगी कि वह उस पर किसी तरह का एतराज कर सके। ऐसी चीजों के लिये मेरा सुझाव है कि कापी फ्री दी जाये और पर्सनल सर्विस की जावे।

तीसरी चीज मुझे यह कहनी है कि इसमें कलेक्टर के यहां अपील करने की बात है जिसके लिये पहले ही दो-तिहाई टैक्स जमा करना होगा। श्रीमन्, जरा सोचें आप कि हमारे ऊपर तो पहले ही से इतना टैक्स लदा हुआ है जिसे हम अदा नहीं कर पाते, फिर अगर हमारे साथ बेइमानी हो या किसी तरह की गड़बड़ी हो तो बिना दो-तिहाई टैक्स जमा किये अपील में नहीं जा सकते। मेरी समझ से यह उचित नहीं होगा कि पहले ही दो-तिहाई ऐडवांस ले लिया जाय। यह कहां का न्याय है ? इस तरह का प्रोविजन जो इस विधेयक में रखा गया है वह उचित नहीं है।

एक सब से बड़ी खतरनाक चीज जो इस विधेयक में हमें देखने को मिली, वह यह है कि जो म्युनिसिपैलिटीज या टाउन एरियाज आज असेसमेंट करती हैं उसको सिविल कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है और किया जाता है, लेकिन इस विधेयक के अनुसार जो असेसमेंट होगा उसे सिविल कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकेगा। आज म्युनिसिपल बोर्ड्स के अन्दर यह नियम है कि सिविल कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—क्या म्युनिसिपल ऐक्ट में यह है ?

श्री कमलासिंह यादव—जी हां। तो इस तरीके से जब म्युनिसिपल टैक्स के बारे में सिविल कोर्ट में आज हम चैलेंज कर सकते हैं तो क्या वजह है कि इस विधेयक के अनुसार हम सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते और उस वक्त जब कि एनुअल वैल्यू टैक्स लगाने का

[श्री कमलासिंह यादव]

म्युनिसिपल बोर्ड्स व टाउन एरियाज में वही है ? जो चीजें मैंने अभी डिस्कस की हैं बगैर प्रवर समिति में गये इस विधेयक में हम कुछ सुधार नहीं कर सकते । ऐसे और भी बहुत से अमेंडमेंट्स हैं, जैसे छावनी को इसमें बरी कर दिया गया है । तो मैं समझता हूं कि इन सारी बातों पर विचार करने के लिये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय, ताकि जितने भी अमेंडमेंट्स व सुझाव दिये गये हैं उन पर वहां ठीक प्रकार से प्रकाश डाला जा सके और फिर इस विधेयक को सदन के सामने ठीक रूप में प्रस्तुत किया जा सके । इससे समय की भी बचत होगी ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष—आप जरा धीरे-धीरे बोलियेगा और जल्द खत्म कीजियेगा ।

श्री लखपतराम शर्मा—श्रीमन्, मैं इस चीज का समर्थन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय । इस बिल का जनता पर और प्रदेश पर जो प्रभाव पड़ेगा वह माननीय मंत्री जी और सदन पर पूरे तौर पर जाहिर है, इसमें बड़े से बड़े अमीरों के मकानों से लेकर गरीब का छप्पर तक शामिल कर दिया गया, गरीब मजदूरी करके भी रोटी खाने वाले तक को यानी किसी को भी इस में बख्शा नहीं गया है । आज बहुत से मालिक मकान ऐसे हैं कि जिन को कोई आय नहीं है और वह फर्ज कीजिये कि २०० रुपये की मासिक आय से किसी तरह से इस मंहगाई के जमाने में अपनी और अपने बाल-बच्चों की गुजरबसर करते हैं । आज इस मंहगाई के जमाने में वह लोग जो २०० रुपया मासिक केवल किराये की आय रखते है वह कोई बड़े खुशहाल लोग नहीं कहे जा सकते, वह किसी तरह से इतने में अपने परिवार का खर्च चलाते हैं । इसी तरह से किरायेदार की दशा तो और भी खराब है । आज इस प्रदेश में जो गृह-कर और जल-कर नगरपालिकाओं का है वही यहां की जनता नहीं दे पाती और इन करों की वसूली के सम्बन्ध में कितनी ही दिक्कतें इन लोकल बाडीज के सामने उपस्थित हैं ।

हमारी ५ महानगरपालिकायें और ६७ नगरपालिकायें ५७ लाख रुपया प्रति वर्ष गृह-कर वसूल कर रही हैं और आप इस कर से २ करोड़ का प्रति वर्ष अन्य भार जनता पर लादने जा रहे हैं । मेरा तो माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि यदि वह इस बात का एलान कर दें कि यह टैक्स ५ साल के लिये ही तृतीय योजना को सफल बनाने के लिये लगाया जा रहा है बजाय इसके कि इस प्रदेश के लोगों के दिमाग में यह चीज डाली जाय कि इस धन से प्रदेश की हर प्रकार की उन्नति और सुधार होगा यदि ऐसा हो तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रदेश के लोग रुपया तो क्या अपना खून तक देने को तैयार हो जायंगे, लेकिन उन्हें विश्वास तो हो कि इस से जनता का, आम जनता का लाभ, होगा ।

दूसरी बात यह है कि आप योजना की आड़ में इस तरह से शिकार करना चाहते हैं और आम जनता के अधिकारों को खत्म कर के प्रदेश की हालत को बदतर करना चाहते है । आप इन करों के द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने की बात करते हैं लेकिन इस विधेयक में यह कहीं नहीं दिया गया है कि यह कर केवल ५ साल के लिये है, बल्कि यह साफ है कि इस योजना की आड़ में जब तक यह प्रदेश रहेगा और जब तक यहां की जनता रहेगी और जब तक यहां मकान रहेंगे हमेशा-हमेशा के लिये यह कर लागू होने जा रहा है । इस से ज्यादा आपकी ईमानदारी का और क्या सबूत हो सकता है ? आप को अपनी पांचसाला योजना के लिये पैसा चाहिये तो आप कहिये कि हम केवल ५ साल के लिये ही लगा रहे हैं, लेकिन आप तो उसकी आड़ में हमेशा के लिये इस टैक्स को गरीब जनता पर थोप रहे हैं ।

मैं माननीय मंत्री जी का और सदन का ध्यान अपने जिले की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं और वहां की तसवीर उनके सामने रखना चाहता हूं । अगर उनको मेरी बात पर विश्वास न हो तो वह कृपा करके अपना सरकारी दौरा मेरे जिला झांसी का करें, मैं उनके सामने बुन्देलखंड का पूरा चित्र रख दूंगा और विशेषकर झांसी शहर के बारे में उन्हें जानकारी कराऊंगा । वहां

पर ४४ हजार वर्गमील के क्षेत्र में किस तरह से लोग कोदों, मटठा, महेरी, महुवा आदि खाकर जीवन निर्वाह करते हैं, शायद मंत्री जी इन चीजों का नाम भी न जानते होंगे और अगर नाम जानते भी होंगे तो उनका शायद उनको जायका मालूम न होगा। आज वहां के लोग भुखमरी का शिकार होते हैं और इस तरह के अखाद्य पदार्थों को खाकर जीवन बिताते हैं और भुखमरी से बचते हैं, उन के लिये कोई रोजगार नहीं। किसी तरह से मुश्किल से बाल-बच्चों को आधा पेट खिलाकर पालते हैं। उनके पास खाने के लिये अन्न नहीं, पहनने के लिये कपड़ा नहीं और रहने के लिये मकान नहीं जहां वह चैन से आराम भी कर सकें। अगर मंत्री जी मेरे साथ झांसी जायं तो मैं एक औरत की दर्दनाक कहानी उनके सामने उसी की जबानी सुनवा सकता हूं। एक औरत है जिसका कि पति अन्धा है और उसके तीन-चार बच्चे हैं। वह बेलदारी, मजदूरी कर के किसी तरह से अगर मजदूरी लग जाती है तो सवा रुपये की मजदूरी दिन भर काम करके पाती है। जब उसको शाम को जिस दिन मजदूरी का सवा रुपया मिल जाता है तो वह जिस चक्की पर जाती है आटा लेने के लिये वहां वह उसमें से १ रुपया चक्की वाले को देती है और कहती है कि मुझे तुम आधा आटा आज दे दो और आधा मेरा जमा रखो, इसलिये कि अगर कल या किसी दिन मजदूरी न लगी तो वह काम आ जायगा वर्ना अगर यह आटा भी घर ले जाऊंगी तो बच्चे और मेरा पति सब खा जायेंगे। इस तरह से वह आधा आटा चक्की पर छोड़ आती थी केवल इस डर से कि अगर अगले दिन मजदूरी न लगी तो सब भूखे मर जायंगे। जहां यह हालत हो वहां भी झोपड़ी पर टैक्स लगेगा। कितने शर्म की बात है इस प्रकार की जनता पर दस प्रतिशत टैक्स मकानों पर व जमीनों पर जबरदस्ती बहुमत के बल पर कदम-कदम पर लगाना, वह इस टैक्स से बच सकती है? नहीं इस टैक्स से कोई नहीं बच सकता यह तो सब पर लगेगा। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि कोई जरिया बतायें जिससे करोड़ों रुपया जिसकी जरूरत है और जो इस टैक्स के जरिये पूरा किया जा रहा है पूरा किया जा सके। जिस प्रकार से मैंने मन्त्री जी के सामने बुंदेलखंड की गरीबी का जिक्र किया उसी तरीके से मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार के सामने बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिनसे वह करोड़ों रुपया हासिल कर सकती है, जैसे केन्द्र को लिखे कि सीमेन्ट, चीनी और बिजली कम्पनी तथा बैन्कों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। करीब ४ अरब रुपया सरकार को सिर्फ वर्गों के ही राष्ट्रीयकरण से वसूल हो सकता है। कानपुर में बहुत से लखपतियों पर सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स का करोड़ों रुपया बाकी है, लेकिन मैं एक नया सुझाव भी रखने जा रहा हूं। अगर सरकार सदन के सामने यह एलान कर दे कि वह गरीब जनता पर कोई टैक्स नहीं लगायेगी तो मैं अपनी बाकी जिन्दगी का पूरा हिस्सा जनहित से सरकार के साथ खर्च करने को तैयार हूं जिससे सरकार को करोड़ों रुपया दिला सकूं। पहले कहा जाता था पुराने जमाने में आदमी ईमानदार थे, सही है। तो कोई वजह नहीं है आज आप उन पर विश्वास न करें। मैं आपके सामने बुन्देलखंड की दौलत का चित्र अब रखने जा रहा हूं। जो इस पर विश्वास न करें तो मैं कागजी सबूत देना चाहता हूं। बुन्देलखंड में शीशा, तांबा, चांदी और लोहा आदि की खान सब मौजूद हैं। यह एक पुड़िया है जिसके अन्दर प्रदेश का भाग्य है इसमें ८६ प्रतिशत शुद्ध शीशा है और बाकी चांदी है। अगर यह चीज आज सरकार को मिले तो प्रदेश की गरीबी दूर हो सकती है। अभी तक इतिहास बताता है कि ३४ फीसदी शीशा केन्द्रीय सरकार को आज तक मिला है, लेकिन अब ८६ प्रतिशत शीशा मिल सकता है। यहां चांदी, सोना और मानिक की खदानें अपने प्रदेश में हैं जिनकी खोज आवश्यक है। अब अगर पुराने आदमियों की बातों पर विश्वास करें तो केन्द्रीय सरकार के गजट में लिखा हुआ है कि मांडरे एक जगह मध्य प्रदेश में है, वहां ८० करोड़ रुपया सस्ते जमाने का दबा हुआ है। उसको क्यों नहीं सरकार लेती? मैं आमदनी के जरिये और भी बता रहा हूं सरकार खोज करे।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। आप जरा समय का भी ध्यान रखें।

श्री लखपतराम शर्मा—इसी प्रकार से नारानपुर एक ग्राम है ओरछा में। भूरागढ़ का किला जो बांदा जिले में नदी से लगा है वहां पर लाखों, करोड़ों रुपये की सम्पत्ति कुयें के पास दबी पड़ी है। राजा हरबंशराय का खजाना ९०० देग जिला कानपुर

[श्री लखपतराम शर्मा]

में रखा हुआ है। श्रीमन्, तवारीख में यह लिखा है, इतिहास इसका साक्षी है कि बीरसिंह बुंदेला ओरछे के शासक थे, जिन्होंने अबुलफजल को मारा। यह दक्खिन हैदराबाद से उस समय ३३ करोड़ और नवरत्न लूटकर लाया था, मेरे खयाल से वह करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है जो अब भी केदौरा बाउनी में उसका एक बड़ा भाग रखा है।

इसके अलावा, लोग कहते हैं कि पारस है जिससे लोहा भी सोना हो जाता है, लेकिन इस देश में पारस भी था। मुगलकाल में यहां सोना बनाया जाता था, कीमिया बनाया जाता था। एक जगह नहीं, ऐसी कई जगहें हैं जहां उनका वर्णन है। चरखारी के किलों में करोड़ों की दौलत दबी पड़ी है।

"देवल मठ के छांहर और लता के पार। तुपक के ढक्के साढ़े तीन दिन पृथ्वी को योजन के बराबर रखा है विद्वान समझें।"

श्रीमन्, यह लेख मुझे महात्माओं की किताबों में से मिला। अगर माननीय मंत्री जी देखें तो उन्हें भी पता लग सकता है और लोगों का उससे कल्याण हो सकता है। इस तरह से कालिंजर के किले में भी पारस के पत्थर होने का लेख मिलता है। अन्य लेख भी देखें: दक्षिण वृषलिंगेश्वर के आगे कुण्ड तीर्थ है। प्रत्यक्ष स्पर्श विधि प्यास है, यह चीजें मैं यहां की गरीबी को दूर करने के लिये ही बतला रहा हूं। सरकार का फर्ज है कि वह इधर भी ध्यान दे। लेकिन मैं यहां पूरे हाउस के सामने यह एलान करता हूं कि चिरगांव झांसी जिले में है। अगर मालूम किया जाय और ईश्वर का रहम आपके साथ हो, जो आपके साथ है नहीं, लेकिन अगर वह हो जाय तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि १ हफ्ते के अन्दर करोड़ों रुपये की सम्पत्ति आपको मिल सकती है। वहां गुसांइयों का खजाना है। अगर आप थोड़ी-सी भी कोशिश करें तो करोड़ों रुपये आपको बड़ी आसानी से मिल जायं। लेकिन उस तरफ आपका ध्यान नहीं है।

(इस समय १२ बजकर ३० मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

यह न करके आप तो टैक्स लगाने जा रहे हैं। इन इन्सानों के ऊपर, जिनके पास खाने के लिये नहीं है, पहनने के लिये कपड़े नहीं हैं, बच्चों की पढ़ाई का इन्तजाम नहीं है, दवादारू का टैक्सों के बोझ से प्रबन्ध नहीं है, यह टैक्स आप लगाकर क्या करेंगे? कोई जिन्दा रह नहीं सकता। आप श्मशानों पर और कब्रिस्तान पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। जब इन्सान टैक्सों के बोझ से बचेगा ही नहीं तो उसके बाद भी टैक्स लगाने की आप सोच रहे हैं। तो वह क्या है सिवाय श्मशान और कब्रिस्तान पर टैक्स लगाने के? श्रीमन्, एक किस्सा याद आ गया। एक बादशाह था। उसने एलान कर दिया कि अगर अपनी नाक और अपने कान कटा दो तो खुदा, परमात्मा मिल जाता है। एक, दो आदमियों ने नाक और कान कटवा दिये, लेकिन उनको परमात्मा नहीं मिला। उनसे पूछा गया कि तुमको ईश्वर मिला तो उन्होंने कहा कि मिले या न मिले, लेकिन अब इससे हमारी बिरादरी तो आगे बढ़ेगी अगर लोग नाक कान कटवायेंगे। श्रीमन्, होते होते यह खबर बादशाह तक पहुंची। तो उन्होंने भी अपनी नाक और कान कटवा लिये कि इससे परमात्मा, खुदा मिलेगा और धीरे-धीरे करके उस राज्य में एक भी आदमी नाक और कान वाला न रहा। इसी तरह से यह सरकार भी बहुमत के बल पर अपनी तरह से ही इस सारे राज्य को नकटा बनाना चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष—शर्मा जी, आप कृपा करके ऐसा तो बोलिये जो रिपोर्टर लिख भी लें। एक तो आपको जल्दी समाप्त करना चाहिये और दूसरे ऐसा बोलिये ताकि लिखा जा सके।

श्री लखपतराम शर्मा—अच्छी बात है। तो मैं कहता हूं कि सरकार अपनी तरह से इस सारे प्रदेश को नकटा न बनावे। हमने यह सुना है कि बहुत से कांग्रेस के भाई, बहुत से कांग्रेस पार्टी के सदस्य इसके खिलाफ हैं और जहां तक मेरी जानकारी है ११० कांग्रेस के सदस्यों ने अपनी पार्टी को लिख कर दे दिया है कि इस तरह से टैक्स नहीं लगाने चाहिये। लेकिन जब किसी का बुरा वक्त आता है तो वह सही बातों के सुनने व समझने में भी घबराता है, यही दशा आज सरकार

की है जो अपनी शरम भी दान कर चुकी है। अगर आपको भगवान की तलाश नाक और कान कटा कर करनी है तो शौक से कटाते जाइये, हालांकि आपको भगवान मिलने का नहीं। आज के पहले जब आपने किसान से दस गुना जमा कराया था उस वक्त आपने बड़े-बड़े पोस्टर्स छपवा कर देहात और शहरों में लगवाये थे। उस पोस्टर में किसान को एक बड़ा भारी मुकुट लगाये हुये दिखाया गया था और किसान आम जनता से यह कहता था कि म इस भूमि का राजा हूं। आपने यह भी आश्वासन उस किसान को दिया कि ४० वर्ष तक लगान में किसी तरह का रद्दोबदल नहीं होगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अब उस किसान ने कौन-सा ऐसा अपराध कर दिया है कि आप उसके सिर से उस मुकुट को उतारने जा रहे ह जिसे आपने खुद कुछ दिन पहले उसे पहनाया था व आज उस पर भी आप टैक्स लगाने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—इस समय इस बिल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा—मैं टैक्स पर ही बोल रहा हूं, आज नहीं तो कल किसानों की भी टैक्सों द्वारा गर्दनें काट दी जायंगी। मैंने किसान, झोपड़ी और शहर में रहने वालों की हालत आपको बतायी। अब आप जरा दूसरे देशों से मुकाबला कीजिये। तैवान में १५ फी सदी, फिलिपाइन्स में ११ फी सदी, पाकिस्तान में ९, नार्वे में ८ और ग्रीस में ७ फीसदी तरक्की हुई है जब कि आप इतने टैक्स लगाने के बाद केवल ३ फीसदी तरक्की कर पाये हैं। आप फिजूलखर्ची को रोकना नहीं चाहते। यहां भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी भ्रष्टाचारी को फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी से साफ कहता है कि भ्रष्टाचार बहुत बुरी चीज है, लेकिन वह स्वयं भ्रष्टाचारी होता है। मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं। झांसी में करीब ढाई लाख रुपया लगा कर आपने एक कोतवाली बनवायी। लेकिन हालत उसकी यह है कि अगर उसकी तीसरी मंजिल पर एक बाल्टी पानी डाल दिया जाय तो सारे का सारा पानी नीचे आ जाता है। बता दीजिये कि आपने किस पर मुकदमा चलाया, किस को फांसी दी? अगर एक आदमी किसी जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है तो सत्ताधारी दल के लोग थाने से कचेहरी तक यानी हर तरह से उसकी इमदाद करते हैं। अभी-अभी एक गबन का मुकदमा एक भूतपूर्व कांग्रेसी एम० एल० ए० पर चल रहा है। अगर किसी विरोधी दल के सदस्य के खिलाफ ऐसा मुकदमा होता तो वह जेल के सींखचे के अन्दर होते, उनकी जमानत भी नहीं होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी के एम० एल० ए० होने के नाते अभी तक उनके खिलाफ मुकदमा किस स्थान पर है, आप जानते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—इसी बिल पर आप बोलिये।

श्री लखपतराम शर्मा—बिल पर ही बोल रहा हूं। तो मैं आपको बताऊं झांसी व ललितपुर से कई डेपुटेशन सरकार के पास आये कि इस मुकदमे को वापस लिया जाय। इस प्रकार जुडीशियल....

श्री उपाध्यक्ष—यह कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का सवाल नहीं है, आप बिल पर ही बोलिये।

श्री लखपतराम शर्मा—मेरे कहने का मतलब यह था कि भ्रष्टाचार को कैसे समर्थन मिलता है। अगर आप की आज्ञा यह है कि कांग्रेस का नाम न लूं तो मैं आप के आदेश पर नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—इस बिल पर आप बोलिये।

श्री लखपतराम शर्मा—जहां तक इस बिल का सवाल है, मैं एक चीज और रखना चाहता हूं। झांसी नगरपालिका को ले लें। वहां की आम जनता पर वाटर और हाउस टैक्स बड़ी मात्रा में लग रहा है। अभी एक साल पहले असेसमेंट हो चुका है। फिर भी आप इतना

[श्री लखपतराम शर्मा]

बड़ा और १० प्रतिशत का टैक्स जनता पर लगाने जा रहे हैं। श्रीमन्, हाउस टैक्स और वाटर टक्स जनता बराबर दे रही है। इसके अलावा आप दस प्रतिशत का टैक्स और उसके ऊपर लगा देंगे तो आप भलीभांति समझ सकत ह कि हमारी इस गरीब जनता की क्या हालत होगी। श्रीमन्, आज हमारे यहां कितने लोग ऐसे ह जिनको दोनों वक्त रोटी समय पर मिल जाती है, जिनके रहने के लिये ठीक से मकान हैं, पहनने के लिये कपड़े हैं? ऐसी लोग बहुत कम दिखलाई देंगे। आज तो हमारे यहां के शहरों के रहने वालों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शहर के रहने वाले लोग कहन लग ह कि इस हुकूमत के देखने से पहले जो लोग मर गये हैं वे बड़े सुखी थे और हमें तो खुदा मौत दे देता तो यह दिन देखने को न मिलता। इस तरह से हमारे यहां के लोग रोते हैं और बड़े परेशान हैं, लेकिन फिर भी आप को टैक्स लगाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसका, श्रीमन्, एक कारण है और वह कारण यह है कि अगर आप शहरों में जाते, देहातों में जाते तो आपको वहां की सही हालत मालूम होती, लेकिन आज आप के मंत्री जी शहरों में जाते हैं तो स्टेशन से सरकिट हाउस तक ही सीमित रह जाते हैं या फिर बड़े-बड़े भवनों में जाते हैं और वहां उनको बड़े बड़े भोज दिये जाते हैं। देहात में जाते हैं तो रेस्ट हाउस तक सीमित रह जाते हैं। इसलिये इनको देहातों की और शहरों की वास्तविक हालत का पता नहीं चल पाता है। इसलिये इनको मालूम नहीं होता है कि गरीबों की हालत क्या है, किसानों की हालत क्या है और मजदूरों की हालत क्या है व मुलाजिम पेशा जो बाबू वर्ग के हैं, उनकी हालत क्या है।

श्रीमन्, मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि अगर उनको भगवान कह दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं होगा। एक भगवान तो वह है जो मन्दिर में रहता है और उसके दर्शन जब चाहे तब हर आदमी कर सकता है, लेकिन ये ऐसे भगवान हैं कि उनके दर्शन अगर ५ साल बाद चुनाव न हो तो जनता को नहीं हो सकते हैं। जब चुनाव होता है तभी आप जनता के बीच में जाते हैं। इसलिये आप भगवान से भी बड़े भगवान हैं। आप सब समर्थ हैं, जो चाहे कर सकते हैं। चाहे आप टैक्स लगायें और चाहे आदमी को उल्टा टांग दें। इसके अलावा आप में और भी खूबी है और वह यह है कि चाहे कांग्रेस के डिब्बे में वोट न डाली जायं, लेकिन जब डिब्बा खोला जायगा तो वोट कांग्रेस के डिब्बे में से ही निकलेंगे। हमने सुना है और देखा है। इसके अलावा, श्रीमन्, एक बात उन्होंने और बता दी है कि जो इनकी पार्टी का आदमी हार जाता है उसको फिर से मन्त्री बना दिया जाता है। हारे हुये आदमी के साथ आप का यह सलूक है। हमारे यहाँ झांसी नगर ३१० क्षेत्र से एक सज्जन हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, वे पिछले चुनाव में हारे। लेकिन यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि उनकी पत्नी को नामजद कर दिया गया है। यह है आप का न्याय तथा समाजवाद का एक अन्य चित्र।

श्री उपाध्यक्ष—देखिये शर्मा जी, आप नई बात कोई नहीं कह रहे हैं। सब रिपीटीशन ही कर रहे हैं। यह तो असेम्बली है, इसमें रीजनेबिल बात कहनी चाहिये।

श्री लखपतराम शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा हूं कि आपकी कितनी बरबादी हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—आप कोई नया प्वाइंट नहीं कह रहे हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि इन्होंने नये-नये तरीके निकाल लिये हैं और हर तरह से ये लोग कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। हालांकि मैं माननीय विचित्र नारायण शर्मा जी की इज्जत करता हूं और मैं समझता हूं कि उनके वे सहृदय भी हैं। लेकिन मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस तरह से वे जो भूखी नंगी जनता पर टैक्स लगाने जा रहे हैं तो क्या आज उनकी आत्मा कहती है कि प्रदेश की जनता इस लायक है कि उसके ऊपर इतना टैक्स लगाया जाय। क्या हमारे पूज्य बापू जी की आत्मा इससे संतुष्ट होगी? क्या उन्होंने कहा था कि भूखी और नंगी जनता पर इस तरह से जुल्म करो? बापू जब कभी जाते थे तो हरिजन की झोंपड़ी में रहते थे, महल और अट्टालिकाओं से उनको

कोई लोभ और मोह नहीं था। आज बताया जाय कि कितने हमारे मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो किसानों के झापड़ों में ठहरते हैं। मैं समझता हूं कि कोई नहीं ठहरता है। यही वजह है जिसके कारण प्रदेश की हालत दिनों दिन खराब होती चली जा रही है, इंतजाम खराब होता जा रहा है, प्रदेश की जनता परेशान है, भूखी है और नंगी है।

श्रीमन्, मैं एक झांसी का केस बताता हूं। एक बुजुर्ग का एक बच्चा अस्पताल में भर्ती था। उसका बच्चा तीन महीने की फीस दे चुका था और पांच महीने की नहीं दे पाया। इसका नतीजा यह हुआ कि उसको स्कूल से निकाल दिया गया। यह बात मेरे पास आई। मैंने प्रिंसिपल से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारे यहां कानून है कि फीस न देने पर नाम काट दिया जाता है। कौन मां-बाप ऐसे होंगे जो एक पिता बीमारी के कारण चारपाई पर महीनों रहने के कारण फीस न दे पाये तो उसका बच्चा स्कूल से निकाल दिया जाय हालत यह है कि बाप बच्चे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—शर्मा जी अब आप खत्म कीजिए।

श्री लखपतराम शर्मा—एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष—आप एक मिनट में खत्म कर दीजिये। बहुत टाइम ले लिया। कोई नयी बात आप नहीं कह रहे हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपका टैक्स ऐसे आदमियों पर लागू होने जा रहा है जो अपने बच्चों को तालीम तक नहीं दे सकते। उनके पास खाने को नहीं। बीमारी के लिए दवाई नहीं। उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे आदमियों से भी मकान का टैक्स वसूल होगा। अगर मैंने यह शब्द प्रयोग किया कि आप कब्रिस्तान पर टैक्स लगाने जा रहे हैं तो कौन सा अपराध कर दिया? अगर आप को विश्वास न हो तो चल कर देखें। जो आपकी नगरपालिकाओं ने टैक्स लगा रखा है और जो दूसरे टैक्स हैं उनसे लोगों का जीना दुश्वार है। माननीय मंत्री जी ने स्वतन्त्रता संग्राम में बहुत कुर्बानी की है। वह गांधी जी के पुजारी थे। उनसे निवेदन करूंगा आपका प्रदेश इस हद तक पहुंच चुका है कि वह टैक्स नहीं दे सकता। लोग एक-एक बूंद पानी के लिये तरस रहे हैं, एक घड़ा पानी के लिए दो-दो मील जाना पड़ता है। उन पर भी टैक्स लगा हुआ है। इस तरह के टैक्स जनता बरदाश्त नहीं कर सकती।

श्री उपाध्यक्ष—अब एक मिनट से ज्यादा हो गया। आप अगर कोई नयी बात कहें तो घंटा भर ले लें, लेकिन आप सब पुरानी बात कह रहे हैं।

श्री लखपत राम शर्मा—मैं नयी बात कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि टैक्स के जरिये जनता के साथ आप विश्वासघात करने जा रहे हैं। यह विश्वासघात इस प्रकार का होगा जब प्रान्त और केन्द्र में हुकूमत बनी तो आपने १९५० में संविधान लागू किया। उसमें आपने देश को सूचना दी कि बच्चों की पढ़ाई मुफ्त होगी, मकानों का टैक्स वगैरह की ज्यादतियां नहीं होंगी।

श्री उपाध्यक्ष—शर्मा जी आप नयी बात नहीं कह रहे हैं। आप दूसरी चीज रखिये।

श्री लखपतराम शर्मा—अगर इन बातों से परेशानी है तो मैं न कहूं!

श्री उपाध्यक्ष—आप बराबर रिपीटीशन कर रहे हैं। आप विराजिये।

श्री लखपतराम शर्मा—जनता पर जो विश्वासघात सरकार कर रही है उस पर बोल रहा हूं। लोगों ने आप को इस विश्वास पर वोट दिया था कि आप जाकर टैक्स नहीं लगायेंगे।

[श्री लखपतराम शर्मा]

चुनाव के समय में आपने भी कह दिया था कि जाने के बाद यह टैक्स न लगाये जायंगे। अब टैक्स से जनता पर रहम कीजिये। अपनी गर्दन अपने ही हाथों से जनता को रुष्ट करके न काटिये।

श्री उपाध्यक्ष—शर्मा जी, आप बैठ जाइये। एक-एक मिनट कह कर आपने इतना समय ले लिया। आप अपने वचन पर क्यों नहीं कायम रहते हैं?

श्री लखपत राम शर्मा—श्रीमन्, आपका आदेश है, तो मैं स्वीकार करता हूं व बैठता हूं।

श्री मेघनाथ सिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस नागर क्षेत्र भूमि और भवन कर विधेयक के विरोध में और माननीय भीखालाल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस विधेयक के आरम्भ के शब्दों से प्रकट होता है कि यह विधेयक स्थायी नहीं है बल्कि एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए और विकास साधनों के लिये रुपया इकट्ठा करने के लिए यह विधेयक पेश किया जा रहा है। पहली बात तो यह है कि जब इस विधेयक का ध्येय यह है कि विकास के साधनों की वृद्धि करने के लिए रुपया इकट्ठा करना है तो यह बात समझ में नहीं आती कि ऐसा विधेयक जो किसी क्षणिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाया जा रहा है उसमें अस्थायी शब्द क्यों नहीं लिखा गया और अगर यह मान लिया जाय कि कल को यह डेवलपमेंट प्लान्स बन्द कर दिये जाते हैं, यह स्कीम रद्द हो जाती, तो इस विधेयक का क्या होगा? मेरा विचार यह है कि यह विधेयक हाई कोर्ट में चेलेंज किया जा सकता है और इस पर शायद रिट हो जाय और यह मान्य न हो। इसलिये इस विधेयक को लाने के पहले इसके लीगल आस्पेक्ट्स को पूरे तौर से देख लेना चाहिए था।

दूसरी चीज यह होती है कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह विधेयक लाया गया है उन नियोजन के साधनों के लिए और भी बहुत से सोर्सेज ऐसे थे कि जिनसे रुपया लाया जा सकता था। इस विधेयक का असर शहर की रहने वाली जनता पर जो पड़ता है उसमें जिन लोगों के पास सम्पत्ति है और जिन्होंने मकान बनाये हैं और उसे किराये पर उठा रक्खे हैं, उन पर इसका डाइरेक्ट असर नहीं पड़ता है। इसका डाइरेक्ट असर उन लोगों पर जाकर पड़ता है जिनको कि उन्होंने उसे किराये पर उठा रखा है। किराये दार को यह सारा का सारा भार वहन करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यह विधेयक बहुत ही दोषपूर्ण है। बल्कि इसका टैक्स उन लोगों पर लगना चाहिए था जो कि सम्पत्ति के मालिक हैं। अगर उन पर यह टैक्स लगता तो इसका स्वागत किया जाता लेकिन चूंकि इसका डाइरेक्ट असर उन लोगों पर पड़ने वाला है जो बाहर से आकर उन किराये के मकानों में रहते हैं और उनमें से ८० प्रतिशत साधनहीन होते हैं, वह उस गरीब तबके के लोग होते हैं जिनके साधन संकुचित होते हैं, इसलिए इस विधेयक का स्वागत नहीं किया जा सकता।

तीसरी बात यह है कि इसमें कर निर्धारण की कोई डाइरेक्ट प्रणाली नहीं है। यानी यह स्पष्ट नहीं होता कि इस विधेयक से कितना रुपया आ जायगा और वह किस प्रकार वसूल किया जायगा। इस विधेयक के अन्दर यह दिया हुआ है कि इसमें कर निर्धारण के प्राधिकारी की नियुक्ति होगी। इसका तात्पर्य यह है कि एक नया डिपार्टमेंट यहां पर और खोला जायगा। हमारे सूबे के अन्दर और भी बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अन्दर पूरा-पूरा भ्रष्टाचार है लेकिन यह विधेयक एक ऐसे और डिपार्टमेंट को जन्म देगा कि जिसके हाथ बिल्कुल खुले हुए होंगे और वह बिल्कुल खुले हुए रूप से जितना भ्रष्टाचार चाहे फैला सकेगा। किसी सम्पत्ति पर कर-निर्धारण किस प्रकार और कितना होगा, यह बिल्कुल उसकी स्वेच्छा पर डाल दिया गया है। किसी भूमि या भवन की पूंजी का निर्धारण वह अपनी स्वेच्छा से कर सकता है। जो मकान किराये पर उठे हुए हैं उनके ऊपर तो ठीक है कि कर का निर्धारण हो जायगा। लेकिन जो स्वयं अपने मकानों में रहते हैं, बड़ी-बड़ी ऊंची

अट्टालिकाओं और महलों में रहते हैं उनके ऊपर यह टैक्स किस तरह से लगाया जायगा, यह इस विधेयक में कहीं स्पष्ट नहीं है। वह अपने मकान के किसी एक छोटे से कमरे को किराये पर देकर उस अधिकारी से उसी किराये के बारह गुना के ऊपर टैक्स लगवा लेंगे।

चौथी बात यह है कि जिस समय कर निर्धारण होगा तो जो गरीब लोग हैं, अशिक्षित हैं, उनको पता भी नहीं लगेगा कि उनके ऊपर कब यह टैक्स लग रहा है, किस रेट से लग रहा है। उनमें इतना साहस नहीं होता है कि वह हर एक आपत्ति को लेकर कर अधिकारी के पास जायं। दूसरी तरफ जो बड़े-बड़े होशियार पूंजीपति होते हैं वह वर्षों पहले की बात सोचे रहते हैं। लेकिन जो गरीब तथा अशिक्षित लोग होते हैं वह नहीं जानते हैं कि हमें कहां जाना चाहिए और किस तरह से हमारे कर में कमी हो सकती ह। इसके अतिरिक्त इसम जब एक पूरा का पूरा डिपार्टमट खुलेगा तो उसमें कर निर्धारण करने वालों के लिए पूरी छूट दे दी गई है कि वह अपनी इच्छा से जितना चाहे उतना कर लगा सकते हैं। किसी मकान का मालिक अपने किरायेदार से, इसमें साफ लिखा हुआ है कि वह उनसे वह क्षतिपूर्ति जो कि वह राज्य सरकार को देगा, किसी भी रूप में हासिल कर सकता है। वह किराये के साथ भी उस कर को वसूल कर सकता है और किराये के अतिरिक्त भी वसूल कर सकता है। जब वह किराये के अतिरिक्त वसूल करेगा तो यह भी सम्भावना है कि वह किरायेदार की रसीद में कुछ लिखेगा और किरायेदार को दबाकर उससे और भी ज्यादा पैसा वसूल कर सकता है। यह भी इसके अन्दर एक दफा रखी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें यह साफ तौर पर नहीं लिखा हुआ है कि कर निर्धारण के किसी एक अंश के झगड़े में कोई बात होगी तो किस तरह से उसको फाइनल किया जायगा।

जो मकान म्युनिसिपल बोर्ड में पहले से रजिस्टर्ड हो चुके हैं या लिखे जा चुके हैं उनके लिये यह प्रश्न है कि पहले जमाने में मकानों की कीमत कुछ थी और आज उन मकानों की कीमत कुछ और है। जो पुराने मकान हैं, महल हैं, उनके ऊपर कर उसी पुराने रेट से लगाया जा सकता है। जो नये मकान अभी बने हैं, उनके बनाने में एस्टीमेट कुछ और होता है और लागत भी कुछ और अधिक आती है। एक बात इसके अन्दर और साफ लिखी हुई है कि कोई फैक्टरी या होटल होगा तो उससे केवल २०वां भाग कर के रूप में वसूल किया जायगा जब कि और मकानों पर १०वां भाग ही होगा जो भवन के लागत के हिसाब से होगा। लेकिन भूमि की लागत का प्रश्न ऐसा है कि जिसको कोई नहीं कह सकता कि वह कितनी होगी। गांवों के अन्दर भूमि के लिये साफ तौर पर लिखा होता है कि वह किस श्रेणी की होती है लेकिन शहर की भूमि का एस्टीमेट करने में यह बात ठीक नहीं लग सकती है। वह कितनी भी अधिक से अधिक लगाई जा सकती है और एक जगह की भूमि की लागत कम से कम भी लगाई जा सकती है। जब किसी भूमि को गवर्नमेंट लेती है तो वह बहुत कम पैसा उसके मुआविजे का देती है। बाजारू रेट ऊंचा होता है। इसके अन्दर यह एक कमी रह गई है। इसमें यह नहीं लिखा गया है कि जमीन की कीमत बाजारू रेट पर लगाई जायगी या उस तरह से रेट पर होगी जैसी कि गांव में जमीन की कीमत सर्किल रेट पर होती है। शहरी जमीन का एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता है। यह इसके अन्दर बहुत बड़ी कमी रह गई है।

इन चीजों को देखते हुये चूंकि जिस उद्देश्य के लिये यह बिल पेश किया गया है वह पूरा नहीं होता है इसलिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं और भीखालाल जी ने जो प्रवर समिति में जाने का संशोधन रखा है कि इस बिल को प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे, उसका समर्थन करता हूं। अभी तक शहरों की जनता का रोष अखबारों के जरिये से प्रकट नहीं हुआ है। गांवों पर टैक्स की बात जो चल रही है उसके लिये कुछ आवाज उठाई गई है। किन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि स्वशासन मंत्री जी ने यह नहीं बतलाया कि इसके लिये जो विभाग नियुक्त होगा उसमें कितना खर्चा होगा और किस एजेन्सी के द्वारा यह

[श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया]

टैक्स वसूल किया जायगा और असल में कितना बोझा होगा। मैं इन बातों को देखते हुये इस बिल का विरोध करता हूं और भीखालाल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं इस विधेयक का घोर विरोध कर दूं और उसके बाद माननीय भीखालाल जी और माननीय राधेश्याम जी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं। अभी जब माननीय लखपतराम जी बोल रहे थे तो आप की आज्ञा हुई थी कि कोई नयी बात अपने भाषण में बोलो। तो मैं एक नयी बात कहना चाहता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री लखीसिंह—श्रीमन्, यह जो कोरम पूरा नहीं होता उसका प्रधान कारण काँग्रेसी सदस्य हैं और कोरम यह माननीय मंत्री जी पूरा नहीं होने देते।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि वैसे तो यह दोनों तरफ की गलती है और गवर्नमेंट का फर्ज है कि वह कोरम रखे, लेकिन अपोजीशन का भी यह काम नहीं है कि जिस तरह से कोरम का अभाव बनाया जाता है वह हो।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—जब तक कोरम पूरा नहीं होता, यह अधिवेशन चल नहीं सकता। कोरम के अभाव में यह सदन है ही नहीं और इसकी पूरी जिम्मेदारी उधर की है।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठिये, कोरम है। (व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—मैं आप से एक व्यवस्था चाहता हूं। आपने अपोजीशन पर ऐसे रिमार्क कैसे कसे? आप को क्या अधिकार है? क्या आप काँग्रेस पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष—नहीं आप बैठिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—इस सदन में सदस्य नहीं हैं तो आपको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है। जब लोग बैठे हों तो आप अपनी इस तरह की राय दें।

श्री उपाध्यक्ष—आप विराजिये। मैं फिर देख लेता हूं कि कोरम है या नहीं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—आप तो काँग्रेस के आदमी लगते हैं। आपने कई बार ऐसा कहा है। क्या प्रोसीडिंग्स में ऐसा कभी नहीं हुआ?

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठिये। आप क्या कह रहे हैं?

श्री दीपनारायणसिंह—गिनवा लीजिये। अभी भी कोरम नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी का एतराज यह है कि आपने जो कहा है कि विरोधी दल के लोगों की वजह से कोरम पूरा नहीं हो रहा है, यह आक्षेप आप की कुर्सी से नहीं होना चाहिये किसी दल विशेष पर और इस पर उनका एतराज है। मैं समझता हूं कि इसकी आपको सफाई करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें कोई दल विशेष का सवाल नहीं है, लेकिन जो चीज हो रही है वह मैंने आप से कही कि यह कोई अच्छा तरीका नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उधर के लोगों से क्यों नहीं कहते हैं? आप एक ही तरफ के लोगों की बात सुनते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—ऐसी बात नहीं है। मैंने उधर के लोगों से पहले ही कहा है कि उनका फर्ज है कि वे कोरम रखें।

श्री दीपनारायणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह विधेयक पास कराने की गरज है उनकी तो क्यों नहीं काँग्रेस वाले कोरम रखते हैं? उनके ऐसा करने से लगता है कि वह खुद इस विधेयक के विरोध में हैं।

श्री उपाध्यक्ष—उनका फर्ज तो है ही। अब आप बैठें।

***श्री लखीसिंह**—श्रीमन्, इस विधेयक की मंशा को देखते हुए मुझे बड़ा अफसोस होता है और विशेष कर माननीय मंत्री जी के इस प्रयास से। उनका नाम है विचित्र नारायण। कुछ विशेष नाम है यह विचित्रनारायण। शायद कुछ विचित्र ही है। वे ही हमारे मंत्री जी इस विधेयक के कर्णधार हैं। मैं अपनी मलूक सरकार की जिसकी जनता भी तारीफ करती है, मैं भी उसकी तारीफ करता हूं। मैं अभी अपने जिले से और अलीगढ़ जिले से दौरा करके आता हूं। जब मैंने इस विधेयक को अखबारों में पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जनता में तो त्राहि-त्राहि मची हुई है और आप ऐसे कर लगाने की बात करते हैं।

अब मैं एक नई बात कहता हूं सरकार से और विशेषकर माननीय विचित्रनारायण शर्मा जी से। यदि आपको परमात्मा सद्बुद्धि दे तो एक ऐसा विधेयक लावो जो मनुष्य की साँसों पर भी कर लगाये। जितनी साँसें मनुष्य ले उतना ही उसको कर देना पड़े। आपका शासन भी बहुत बढ़िया है ही और उस पर और कर लगा रहे हैं। हमने अंग्रेजों का शासन भी देखा है और मुगलों के शासन के बारे में भी पढ़ा है। उससे पहले आप देखें तो पृथ्वीराज चौहान और भगवान राम का और कृष्ण का भी शासन पढ़ा है, पर किसी के शासनकाल में इतने कर नहीं थे। इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है। इसलिये आज इस विधेयक का कैसे समर्थन किया जाय? इस विधेयक में साफ लिखा है कि अस्तबल और झोपड़ी आदि को छोड़कर यह कर लगेगा। वे पक्की चुनाई, ईंट, लकड़ी, मिट्टी धातु या किसी भी अन्य पदार्थ की बनी हों और चाहे किसी भी काम में लायी जाती हों, धन्य है यह सरकार! धन्यवाद की यह सरकार पात्र है!! अब बताइये नगरपालिका, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया, इन सबको भी इसमें लिख डाला गया।

उत्तर प्रदेश में मैंने ज्यादातर दौरा किया है। मैं पूर्वी जिलों में भी गया और पश्चिमी जिलों में भी गया हूं, क्योंकि मैं सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष रहा। इस नाते से एक अवसर मिला। माननीय सदस्य कहते हैं कि जब गांव वालों पर कर लगता है तभी विरोधी लोग ज्यादा हल्ला मचाते हैं पर मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। आपकी तरफ भी ऐसे सदस्य हैं जो डर के मारे विरोध नहीं करते पर वे इस विधेयक को दिल से मानते नहीं हैं। पर यदि वे सच्ची बात कह दें तो इसमें शक नहीं कि शहरी लोगों पर आपको कर लगाने की गुंजाइश न रहे। मैं कहता हूं कि शहरों में भी ८० प्रतिशत गरीब जनता बसती है जो इस कर को देने में असमर्थ है।

आपको मैं झोपड़ी शब्द जो इसमें आया है, उसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। मैंने तो सुन रखा है कि माननीय मंत्री जी या उधर के माननीय सदस्य झोपड़ी का अर्थ बड़-बड़े साहबों के बंगलात में जो फूस के बने होते हैं, उनसे लेते हैं। यह तो आपकी विधान सभा में ही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखीसिंह]

ऐसी झोपड़ी बतायी गयी। अगर इसको झोपड़ी मानते हो तो ऐसी बताओ किसी गरीब बस्ती में, शहर की, जिसमें गरीब रहते हों, है कोई लखनऊ में ऐसी ? अगर हो तो मैं विरोधी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह समर्थन करें। यह तो सफेद न्याय पर तुली हुई है सरकार। मैं मानता हूं कि किसी भी पार्टी की सरकार के लिये कर लगाना आवश्यक है लेकिन उसकी भी कोई सीमा होती है, शक्ति देखी जाती है। कर उस पर लगाया जाता है जिसके पास ज्यादा पैसा हो, जिसने पूंजी इकट्ठी कर रखी हो, उस पर खींचकर लगा देना चाहिये। लेकिन यह कैसा विधेयक ? ऐसे उद्देश्य-कारण तो हम १० साल से देख रहे हैं—बापूजी के जमाने से कथनी की जाती है उद्देश्य और कारण की और विशेष कर उस सत्तारूढ़ पार्टी ने की है। मैं भी उस पार्टी में रहा हूं। कथनी करती रही है, लेकिन करनी नहीं की है उसने। कहते हैं, पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं राज्य के आर्थिक और सामाजिक जीवन की नींव को मजबूत करने में सहायक हुई हैं। अब यह १० साल में आर्थिक नींव मजबूत हुई है या गरीबी मजबूत हुई है ? कैसे समर्थन कर दें ? गरीब ज्यादा गरीब हो गया और अमीर ज्यादा अमीर होता जा रहा है। आज कैलास की चोटी बढ़ रही ह और गरीब खड्ड को चला जा रहा है। तो फिर हम इसका क्यों समर्थन करें ? अगर सरकार हठवादिता पर आयेगी और विशेषकर इस विधेयक के कर्णधार महोदय, विचित्रनारायण जी, अगर इन संशोधनों को नहीं मानेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो सन् ६७ में आपको यह पश्चाताप करना पड़ेगा कि उधर बठने वाले लखी सिंह ने ठीक हमको सूझ दी थी, हमको संशोधन मान लेना चाहिये था और विधेयक ऐसा नहीं लाना चाहिये था। जब वोट मांगने को निकलोगे बैलों की जोड़ी लेकर तब पता लगेगा।

मैं ३१ तारीख को अपने जिले में गया था तो एक माननीय मंत्री जी कासगंज गये थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वह हंस रहे हैं। उनका स्वागत मने देखा। केवल ३–४ सेठ जो परमिट-बाज थे वह स्वागत करके के लिये हार लेकर गये। जब मैं कांग्रेस में था, जबकि गांधी जी वाली कांग्रेस थी तब कांग्रेस को फूलों से दाब दिया जाता था, "जय" के नारे लगाये जाते थे, लेकिन वहां पर ४–५ सेठ खड़े थे, जोकि लाखों की ब्लैक करते हैं, जो करोड़ों की ब्लैक परमिटबाजी में करते हैं। म खिड़की में से देख रहा था। मैंने कहा "मंत्री जी ! आप यहां कासगंज आये हैं ?" उन्होंने कहा कि यहां आया हूं, आप अपने जिले में जा रहे हो?" मैं आपको यह बताये देता हूं यह विधेयक भयंकर विधेयक हैं। आप कितनी ही तृतीय पंच वर्षीय योजना की दोहाई दें, कितना ही प्रलोभन दें कि हम विकास के कार्य करेंगे, गांव और शहरों को स्वर्ग बना देंगे, कितना ही आप उसका इत्मीनान दिलायें, जनता को विश्वास होने वाला नहीं है। इसका पता तो आपको चल सकता है यदि आप इस विधेयक को प्रदेश की हर नगरपालिका, हर टाऊन एरिया, हर नोटिफाइड एरिया के लोगों को भेजें और उनकी राय लें। आज उनके लिये यह काल बन रहा है। आज लोगों के पास खाने के लिये नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिये नहीं है, दवादारू आदि के लिये पसा नहीं है, वे टैक्स कहां से देंगे ? आज आपके राज्य में कोई खुशहाल नहीं है, आप सफेद झूठ बोलते हैं। आज काफी तादाद में जनता शहरों में ऐसी रहती है जो किराया तक मकान का नहीं दे पाती, उस पर आप टैक्स लगाना चाहते हैं। वह कहां से टैक्स देगा ? हां, टैक्स लगाओ, उस पर टैक्स लगाओ, जिसके पास एक मकान से ज्यादा मकान हैं, जिसके पास बड़ी-बड़ी तमाम कोठियां हैं, बंगले आदि हैं। उन पर कस कर लगा दो, हमें इन्कार नहीं है। हम तो आपको सुझाव देते हैं ताकि आपकी सरकार की तारीफ हो। माननीय मुख्य मंत्री जी के मंत्रिमंडल का उसी तरह से विस्तार बढ़ा जिस तरह से सुरसा का बदन, मगर जनता को कुछ राहत नहीं मिली। आज आप गरीबों की तरफ ही खते हैं। जब अस्तबल, और झोपड़ियों पर भी टैक्स लगेगा, तो उन गरीबों का क्या हाल होगा। आज उनको रोजगार मिल नहीं रहा है, खाने पहनने को है नहीं, आप टैक्स पर टैक्स बढ़ाते चले जा जा रहे हैं। आपके औषधालयों का क्या हाल बताऊं। वहां एक गरीब अपने बच्चे को लेकर इलाज के लिये जाता है, डाक्टर उससे कहता है कि बाजार से इन्जेक्शन ले आओ, तो हम लगा

देंगे। आज वहां पर दवा तक नहीं मिलती है। आज गरीब के बच्चे अकाल मौत मर जाते आज जब कि एक ओर बाढ़ के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई है, वृक्षों पर गरीबों के बच्चे फंसे हुये हैं, बच्चे अपनी मां को, अपने बाप को, देख रहे है, मां-बाप उनको तड़पते हुये देख रहे हैं, सब फड़फड़ा रहे हैं, ऐसे समय में यह सरकार उन पर टैक्स लगा रही है। मैं तो इस सरकार को पाकिस्तान की अयूब की सरकार से कम नहीं मानता हूं। मैं इतनी बात कहकर अपना भाषण खत्म करूंगा और जो संशोधन माननीय भोखालाल जी तथा राधेश्याम जी ने रखा है उसका समर्थन करता हूं और कहता हूं शर्मा जी से कि अपनी सरकार के लिये ऐसा विधेयक मत लाओ। अगर हमको जिन्दा रहना है और आपको जिन्दा रहना है तो चाहे विकास न हो, हम बगैर विकास के अपने दिन काट लेंगे, आप जनता पर टैक्स का बोझ मत लादो। हमें, हे भगवान, आपका ऐसा विकास नहीं चाहिये। मरे हुये पर आप कंस और रावण की तरह टैक्स लगा रहे हैं। कृपा कर के बाढ़ और प्रलय के जमाने में तो कम से कम इस टैक्स को मत लगाओ।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर मेरा बोलने का कोई इरादा नहीं था। मगर इस विधेयक पर जितने भाषणों को मैंने बड़े गौर से सुना उनसे मुझे ऐसा लगा, और पहले भी बारबार इस विषय को सदन के सामने रखा गया है कि समाजवाद की व्याख्या यह है कि किसी प्रकार का कोई कर न हो, समता आवे और जनता पर दैवी विपत्तियां, जैसे बाढ़ आदि आवें तो उनका प्रबन्ध किया जाय। यह बड़ा बुनियादी प्रश्न है और इस सदन के कुछ दल हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर यकीन रखते हैं और कुछ लोग पंचवर्षीय योजना के अन्दर यकीन नहीं रखते हैं। कुछ लोगों का विरोध करों से नहीं है, लेकिन वह विकल्प के अन्दर कुछ दूसरे सुझाव देते हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि सरकार का बहुत-सा पैसा पूंजीपतियों पर बाकी है, यदि उसे वसूल कर लिया जाय तो किसी प्रकार के कर की आवश्यकता नहीं है।

दूसरा सुझाव बारबार, खास तौर से माननीय गेंदासिंह जी की तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से, यह दिया जाता है कि हम राष्ट्रीयकरण कर लें यहां की चीनी मिलों का, उससे काफी पैसा हमें उपलब्ध हो सकेगा और हमारी इकानामी अपने पैरों पर खड़े होने योग्य हो जायगी। इसके बाद यह कहा जाता है कि हम और भी कुछ साधनों को टैप कर सकते हैं। हमारे साथियों को यह समझना है कि हमने अपने संविधान के प्रति शपथ खाई है। उसके अनुसार हमारे प्रदेश की इस विधान सभा के कुछ अधिकार हैं। जैसे आय पर कर लगाना आदि हमारे क्षेत्र से बाहर है, एक्साइज ड्यूटी बहुत कुछ हद तक हमारे क्षेत्र से बाहर है। बार-बार जो चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात कही जाती है, एक मर्तबा हम फैसला करें कि वास्तव में जो प्रगतिशील कही जानेवाली प्रजा समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी हैं क्या वास्तव में वे चाहते हैं कि पूर्णतया राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई जाय? देश की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुये, जहां तक इस दल का सवाल है उसने मिक्स्ड इकानामी को, मिलीजुली नीति को, अपनाया है। उसके अनुसार हमने चलना शुरू किया। मैं माने लेता हूं गेंदासिंहजी की बात को कि यदि आज हम चीनी मिलों का राष्ट्रीकरण करलें, तो क्या हमारे प्रदेश में कोई भी मिल-मालिक, कोई भी प्राईवेट सेक्टर में, कोई कारखाना लगाने के लिये तैयार होगा, सूती मिल या दूसरी तरह के कारखाने या जैसे अभी बरेली में सिन्थैटिक रबर फैक्ट्री लगने जा रही है? तो पहला तो यह बुनियादी अखिल भारतीय सवाल है। हम तो अपने प्रदेश में चीनी मिलों का राष्ट्रीकरण करें और दूसरे प्रदेश अपने सूबे को उन्नत बनाने के लिये तरह-तरह के साधन प्राईवेट सेक्टर में लोगों को दें कि वे अपनी पूंजी वहां लगावें, इसका मतलब यह होगा कि उत्तर प्रदेश पीछे रह जायगा। हमारे यहां थोड़ी-सी शुगर फैक्ट्रियां होंगी, कुछ और कारखाने होंगे, लेकिन कोई व्यक्ति यहां पर अपनी पूंजी लगाने के लिये तैयार नहीं होगा। दूसरे प्रदेशों में राष्ट्रीयकरण न होने की वजह से कारखाने बढ़ते चले जावेंगे तो पहले हम यह तय करें कि वास्तव में हम राष्ट्रीयकरण चाहते हैं तो यह मिक्स्ड इकानामी की नीति हमारे प्रदेश में खत्म की जाय।

[श्री बनारसीदास]

जितने भी उत्पादन और वितरण के साधन हैं उन पर कब्जा किया जाय । क्या हमारे साथी चाहते हैं कि हम रशा का मार्ग अपनावें ? उसकी पिछड़ी हुई इकानामी थी हमारी तरह से । उसने सबसे पहले राष्ट्रीयकरण जमीन का किया । तो क्या कोई भी व्यक्ति जो जनता के ऊपर वोटों के लिये नजर रखता है वह सदन के सामने यह नारा लगाने के लिये तैयार है कि हम सबसे पहले भूमि का राष्ट्रीयकरण करेंगे ? रशा की तरह से बड़े बड़े फार्म होंगे, यहां पर कोआपरेटिव फार्म होंगे और उनके उत्पादन का हम राष्ट्रीय ढंग से व्यय करेंगे ?

अभी मैं दोपहर पहले सुन रहा था जबकि एक साहब ने कहा कि हमारे मंत्री देवताओं से बढ़कर हैं । पांच साल के बाद आते हैं लेकिन क्या कांग्रेस दल के लिये यह तारीफ की बात नहीं है कि एशिया में हमारा ही राष्ट्रीय कांग्रेस दल है जिसने समय के अन्दर तीन राष्ट्रीय चुनावों को सम्पन्न कराया है ? यदि मन्दिर के भगवान् से बढ़कर सत्तारूढ़ दल के लोग होते तो आज भी पार्लियामेंट में संविधान को तब्दील करने के लिये हमारी संख्या मौजूद है । यदि हम जनता से . .

श्री दीपनारायण सिंह---क्या यह कांग्रेस दल की व्याख्या का समय है ? क्या यह विधेयक पंचवर्षीय योजना से संबंधित है ? मैं समझता हूं कि आप मंत्रीजी को रोकेंगे कि असंगत बातें न कहें ।

श्री उपाध्यक्ष---वह उन सब बातों का जवाब दे रहे हैं जो इस तरफ से कही गई हैं ।

श्री बनारसीदास---श्रीमन्, मुझे खेद है कि हमारे साथी माननीय दीपनारायणजी को थोड़ा धैर्य नहीं है । मैं कोई बात भी इस विधेयक के बाहर नहीं कहना चाहता । इस समय विशेषकर यह विचाराधीन है कि यह कर लगाया जाय या नहीं । विरोधी पक्ष की तरफ से कुछ विकल्प में साधन बताये गये हैं । तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि क्या हम चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं, और यदि हम करें तो क्या यह नीति हमारे प्रदेश के लिये हितकर होगी । इसी विधेयक पर कई मर्तबा कहा गया कि राष्ट्रीय आय इस प्रदेश के लोगों की घटती चली जाती है । तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि यदि हम चीनी मिलों का राष्ट्रीकरण कर लें । एक रैशनल दृष्टि से आप देखें कि क्या उत्पादन में कोई वृद्धि होगी या जो लोग उसमें काम करने वाले हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी । नेशनलाइजेशन के मानी हैं कि हम नौकरशाही के हाथ में उत्पादन के साधनों को देंगे । कारखानों के मैनेजर उन्हें नियुक्त करेंगे । फिर भ्रष्टाचार की बात कही जायगी कि इसके अन्दर भ्रष्टाचार बढ़ गया है । तो क्या आप साहस के साथ कहने के लिये तैयार हैं कि हम प्राइवेट सैक्टर में नौकरशाही को बढ़ाते चले जावें जबकि पूरे तरीके सामाजिक प्रजातंत्र इस बात की इजाजत नहीं देता ? मेरा निवेदन है कि यदि हम आज इन मिलों का राष्ट्रीयकरण कर लें तो हमारे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भयभीत होकर नये कारखाने के लिये तैयार नहीं होगा । जहां तक इस स्टेट की सरकार का सवाल है, वह केवल बिजली पैदा कर सकती है, यातायात के साधन मुहइया कर सकती है, कारखानों को कायम करने के लिये जमीन दे सकती है, लेकिन पब्लिक सैक्टर में मुख्यतया कारखाने कायम करने का काम तो केन्द्रीय सरकार का है । केन्द्रीय सरकार ने हमको ३-४ कारखाने दिये हैं । बाकी औद्योगीकरण का क्या होगा ? यदि हम राष्ट्रीयकरण करते हैं तो हमारे औद्योगीकरण की प्रगति मंद हो जायगी और पंचवर्षीय योजना में हमने जो ४० लाख आदमियों को काम देने के बारे में सोचा है, क्या इन चार कारखानों और चीनी मिलों, जिनमें कि पहले से ही आदमी कार्य कर रहे हैं, इतने लोगों को काम दे सकेंगे ? यदि ठंढे दिल के साथ इस पर गौर किया जाय तो जब हम मिक्स्ड एकोनामी के मार्ग को अपनाते हैं तो चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात एक किताबी बात तो हो सकती है, लेकिन उसके देश और प्रदेश की तरक्की, उनकी समृद्धि और देश में उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से किसी भी प्रकार ग्राह्य नहीं हो सकती । पहले हमें यह तय करना होगा । हमें प्रसन्नता होगी कि पार्टियां जो इस चीज को चाहती हैं वे अपने घोषणापत्र में यह बात लिखें कि हम पूर्णतया राष्ट्रीयकरण चाहते हैं जिस तरह से रूस में किया गया है ।

संपत्ति को बढ़ाने के दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो वह है जो कि रूस में राष्ट्रीयकरण का अपनाया गया है और दूसरा तरीका प्राईवेट एन्टरप्राइज का तरीका है जो इंगलैंड और अमेरिका में अपनाया गया है। अमेरिका और इंगलैंड में जो तरीका अपनाया गया और उन्होंने जब तरक्की की उस समय कोई भी मजदूरों का कानून नहीं था। जैसा कि मार्क्स ने उदाहरण दिया था कि इंगलैन्ड में एक टाइपिस्ट की उंगलियों में टाइप करते-करते खून चू गया। दूसरा बताया गया कि फलां मजदूर टी० बी० से नहीं मरा, बल्कि उसको १८ घंटे बराबर काम करना पड़ा था, इसलिये मरा। तो इन पूंजीवादी देशों ने ऐसे समय में तरक्की की जब कि मजदूरों को गेहूं की तरह से पीसा जाता था, मवेशियों की तरफ से उनसे काम लिया जाता था। एक ओर अमेरिका में रेड इन्डियन की हड्डियों और खून का खाद दिया गया था और उसके बल पर आज के अमेरिका को बनाया गया।

दूसरा उदाहरण रशिया का है। उसने जब अपनी पहली योजना को कार्यान्वित किया तो चीनी, कपड़े और दूसरी चीजों का उत्पादन घटा, लेकिन दूसरी योजना में उन्होंने तरक्की की। पहले उन्होंने बेस इन्डस्ट्रीज को लिया, स्टील के उत्पादन को बढ़ाया और अपनी भोग्य सामग्री के उत्पादन को उन्हें कम करना पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि उनका जीवन स्तर नीचे गिरा। उन्होंने नेशनेलाइजेशन शुरू किया और पहले फार्मों से किया। आज हमसे कहा जाता है कि हमने झोपड़ियों पर कर लगा दिया, किसानोंपर कर लगा दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बुनियाद ही यहीं से रखी कि उन्होंने कहा कि फार्मों का ७० प्रतिशत उत्पादन सरकार लेगी। केवल ३० प्रतिशत कृषकों के लिये छोड़ा गया। उन्होंने अपने गेहूं और चीनी को एक्सपोर्ट किया और अमेरिका से इंजीनियर्स बुलाये, मशीनें मंगाईं और इस प्रकार से उन्होंने टेकनीकल क्षेत्र में तरक्की की। इस तरह से उपभोक्ताओं को बलिदान करना पड़ा, उपभोक्ता सामग्री पर नियंत्रण करना पड़ा।

आज, श्रीमन्, हमें इस बात का गर्व है कि महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी पंडित नेहरू के नेतृत्व में जनतांत्रिक तरीके से भारत को ऊंचा उठाने का संकल्प किया है, इस तरीके से हम भारत को नया भारत बना कर खड़ा करेंगे। लेकिन रूस, पोलैंड और चीन के तरीके से नहीं। आज चीन की आबादी हमसे ड्यौढ़ी से भी ज्यादा है। हमारे यहां से बृजमोहन जी वहां गये थे, उनकी किताब को देखें तो आपको मालूम होगा कि इतने बड़े मुल्क में हमसे आधी भी रेलवे लाइन नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह बिना परिमट के नहीं जा सकते। कौन नहीं जानता है १९६२ में वहां के केन्टून सूबे के अन्दर ७० हजार आदमियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और कौन नहीं जानता कि चीन के अन्दर पर साल अकाल पड़ा कितने आदमी अकाल से मरे? आज हमारे देश के अन्दर डेमोक्रेटिक प्लानिंग है। तो बावजूद इसके कि सन् १९५२ में अक्सर तस्वीरें आती थीं कि अकाल पड़ा है, लेकिन आज कोई कह सकता है कि हमारे देश के अन्दर अकाल से मृत्यु हुई है या भूखमरी से मृत्यु हुई है? श्रीमन्, आज सबसे बड़ा सवाल क्या है? आज सब से बड़ा सवाल यह है कि हमें अपनी इकोनामी को बिल्ड अप करना है। आज उत्तर प्रदेश की जन संख्या १० साल के अन्दर एक करोड़ बढ़ी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। माननीय सूचना मंत्री जी इस बिल पर बोल रहे हैं या किस पर भाषण दे रहे हैं? इसलिये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उधर से एक मर्तबा नहीं, बल्कि पचासों बार जब कि यात्री कर विधेयक पेश था तो आपसे टोकवाया गया और अपने माननीय सदस्यों को बोलने से मना किया। तो मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार का भाषण वे कर रहे हैं उसी प्रकार के भाषण इधर से भी हों तो उसे आपको टोकना नहीं चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि वे जवाब दे रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से आपके सारे आर्गुमेंट्स का। आप लोगों ने जो आर्गुमेंट्स दिये हैं उनका जवाब अगर वे देते हैं तो मेरे खयाल में यह कोई ऐसी बात नहीं है जो आप लोगों के जवाब में न हो। इसलिये यह इर्रेलिवेंट नहीं हो सकता।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—क्या श्री बनारसी दास जी माननीय मंत्री का काम कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—हर एक मंत्री को इंटरविन करने का अधिकार है। जब वे उधर से बोल रहे हैं तो जो बातें कही गयी हैं उसका जवाब वे दे सकते हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा—फिर अगर इधर से कुछ में कहा जाय तो आप न कहना कि यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—जितने माननीय सदस्य बोलते हैं, हर एक को आर्गुमेंट्स का जवाब देने का अधिकार है। आपको भी अधिकार है कि उनके आर्गुमेंट्स का जवाब दें, लेकिन मेरे खयाल में इधर-उधर नहीं जाना चाहिये।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, मझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह जनतंत्र का माना हुआ सिद्धान्त है कि हम दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करें, लेकिन मालूम होता है कि माननीय रामसुन्दर जी समाजवादी सिद्धान्त को नहीं मानते। जिन पार्टीज को तर्क में यकीन न हो या जिनके पास कोई तर्क न हो वे इसी प्रकार सहारा लेते हैं दूसरी चीजों का जो मुनासिब नहीं है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यहां पर असंगत का सवाल नहीं है, बल्कि यहां पर बुनियादी प्रश्न है कि नीचे के वर्ग पर टैक्स लगाया जाय या नहीं। इस विधेयक के अन्दर यह रखा गया है कि जो लोग शहरों के मकानों में रहते हैं और १० रुपये महीने से अधिक किराया देते हैं वे लोग भी मुल्क के निर्माण के लिये कर दें। यह कहा जाता है कि बहुत से लोग तो अस्पातालों में भर्ती की फीस तक नहीं दे पाते हैं फिर यह कर कहां से देंगे। यहां कोई पुराण नहीं बनाया जा रहा है। अगर आप हमारे संविधान को देखे तो उसके डाइरेक्टिव प्रिंसिपुल के अन्दर लिखा हुआ है कि कम से कम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां हर एक को मुल्क की सेवा का समान अवसर मिले और हर एक का यह बुनियादी अधिकार है कि वह अपने देश की तरक्की में हिस्सा ले, लेकिन हमने इस तरह का कोई वादा नहीं दिया था। मैं यह समझता हूं कि क्या सदन को यह बतलाने की जरूरत है कि हमारा देश गरीब है क्या यह बतलाने की जरूरत है कि हमारे देश में बेरोजगारी है ? क्या आज यह कहने की जरूरत है कि हमारे देश में बहुत से लोग धन के अभाव में स्कूलों में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, यह सब कौन नहीं जानता। क्या कभी किसी ने दावा किया है कि इंग्लैंड की तरह से यहां सीक्योरिटी की गारंटी है? कब हम ने दावा किया है कि हमने हर एक आदमी की निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया है ? हम चाहते हैं कि हम लोगों को जन्म से मरण तक जीवन भर सीक्योरिटी दे सकें जो कि बुनियाद चीज है उन को हम गारंटी दे सकें और इसी के लिये हम चाहते हैं कि देश का उत्पादन बढ़े, हमारी एकनामी बढ़े जो कि अभीतक व्यक्तिगत एकनामी थी और जो अंग्रेजों के जमाने में यहां पर बढ़ी।

एक सदस्य—प्वाइंट आफ आर्डर, मंत्री महोदय चेयर की तरफ पीठ करके बोल रहे हैं। इस तरह से संबोधन करना क्या उचित है ?

श्री बनारसीदास—आप को साफे की वजह से नजर नहीं आ रहा है। मुझे दुख है कि लोग समाजवादी सिद्धांतों में यकीन करते हैं वह लोग इस बात को कभी भी मानने को तैयार नहीं हैं कि प्राइवेट एकानामी या पुलिस स्टेट की एकानामी से समाजवाद की एकानामी में ट्रांसफर कैसे होगा। डाक्टर अहमद बार बार कहते हैं कि सेल्फ जेनरेटिंग एकानामी हो, लेकिन क्या आप शुरू में इसके लिये तैयार हैं कि नीचे से चला जाय। कहा जाता है कि अनएकनामिक होल्डिंग्ज हैं और लोग छप्परों में रहते हैं। तो क्या आप यह चाहते हैं यह मानकर चलें कि कोई कर न लगाया जाय, हम आपसे इसमें सहमत हो जायं, लेकिन क्या आप इस के बाद उस समस्या का सामना करने के लिये तैयार हैं कि ५ साल में जब

८५ लाख आबादी बढ़ जाय और २५८ रुपया ही हमारी हर व्यक्ति की आय रहे तब भी २ अरब तो मौजूदा स्तर को ही मेनटेन करने के लिये चाहिये और जब सन् १९९७ में हमारी आबादी १० करोड़ होगी तो हम किस नीचे के लेबिल पर चले जायगे। नियोजन की सफलता का मतलब यह होता है कि एक बार पूरा बलिदान करने की भावना जागृत हो जाय, एक दाने से सौ दाने जब पैदा होते हैं जब एक दाने की हस्ती मिट जाती है, स्वयं गल जाता है मिट जाता है। माता बच्चे को, प्रसव पीड़ा उठाकर, सिर से कफन बांधकर, पैदा करती है और इस तरह से नये संसार की रचना होती है। प्रकृति को भी आप देखें कि यही नियम है कि कष्ट के बाद नया संसार बनता है और समृद्ध को प्राप्त होता है। आज हम भी नया देश चाहते हैं और अगर ऐसा चाहते हैं तो हम उस के लिये बलिदान न करें, यह नहीं हो सकता। मैं माननीय गेंदा सिंह जी और दूसरे दोस्तों से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जब नान-कोआपरेशन का जमाना था और हमने कानून तोड़े तो महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर असहयोग की भावना जनता में घर कर जायगी तो ला एन्ड आर्डर का सम्मान प्राप्त करना मुश्किल हो जायगा, उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं कि इस तरह हम आग से खेल रहे हैं, लेकिन मैं वह खतरा भी मोल लूंगा।

बार-बार कहा जाता है कि कर नहीं लेना चाहिये और देश के उत्थान के लिये गरीबों का शोषण न किया जाय। आप बतायें कि जिस तरह से कि व्यक्तिगत जीवन होता है और जैसा कि मनु जी कहते हैं कि आहार और निद्रा का दमन होना चाहिये तो यह नियंत्रण किस लिये हैं? सब कहते हैं कि सब को अच्छा वेतन मिलना चाहिये, सब को खाना कपड़ा मिलना चाहिये, लेकिन वह सब को कैसे मिले? कोई भी समाजवादी सिद्धांत हो उसमें यह चीज पहले आती है कि समाज के उत्थान के लिये प्रत्येक व्यक्ति क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक दे। तो इस प्रवृत्ति का उदय कैसे होगा? मुझे प्रसन्नता हुई हमारे एक साथी ने कहा कि हमें खुशी है आप कर लगायें, ताकि जनता आपके विरुद्ध हो जाय। जैसा मैंने कहा आदमी की जो प्रवृत्तियां हैं इनको नियंत्रित करने के लिये धर्म और संस्कृति की जरूरत है। ऐसे ही एक राष्ट्र धर्म और युग होता है, ऐसे ही एक युग धर्म होता है उसमें प्रवृत्तियों का विकास करना पड़ता है। वह प्रवृत्ति जिससे देश और समाज के लिये हम अधिक से अधिक योग देने के लिये तैयार हों।

बारबार कहा जाता है कि आप फिजूल खर्ची बहुत करते हैं, मंत्रिमंडल का काफी विस्तार हो गया, क्योंकि आदमी के अन्दर ईर्ष्या पायी जाती है तो इस मनोवृत्ति को जनता में ले जाने के लिये, लोगों में ऐसी मनोवृत्ति पैदा हो, इसलिये ऐसी बातें कही जाती है। यहां के मंत्री पहले १,३०० रुपये फ्री फ्राम इनकम टैक्स पाते थे। अब १,००० रुपये पर इनकम टैक्स देना पड़ता है। केरल के अन्दर श्री थानू पिल्ले मुख्य मंत्री हैं वहां उनकी आमदनी ज्यादा है या कम है? कहा जाता है कि हम मोटरों में चलते हैं। मैं नहीं जानता यह क्यों ऐसे लोगों की तरफ से कहा जाता है जिनके नेता हवाई जहाज और एयरकंडीशन में चलते हैं। एक दफा मैं काठगोदाम गया तो उनके नेता एयर कंडीशन में थे और मैं फर्स्ट क्लास में था आज उनके नेता हवाई जहाज पर चलते हैं लेकिन यहां आ कर कुछ और ही कहा जाता है।

श्री राधेश्याम शर्मा—आप नाम बतायें सोशलिस्ट पार्टी का कोई भी नेता हवाई जहाज में नहीं चलता, डाक्टर राम मनोहर लोहिया को छोड़कर, वह भी जब विदेश जाते हैं। तो इस प्रकार की गलत बात क्यों करते हैं सदन में।

श्री दीपनारायणसिंह—समय नष्ट न हो, हवाई जहाज तो सब के लिये बनाये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठें।

श्री बनारसीदास—मैं दीपनारायण जी का आभारी हूं उन्होंने मेरा समर्थन किया। आज बीसवीं सदी का युग है। हवाई जहाज या अन्य सुविधायें पूंजीपतियों

[श्री बनारसीदास]

के लिये ही नहीं है सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के लिये भी ह। मुझे विरोध नहीं डाक्टर राम मनोहर लोहिया हवाई जहाज में चलें या एयर कंडीशन में चलें। लेकिन यह कहना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पैदल चलें, या गुप्ता जी दिल्ली जायें तो पैदल जायं ऐसा समाज हमें नहीं बनाना है। आप यह तय करें कि जनतंत्र चाहते हैं या एक तंत्र शासन चाहते हैं। हमारे यहां जो स्टेट्स हैं उनका प्रीवी पर्स एक साल में २३ लाख रुपया है। रामपुर तहसील जो लखनऊ के बराबर है जब तक उसका विलीनीकरण नहीं हुआ था नवाब रामपुर २० लाख रुपया लेते थे। 'इंगलैन्ड में काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स की तादाद ७० के करीब है। तो जैसे जनतंत्र बढ़ेगा, जनता आगे आयेगी, जैसा डाक्टर अहमद साहब ने कहा कि हमें इसमें कोई एतराज नहीं कि मंत्रिमंडल की जो भी तादाद हो, हम तो जज करेंगे आपके परफारमेंस से कि आपने हमारी क्या सेवा की। मैं कह सकता हूं, क्योंकि हम सरकार में रह कर पद लोलुप हो गये हैं, लेकिन देवरिया के समाजवादी पार्टी के नेता ३०० रु० क्यों लेते हैं जनता का स्तर तो बहुत नीचा है ?

इसलिये मैं कह रहा था समाजवादी इकोनोमी बनाने के लिये जैसे रशा ने कृषि फार्मों की उपज का निर्यात करके बिल्ड अप किया था उसी प्रकार हमें भी करना होगा। ठीक है, लेकिन क्या मोरारजी देसाई इसी के लिये बाहर घूमते नहीं फिरे कि हमें बाहरी सहायता प्राप्त हो? और अगर हमें बाहर से सहायता मिलना बन्द हो जाय तो हम अपनी एकानामी को कैसे बिल्ड अप करेंगे। एकानामी को बिल्ड अप करना है तो कर लगाना ही पड़ेगा। हमने कर लगाये हैं और हम जानना चाहते हैं कि इन बारह तेरह सालों में क्या यह वाकया नहीं है कि हमारे देश में और प्रदेश में उपभोक्ता वस्तुओं की खपत बढ़ी है ? क्या यह वाकया नहीं है कि हमारी क्रय-शक्ति बढ़ी है। कपड़ा लीजिये, सीमेंट का तिगुना उत्पादन, स्कूलों की संख्या, क्या क्या कहें। अगर हमारा सूबा इतना पिछड़ा हुआ होता तो हमारी क्रय-शक्ति कैसे बढ़ाती ? १० लाख टन से ३० लाख टन चीनी की पैदावार, यू०पी० के अन्दर अकेले ५,६ लाख टन चीनी की खपत। क्या यह घाघरा के सुपुर्द की जाती है या गोमती के अन्दर बहाई जाती है या यह कि सिंहानिया वगैरह खा जाते हैं। अगर गौर से देखें तो लखनऊ के अन्दर चीनी की दूकानों पर क्यू लगी रहती है। इससे साफ हो जाता है कि हमारी क्रय-शक्ति बढ़ी है। इसलिये हमने संकल्प किया है जैसे पहले की मुल्क की आजादी का किया था वैसे ही प्रदेश की आर्थिक आजादी के लिये संकल्प किया है उसके लिये हमारी नजर ६७ के एलेक्शन पर नहीं है। हममें उसके लिये भी साहस है। हम अभी भी किसानों के पास गये कोई धोखा नहीं है और कहा कि यदि आप चाहते हैं कि राष्ट्र निर्माण हो तो उसके लिये कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर सत्ता लोलुपता की बात हो सकती है तो एक ही हो सकती है कि हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे हम जनता में अप्रिय हों और कोई ऐसा कार्य न करें जिससे जनता की जेब पर असर पड़े। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अगर हम कर न लगावें तो उससे मंत्रिमंडल के जो लोग हैं उनकी सुविधाओं में क्या किसी प्रकार का कोई अन्तर पड़ने वाला है। फिर क्या भावना है जो इस प्रकार के तूफानों का सामना करने के लिये हम मजबूर हुए हैं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—इसीलिये लोग इतने हारे हुए हैं।

श्री बनारसीदास—हारे हुए लोगों की बात मैनेजर सिंह जी न करते तो बेहतर होता। थोड़ा तो अपने नेता गेंदासिंह जी से धैर्य का पाठ पढ़ लेते। इस चुनाव के अन्दर आपकी संख्या बढ़ी होती तो खुशी होती, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आपकी संख्या पहले से गिर गई।

श्री उपाध्यक्ष—आपस में इस तरह से बातें न करें।

श्री बनारसीदास--मैं तो यह चाहता हूं कि गेंदा सिंह जी हमारे उत्तराधिकारी बनें और वे हमारी यहां की एकानामी का निर्माण करें।

श्री दीपनारायणसिंह—आपका आह्वाहन गेंदा सिंह जी स्वीकार करने के लिये तैयार हैं।

श्री बनारसीदास—मुझे खुशी है कि कुछ लोग हैं कभी-कभी विचलित हो जाते हैं। अभी ५ या ६ महीने पहले माननीय दीपनारायण सिंह जी यहां हमारे पीछे आकर बैठने को तैयार थे, लेकिन वे कभी-कभी रास्ता भूल जाते हैं जब वह फतेहपुर में गंगा का पानी पियेंगे तो सही रास्ते पर आ जायेंगे। मैं अर्ज कर रहा था कि गेंदासिंह जी जल्दी ही हमारे उत्तराधिकारी बनें, उग्रसेन जी हमारे उत्तराधिकारी बनें। तो हम कदम साहस के साथ उठा रहे हैं और साफ-साफ बात रख रहे हैं। श्रीमन्, इसी सदन के अन्दर विरोधी दल प्रजा समाजवादी पार्टी का नहीं, के० एम० पी०पी० का था और त्रिलोकी सिंह जी उसके नेता थे। उस वक्त भी मैंने कहा था कि हमारे भावी मुख्य मंत्री त्रिलोकीसिंह जी हैं और भावी मुख्य मंत्री जो होता है वह तो बड़ा समझदार होता है। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि बावजूद इसके अगर जनता हमें वोट देती है तो इसलिये कि हम शांति और व्यवस्था के बीच में खड़े हैं। आज हमारे सामने एक बड़ी विषम परिस्थिति है। जिस तरह से गांधी जी ने 'करो या मरो' का नारा लगाया था उसी तरह आज फिर हमारे सामने एक नारा है कि हम आगे जाना चाहते हैं या पीछे जाना चाहते हैं। मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि भूख और बेरोजगारी बहुत दिन तक इन्तजार नहीं कर सकते। आज संतोष का जमाना चला गया, उत्पादन बढ़ कर रहेगा, बेरोजगारी दूर हो कर रहेगी। यदि कोई जनता को गुमराह करेगा, इस मोड़ को मोड़ने की कोशिश करेगा तो वह रास्ता बरमा का होगा, वह रास्ता पाकिस्तान का होगा। आज कुछ लोग जनता के अन्दर यह मनोवृत्ति पैदा करना चाहते हैं कि वह कर न दे। आज हमको इसके लिये साहस की जरूरत है। हां कहने के अन्दर कभी चरित्र नहीं होता, कमजोरी होती है। आज हमारा यह आध्यात्मिक बल है, हमारा साहस है कि हम आपको आग लगाने का मौका देते हैं। एक दफा एक बड़े नेता ने कहा कि जनता के अन्दर असंतोष की आग फैल रही है। तो दादा धर्माधिकारी ने कहा कि उसका उत्तरार्द्ध और कह दीजिये। उन्होंने कहा कि आप भी अपने दो टिक्कड़ सेंक लीजिये। तो असंतोष की आग पैदा कर के आप रोटियां सेंकना चाहते हैं। आप इस भ्रम में न रहिये कि आपकी रोटियां सिकेंगी। वह असंतोष की आग सारे समाज को भस्म कर देगी और उसके साथ वह व्यवस्थायें भी खत्म हो जायंगी जिनका कभी हमने और आपने कंधे से कंधा भिड़ा कर सृजन किया था। यदि आज हम यह चाहते हैं कि यह देश एशिया के तमाम मुल्कों के लिये एक संदेश-वाहक बन सके, यदि हम लोगों में यह विश्वास पैदा कर सकें कि जनतंत्र के द्वारा लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो इतिहास के अन्दर यह सब से बड़ा काम होगा। मैं गेंदासिंह जी से कहना चाहता हूं कि एक अवसर आया था सन् १९४२ में जबकि हमारे बहुत से नेता कांपते थे कि हम कैसे युद्ध करें, लेकिन हम लोग आभारी हैं आचार्य नरेन्द्रदेव के जिन्होंने कहा था कि यह संकोच का समय नहीं है, बिगुल बज चुका है, आगे बढ़ना चाहिये। तो आज उनकी भावना को हम लोग समझें, आज विचलित होने का समय नहीं है। चुनावों में क्षणिक लाभ हो सकता है, लेकिन जनता उसका परिणाम देखेगी। यदि आप सन् १९६२ के चुनावों का विश्लेषण करें तो पब्लिक यह कहेगी कि जहां हम हारे थे वहां जीते हैं और जो जीते वह हारे हैं। हमने तो कर लगाये थे, इसलिये कम हैं, लेकिन आखिर आप क्यों कम हैं? अगर आप यह कहते कि शासन के अन्दर टोनिंग अप होनी चाहिये तो हम आपके साथ होते। क्रांति के चार स्तम्भ हैं :--बिजली, कोयला, यातायात के साधन और लोहा। अगर हम सड़कों की लाइन बिछा सकें तो हम एक रास्ता तैयार करेंगे क्रांति लाने का। तो एकोनामी कीजिये, ऐडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप कीजिये। लेकिन जब आप बार-बार हमको इंगित करते हैं

[श्री बनारसीदास]

तो मैं कहना चाहता हूं कि आप आज एक प्रस्ताव पास कीजिये, हमें जिम्मेदारी दीजिये और हमें यह पावर दीजिये कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हम अपनी पार्टी का रख सकें, आज हमको जिम्मेदारी दीजिये कि हम अपनी पार्टी का एस० पी० रख सकें। फिर ५ साल के बाद या तो हम अपने को हैंग कर लेंगे वरना हम एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप कर देंगे। आप चाहते हैं कि जनतंत्रीय परम्पराओं में हम ऐसा करें। आज हमारी सरविसेज में हर पार्टीज के आदमी मौजूद हैं और हर विचार के आदमी मौजूद हैं और आप हम से आशा करते हैं कि हम ऐसे काम करें। हमने तो कसम खाई है कि हम जनतंत्र तरीकों पर ही चलेंगे। हम चेक और बैलेंस की पालिसी पर यकीन करते हैं। मानव में दोष हो सकते हैं। लेकिन यहां पर तो कलेक्टर की जिम्मेदारी हम पर है, थानेदार की जिम्मेदारी हम पर है। लेकिन इधर इतने बड़े स्तम्भ हैं उनके नैतिक बल का कोई आसरा नहीं है। पूज्य गांधी जी कहा करते थे और माननीय श्री प्रकाश जी ने लिखा था कि क्या एक भी आदमी योग्य नहीं था.....

श्री दीपनारायणसिंह---श्रीमन्, बारबार गांधी जी का नाम लेना और उनकी बात दुहराना ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया विषय पर आइये। इसको और लम्बा न करें।

श्री बनारसीदास---श्रीमन्, बार-बार इस सदन में नैतिकता का उपदेश देना उचित नहीं होता है। मुझे बताया जाय कि प्रयोगशाला कहां है जहां पर नैतिकता की धारा बहती हो, आपकी प्रयोगशाला कहां है जहां पर आप इसका विस्तार करना चाहते हैं। एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में ही प्रयोग करता है और फिर उस में सफल होने के बाद उसका विस्तार करता है। तो किस तरह से इस प्रदेश की जनता प्रदेश के भाग्य को निर्माण करने के कार्य को सुपुर्द करेगी। इसलिये यह हो सकता है कि आप प्रदर्शनों का आयोजन करें, आप हमें चेतावनी दें और यह भी हो सकता है कि आप हमें कदम-कदम पर चेतावनी दें और कहें कि हम इस विधेयक को पास नहीं होने देंगे, आप भले ही इस भावना को जनता में जाग्रत करें कि हम जनता के दुश्मन हैं और आप जनता के हितैषी हैं। श्रीमन्, यह स्थान का दोष है और कुछ नहीं है। अगर माननीय दीपनारायण सिंह जी और भगवान सहाय जी इधर बैठे होते तो शायद आज उनकी जबान बदली होती।

मैं समझता हूं कि आज राजनीतिक दलों का एक कोड आफ कंडक्ट होना चाहिये, क्योंकि बौद्धिक ईमानदारी राजनीति में कम होती चली जा रही है। आज लोग समझने लगते हैं कि हमें उपदेश देने का अधिकार है। लोग नये-नये उपदेश देने लगते हैं, नये-नये सुझाव देने लगते हैं, और अपने को लोग निर्दोष समझने लगते हैं, ईसा की तरह से। श्रीमन्, यह नीति जनतंत्र प्रणाली के विरुद्ध है। इसलिये श्रीमन्, जो विधेयक माननीय शर्मा जी ने इस आदरणीय सदन में पेश किया है उसके पीछे प्रदेश की वेदना है, उसके पीछे प्रदेश को बनाने की आकांक्षा है, उसके पीछे नयी संतति को सुखी तथा समृद्धिशाली बनाने की महत्वाकांक्षा है। हम चाहते हैं कि जिस तरह एक मां गीले में सोकर अपने बच्चे का पालन-पोषण करती है, वह स्वयं दूध न पीकर बच्चे को दूध पिलाती है, उसी तरह से आज हम अपने प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं।

श्रीमन्, हमने कभी दावा नहीं किया है कि हमने गलती नहीं की है। कौन गलती नहीं करता है, लेकिन आदमी वह है जो गलतियों से सबक लेता है। गलतियां तो नये आविष्कारों का साधन बनती हैं। आप यह कहते हैं कि हमने भूलें कीं। मैं इस बात को मानता हूं कि हमने भूलें की हैं। रूस ने भी अनेकों भूलें की हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आपकी सलाह हमको उपलब्ध नहीं थी। श्रीमन्, हमने बड़े साहस के साथ इस विधेयक को जनता के सामने लाने का फैसला किया है।

सीधी बात यह है कि प्रत्येक सौ रुपये पर २४६ रुपये वह देने के लिये तैयार हैं। मैं तो अर्थ शास्त्र का एक मामूली विद्यार्थी हूं। १४७ करोड़ रुपया इधर से और ३५० करोड़ रुपया उधर से, १०० रुपया आप दे दीजिये २४६ रुपया वह देने के लिये तैयार हैं। वह इंजेक्ट वहां होगा, वह कहां हो जायगा? सीधा सा अर्थ शास्त्र का सिद्धांत है, सर्कूलेशन होगा इकानमी टोन अप होगी और सेल्फ जनरेटिंग इकानमी बनेगी। आज आप देख लीजिये नये लोहे के कारखाने बन रहे हैं। यह एक तरीका होता है। जब हम एक इमारत खड़ी कर लेते हैं तो दूसरी मंजिल का बनाना आसान हो जाता है। पहली मंजिल में खर्चा ज्यादा होता है, दूसरी और तीसरी मंजिल में खर्चा कम होता है।

आज कौन नहीं जानता कि जिन्होंने सामाजिक क्रान्ति की है उनको विष पीना पड़ा है। महर्षि दयानन्द पर पत्थर बरसाये गये। हम सामाजिक क्रान्ति लाने के लिये जनता का कोप-भाजन बनने के लिये तैयार हैं, इस विश्वास के साथ, इस साहस के साथ, इस भावना के साथ, कि हमारी नीयत साफ है, हम प्रदेश की उन्नति के लिये जनता के बीच में जाना चाहते हैं। हमने कभी दावा नहीं किया है कि हम इस कुर्सी पर बैठ कर हमेशा शासन करेंगे। मैं कहता हूं कि आपको स्वागत करना चाहिये हमारे बिलों का। आप आतुर हैं कि शार्टकट से इन कुर्सियों पर आ जायं, आप चाहते हैं कि आप को मौका मिले इस प्रदेश की सेवा करने का। वह काम हम देना चाहते हैं। लेकिन श्रीमन्, मैं जानता हूं कि हिन्दुस्तान का किसान अपढ़ जरूर है, लेकिन वह सब समझता है कि हमारा शुभचिन्तक कौन है और विरोधी कौन है। बार-बार यह कहा गया कि विचित्र भाई तो गांधीवादी हैं। मैं कहता हूं कि अगर वह यह विधेयक न लाते तो वह गांधी-वादी न रहते तब मैं यह चार्ज लगाता कि वह जनता से डर करके, इस भय से कि कहीं उनकी कुर्सी खतरे में न पड़ जाय, पद लोलुपता के वश होकर, वह इस विधेयक को नहीं लाये हैं। हमने एक फैसला किया है। उसका हमारे व्यक्तिगत जीवन पर क्या असर होगा, हमारी पार्टी का क्या भविष्य होगा, हमारे सामने पार्टी से अधिक इस देश का भविष्य है। इस पार्टी के हित के ऊपर हमारे सामने उत्तर प्रदेश का हित है। हम इस देश के कल्याण के लिये कांग्रेस को कुर्बान कर सकते हैं और हमने इस बात का फैसला किया है। तो बार-बार उन्हीं दलीलों को दोहराना कि फिजूलखर्ची रोकी जाय, राष्ट्रीयकरण किया जाय, यह कहना, जैसा कि गोविंद सहाय जी ने कहा, एक चोर कहता है कि तुम चोरी क्यों करते हो। एक बड़े भारी दार्शनिक ने कहा कि यह दुनिया नकारात्मक बन गयी है। हमारी बुद्धि पाजिटिव होनी चाहिये, निश्चयात्मक होनी चाहिये, मैंने कहा है कि वह कोई प्लान पेश करें। उस पर हम विवाद करेंगे। वह बतायें तीसरे प्लान में इस तरह से प्रत्येक आदमी को रोजगार मिलेगा, लोगों का स्तर ऊंचा होगा।

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)---बराबर आपकी तरफ पीठ की जा रही है। उनसे कह दीजिये कि आप की तरफ पीठ न करें।

श्री उपाध्यक्ष---हां, जरा इधर काफी टाइम हो गया है।

श्री बनारसीदास---तो श्रीमन्, मैंने अर्ज किया कि विधेयक के पीछे एक दर्शन है, उसके पीछे एक भावना है, इसलिये हम उसे ले आये हैं। किसी भी नये युग को लाने के लिये नया परिवर्तन लाने के लिये जरूरत होती है त्याग की, जरूरत होती है बोझे को वहन करने की। आज हम उसी भावना से जनता के सामने आ रहे हैं और पांच साल के बाद जनता अवश्य महसूस करेगी कि जो हमने कदम उठाया था, जो कड़वी दवा दी थी, जो चीरा हमने लगाया था, वह उनके स्वास्थ्य के लिये था वह एक सर्जन्स नाइफ था, वह किसी एक बूचर का नाइफ नहीं था। इसलिये हमने इस विधेयक को पेश किया है। मैं जानता हूं कि आदमी कभी-कभी माइन्ड से काम न लेकर गर्मी से काम लेने की कोशिश करता है और हमारे माननीय गेंदा सिंह जी के हृदय में भी गर्मी होगी, और वह हमें अपनी गर्मी से परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि इस सदन के बाहर माननीय गेंदा सिंह जी हमसे जरूर सहमत होंगे, क्योंकि वास्तव में एक परम्परा-सी बन गई है विरोध करने की, इसलिये इसका विरोध वह करेंगे।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---श्रीमन्, इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये जो प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इस विधेयक में इतनी त्रुटियां हैं कि बिना इसको प्रवर समिति में भेजे हुये यदि हमने जल्दी में इसको पास कर दिया तो इस प्रदेश का बहुत बड़ा अहित होगा। इस विधेयक में क्या-क्या त्रुटियां हैं, इस विषय पर तो मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। सर्वप्रथम तो मैं कुछ ऐसी बातें बतलाना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की नीति क्या है और हम क्यों इसका विरोध करते हैं। हमारे माननीय सूचना मंत्री जी ने अभी बहुत अच्छा एक भाषण दिया। उसको सुनकर यदि यह पहला अवसर होता, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ ही दिन बीते हुये होते तो हम उनकी बातों में आ जाते और समझते कि जो कुछ वह कह रहे हैं वह बिलकुल ठीक है, लेकिन अब काफी समय बीत चुका है, और जैसी कि एक कहावत है कि काठ की हंड़िया बार-बार नहीं चढ़ती, तो हम कांग्रेस राज्य को अब काफी देख चुके हैं, पिछले १३-१४ वर्षों से देख रहे हैं। फारसी का एक मसला है---आजमूदारा आजमूदन जेहलस्त, जिसका अर्थ यह है कि जिसको आजमाया जा चुका है उसको फिर आजमाना जहालत है, यानी कि एक बेवकूफी है। तो इस सरकार को हम पिछले १२-१३ वर्षों से आजमा रहे हैं और इसकी पिछली दो योजनाओं को आजमा चुके हैं, उनके नतीजे जनता के सामने हैं। इसलिये जनता अब इनकी बातों पर फिर से विश्वास करके जहालत करने के लिये और बेवकूफ बनने के लिये तैयार नहीं है।

कोई भी सरकार बने, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, उसके अच्छे बुरे होने के कुछ लक्षण होते हैं। मैं उन लक्षणों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सब से पहली आवश्यकता तो एक अच्छे शासन की यह है कि जनता इस बात को महसूस करे कि वह सुरक्षित है और शांति और व्यवस्था कायम है। यह मैं समझता हूं कि किसी भी शासन का सब से पहला कर्तव्य है कि वह अपने अमनोअमान रखे। इस सरकार ने अपने इस कर्तव्य को किस हद तक निभाया है वह कल जो इस सदन में बहस हुई उससे स्पष्ट है कि सिवाय एक दो माननीय मित्रों जो जले लोगों को छोड़कर, सारे सदन के लोगों ने, इधर के बैठने वालों ने और उधर के बैठने वालों ने, इस बात को कहा कि इस प्रदेश में वह सुरक्षा की भावना आज नहीं है। तो जो प्रथम कर्तव्य होता है एक शासन का, उसमें यह शासन असफल रहा है।

दूसरा कर्तव्य मैं समझता हूं यह है कि शासन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि देश में खुशहाली बढ़े, गरीबी दूर हो। वह भी हम देख चुके हैं कि पिछली दो योजनाओं के बाद भी उत्तर प्रदेश में कोई खुशहाली नहीं आयी, और गांवों की हालत में तो और भी गिरावट आयी है। तो जब न शांति और सुरक्षा की भावना है, और न इस राज्य में कोई खुशहाली बढ़ रही है, तो हम कैसे इस राज्य की प्रशंसा करें और कैसे और टैक्स देने के लिये तैयार हों।

तीसरी बात एक और है कि किसी भी अच्छे राज्य में बेरोजगारी भी दूर होनी चाहिये। इस राज्य को हम तब सफल मानते जब दिन पर दिन बेरोजगारी दूर होती। लेकिन वह भी नहीं हो रही है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी एक अच्छे शासन के लक्षण हैं वह एक भी दिखलाई नहीं दे रहे हैं। आज जनता नहीं समझती है कि उसके साथ न्याय हो रहा है। कचहरियों की जो दुर्दशा आज है वह आप सब को विदित है कि न्याय इस प्रदेश में बिकता है। ऐसी हालत में आज जो यह नया टैक्सों का बोझा लादा जा रहा है, इसको जनता सहर्ष स्वीकार नहीं कर सकती है। हम तो बुनियादी तौर पर इस बात को कई बार कह चुके हैं कि इस सरकार के लिये टैक्स वसूल करने का और पाने का कोई नैतिक आधार नहीं रह गया है। इसी कारण से यहां हम लोग इसका विरोध करते हैं। इतनी बात ही नहीं है कि हम योजनाओं का विरोध करते हैं या उन्नति नहीं चाहते हैं बल्कि हमारा विश्वास इस सरकार में नहीं रह गया है, इसलिये हम कोई भी धन इस सरकार को देना गलत समझते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बुनियादी तौर पर हम इस विधेयक का विरोध करते हैं, लेकिन अब इस विधेयक के आने पर इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ बातें कहनी ही पड़ती हैं।

सबसे बड़ी बात जो इस पूरे विधयक को पढ़ने से मालूम हुई वह यह है कि वास्तव में यह विधेयक कर वसूल करने के लिये नहीं लाया जा रहा है, बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्रों पर असहनीय कर लगने वाला है, उसके लिये एक भूमिका तैयार की जा रही है । हमारे इधर के बैठने वाले भाइयों ने बार-बार यह कहा कि गांव वालों पर ही टैक्स लगाते हैं । इसलिये सरकार ने सोचा कि उसको लाने के पहले यह विधेयक ले आयें जिससे कहने का अवसर हो जाय कि शहर वालों पर कर लगा रहे हैं। लेकिन यदि आप इस विधेयक की धाराओं को गौर से देखें तो मालूम होगा कि वास्तव में यह विधेयक टैक्स लगाने या कम से कम अधिक टैक्स वसूल करने की दृष्टि से नहीं बनाया गया है । जहां तक भवनों पर कर लगाने का सम्बन्ध है मैं उसके विषय में अधिक नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जो भूमि शहरों के अन्दर पड़ी हुई है, जिस पर भवन नहीं बने हुए हैं उन पर जो कर लगाने की व्यवस्था है, उसकी ओर मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । श्रीमन्, सर्वप्रथम यह देखने की बात है कि इस तरह की खाली जमीन किन लोगों के पास हैं । जहां तक एक एकड़ या एक एकड़ से कम भूमि का सम्बन्ध है वह तो इस विधेयक के अनुसार कर से, यदि उसमें एक छोटी झोपड़ी भी बना ली जायगी तो, मुक्त हो जायगी । आज जो जमीन खाली पड़ी है एक एकड़ या उससे कम उस पर यदि वह झोपड़ी बना ली जायेगी तो उस जमीन पर टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि एक झोपड़ी का जो सालाना किराया होगा, उस पर लगेगा । इस प्रकार से एक एकड़ से कम क्षेत्रफल वाली जमीन बड़ी आसानी से कर से मुक्त हो जायगी ।

अब एक एकड़ से अधिक जिनके पास भूमि है और वे खाली छोड़े हुये हैं तो उनकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आप यह देखें कि यह कौन लोग हैं । छोटी श्रेणी के या निम्न श्रेणी के लोग एक एकड़ से अधिक जमीन को खाली नहीं छोड़ सकते । वह जमीन किसी धनवान के पास होगी । उस पर कर लगाने की यह व्यवस्था की गई है कि उसका जो वार्षिक किराया था, रेन्टल वैल्यू होगी उस पर १० प्रतिशत कर लगाया जायगा । श्रीमन, शहरों में जमीन जो खाली पड़ी है उसकी रेन्टल वेल्यू, आप स्वयं सोच सकते हैं कि बहुत ही कम होगी । यद्यपि उसका मूल्य बहुत अधिक है फिर भी रेन्टल वैल्यू नाममात्र की होगी । तो ऐसी जमीन पर, जिसका मूल्य लाखों रुपया है लेकिन रैन्टल वैल्यू कम होने के कारण, क्योंकि शहरों में मकान बनाने के सिवाय और जमीन का कोई उपयोग नहीं होता, कम कर लगेगा । जो उसकी रेन्टल वेल्यू होगी उस पर टैक्स १० प्रतिशत लगेगा । इस शहर लखनऊ में २ रुपया, २॥ रुपया, ३ रुपये और ४ रुपया प्रति वर्ग फुट तक जमीन का मल्य है । इस हिसाब से एक एकड़ जमीन का कम से कम मूल्य लगभग ८६ हजार रुपया हो जाता है । तो श्रीमन्, जिन लोगों के पास एक लाख रुपये या इससे अधिक रुपये के मूल्य की जमीन है उस पर बहुत मामूली टैक्स पड़ेगा, और १, २ रुपया सालाना टैक्स देकर उनको छुटकारा मिल जायगा । साथ ही आप यदि यह देखें कि इस जमीन से जो इसका मालिक खाली छोड़े हुए हैं उसको कितना लाभ पिछले १० वर्षों में हुआ है जिस जमीन का आज से दस साल पहले लखनऊ में ८ आने वर्ग फिट दाम था, उसका आज दो, ढाई रुपये वर्ग फिट का दाम हो गया है । उस जमीन के मालिक ने कोई मेहनत नहीं की, कोई पूंजी नहीं लगाई, कोई खतरा नहीं उठाया, लेकिन उसका दाम प्रति एकड़ ७० से ७५ हजार रुपया बढ़ गया है । हिसाब यह लगता है कि उस जमीन से ७००० रुपया प्रति वर्ष उसे आमदनी मूल्य वृद्धि के रूप में होती रही है । तो जिसे ७००० रुपया प्रति वर्ष लाभ होता है उसे आप मामूली टैक्स लगा कर छोड़ देनेवाली हैं, लेकिन उसकी तुलना में देखें कि किसान, जो खेती करता है, मशक्कत करता है, पूंजी लगाता है, बाढ़ और सूखा का खतरा मोल लेता है, उसके लिये आप क्या करने जा रहे हैं । वह विधेयक भी आ चुका है और उसे हम देख चुके हैं । उसमें कहा गया है कि भूमि का पूंजीगत मूल्य जो हो उसका ढाई प्रतिशत उस पर टैक्स लगाया जायगा । एक तरफ तो वह गरीब छोटा किसान है, जो किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह करता है, मेहनत मशक्कत करता है, उसके लिये यह तय किया गया है कि उससे जमीन के मूल्य का ढाई प्रतिशत टैक्स लिया जायगा और दूसरी तरफ रहमदिली देखिये कि जिन के पास शहरों में लाखों रुपये की यदि सम्पत्ति है उनकी जो रेंटल वैल्यू है और जैसा मैं पहले यह कह चुका हूं कि शहर की खाली जमीन की कोई खास

[श्री भानुप्रतापसिंह]

वैल्यू नहीं होती जब तक कि उस पर मकान न बन जाय, उसका १० फीसदी टैक्स में लिया जायगा श्रीमन्, मैंने यह बात इतने विस्तारपूर्वक इसलिये बतलायी कि वास्तव में सरकार ग्रामीण जनता पर टैक्स लगाना था, लेकिन उस के लिये पृष्ठभूमि तैयार करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। यह बात ऐसी न होती तो कोई कारण नहीं था कि शहर में जो जमीनें खाली पड़ी हैं, उनके लिये भी वही व्यवस्था न की जाती, जो ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों के लिये की जा रही है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी भी जो मार्केट वैल्यू है, जो मूल्य है, उसके ढाई प्रतिशत के बराबर उन पर टैक्स लगना चाहिये। यदि इस प्रकार का टैक्स लगाया जाता, तो मैं समझता हूं कि वास्तव में यह सरकार समाजवादी सरकार है और वह वास्तव में इस बात के लिये प्रयत्नशील है, कि जिनके पास अधिक है उनके से कुछ लेकर राज्य का काम चलाया जाय। लेकिन एक तरफ तो आपने गरीब आदमी की झोपड़ी को भी टैक्स से बरी नहीं किया और दूसरी तरफ जिनके पास लाखों रुपये की जमीन है, उनका इतनी आसानी से छोड़ दिया है कि वे दो चार रुपये सालाना देकर बरी हो जायेंगे। तो श्रीमन्, मेरा सब से बड़ा विरोध इस विधेयक में यही है कि अगर आपको टैक्स लगाना है ही तो कोई कारण नहीं है कि शहर की खाली जमीनों पर कम से कम वैसा टैक्स न लगे जैसा कि आप देहात के गरीब किसानों पर लगाने जा रहे हैं।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश और दो एक और अन्य प्रदेश ऐसे हैं जहां अब तक शहरी जमीनों पर टैक्स नहीं लगा था। अन्य प्रदेशों में पहले ही शहरी जमीनों पर टैक्स लग चुका है। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने ऐसे सुझाव दिये हैं और कहा है कि ऐसे टैक्स लगने चाहिये। उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि शहरी जमीनों पर टैक्स लगने के जो कानून हैं उनमें सब से अच्छा कानून बम्बई प्रदेश का है, अन्य प्रदेशों का बम्बई के कानून की नकल करना चाहिये। श्रीमन्, मैं इस सदन की सूचनार्थ बतलाना चाहता हूं कि बम्बई में ठीक वही बात है जो मैंने आपसे कही कि जमीन के मूल्य पर ढाई से ५ प्रतिशत तक टैक्स है। जहां कम से कम है वहां भी ढाई प्रतिशत है। तो यदि आप वास्तव में टैक्स इकट्ठा करना चाहते हैं, यदि टैक्सेशन इन्क्यायरी कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश को मानना चाहते हैं तो यह उचित होगा कि आप शहरों में जमीन के मूल्य पर कम से कम ढाई प्रतिशत टैक्स लगायें। इस विषय में मुझे प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल के वे शब्द याद आते हैं और मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। उनका कथन है कि इस समय शहरों में जो जमीनें खाली हैं उन पर पूरा टैक्स लगना चाहिये। इसके कारण लोग जल्दी से मकान बनायेंगे। मकानों की कमी दूर होगी।

श्रीमन्, कोई भी टैक्स का विधेयक जब आता है तो उसका उद्देश्य केवल रुपये की प्राप्ति ही नहीं होता है, बल्कि उसका कुछ सामाजिक उद्देश्य भी होता है। इस विधेयक का सामाजिक उद्देश्य यही हो सकता है कि शहरों में ज्यादा से ज्यादा मकान बनें, लेकिन इस विधेयक के स्वीकृत होने जाने पर ठीक उसका उल्टा होगा। जिन्होंने मकान बना रखे हैं, उन पर तो टैक्स पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों ने जमीनें छोड़ रखी है उन पर नाम मात्र का टैक्स पड़ेगा। जो हमारा उद्देश्य होना चाहिये वह इससे पूरा नहीं होने वाला है। मकान बनाकर मकान मालिक को तरह तरह के टैक्सेज और खर्च देने पड़ रहे हैं, जैसे कारपोरेशन को टैक्स देना या मकान की मरम्मत इत्यादि कराना। इस तरह से आप देखेंगे कि उसके सामने कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में कौन साहस करेगा मकान बनाने का लेकिन दूसरी ओर जो जमीनें खाली पड़ी हुई हैं, उनके मालिक मुफ्त में ही मुनाफा कमा रहे हैं। उनकी जमीनों के दाम अपने आप बढ़ रहे हैं। उन्होंने इनवेस्टमेंट का यह एक तरीका बना रखा है। आज वे एक जमीन २ रुपये स्क्वायर फीट लेते हैं वही जमीन कुछ समय बाद ५ रुपये स्क्वायर फीट हो जाती है। इस तरह से उनकी घर बैठे कमाई होती है। आप को मकान बनाने के लिये बाध्य करना चाहिये पर इस विधेयक से तो उन पर कोई ऐसा दबाव नहीं पड़ता है। इसमें यह त्रुटि है। इसका आपको सुधार करना चाहिये।

श्रीमन्, एक और बात जो इस विधेयक में देखने में आती है वह यह है कि कुछ नगर छोड़ दिये गये हैं। उदाहरण के लिये गोंडा जिले को ही ले लीजिये। बलरामपुर जो किसी प्रकार गोंडा से कम नहीं है वहां यह विधेयक लागू नहीं होगा। क्या कारण है यह तो मैं नहीं बतला सकता हूं। इसी प्रकार हमारे बस्ती जिले में मेंहदावल काफी बड़ा कस्बा है, पर वहां भी विधेयक लागू नहीं होगा। इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि जहां कुछ प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ उपाय करके, कुछ जोर लगा कर के अपने क्षेत्रों को कर से मुक्त करा लिया है। यह कहां तक उचित है यह मैं नहीं बतला सकता हूं। कहीं पर तो यह विधेयक लागू हो और कहीं पर नहीं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

मुख्य मंत्री (चन्द्रभानु गुप्त)—श्रीमन्, मैं कुछ सफाई देना चाहता हूं। कोई भी क्षेत्र छूटने वाला नहीं है। अब कुछ संशोधन के द्वारा वह ठीक कर दिया जायगा। इसलिये शिकायत नहीं होनी चाहिये।

श्री भानुप्रतापसिंह—इस समय विधेयक जैसा है उसके अनुसार तो कम से कम छूटने वाला है ही। ठीक है, जैसा आप कहते हैं यदि करें तो ठीक है यह तो साबित हो जाना चाहिये, कि सरकार एक निगाह से सब को देखती है।

इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो जमीन किसी मकान के साथ कर मुक्त रखी गई है वह १ एकड़ है और एक एकड़ भूमि का मूल्य शहर में लगभग ८६ हजार रुपये है। इसलिये इस क्षेत्रफल को भी घटाना आवश्यक है।

इन सब कारणों से मैं समझता हूं कि इस विधेयक के साथ न्याय हो नहीं सकता है जब तक कि यह एक प्रवर समिति को न भेजा जाय जो इस पर पुनः विचार करके, फिर से ठीक-ठाक करके इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करे। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय।

***श्री बेचनराम** (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने कल से दोनों पक्षों के वक्तव्यों को सुना, उससे स्पष्ट है कि सभी देश की उन्नति और समृद्धि चाहते हैं। प्रश्न केवल यह है कि कैसे हो। इसी को दृष्टिगत रखकर सारा विवाद है। हमारे इस विधेयक के उद्देश्य में यह स्पष्ट कर दिया गया है, एक मंतव्य है कि हमारा देश पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करना चाहता है जो हमारे देश की आवश्यकताओं की प्रतीक हैं। उनके पूरे होने पर हमारा देश उद्योगपूर्ण हो जायगा, देश की समृद्धि बढ़ेगी, बेकारी दूर होगी, ग्रामीणों की स्थिति अच्छी होगी इसीलिये यह विधेयक लाया गया है जिससे वे योजनायें पूर्ण हो सकें।

हमारे विरोधी दल के नेताओं ने अपने-अपने ढंग की बातें कहीं। हर एक विरोधी दल के नेता विरोधी तो करते हैं, लेकिन वह अपने मंतव्य में स्पष्ट नहीं है। भानुप्रताप सिंह जी ने कहा कि यह शहरी क्षेत्र पर कम कर लगाया गया है, यानी मूलतः वह इस विधेयक से सहमत है और समर्थन करते हैं, लेकिन खुले तौर से नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि ग्रामीण जनता पर जो भावी विधेयक आने वाला है उसके द्वारा अधिक कर लगेगा, लेकिन जो प्रश्न सामने है कि यह कर औचित्यपूर्ण है या अनौचित्यपूर्ण, तो वह सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं कि यह कर लगना चाहिये।

श्री भानुप्रतापसिंह—मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री बेचनराम—लेकिन आपके कथन से जो निष्कर्ष निकलता है उसका मतलब यही है कि शहरी क्षेत्र पर कम कर लग गया है, डिग्री का सवाल है कि कितना लगाया जाय, वैसे ठीक है। वैसे तो हमारी सरकार ने कभी स्वीकार नहीं किया कि इनकम बढ़ी है, लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बेचनराम]

हमने स्वीकार किया है कि पिछले १० वर्षों में हमारी आय पिछले सालों से बढ़ी है। १९५०-५१ और ६०-६१ का जो अन्तर है तो ५१.८२ करोड़ से बढ़कर आय १३८.५५ करोड़ हो गयी है, लेकिन मालूम नहीं होता। इसलिये कि हमारी आबादी बढ़ी है, इतने अनुपात में कि आय का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। आप दूसरे प्रदेशों, पंजाब इत्यादि और देशों, जापान की मिसाल देते हैं। जापान में तो वहां के सामान्तों ने स्वतः सारी जमीन सरकार को दे दी और सहर्ष दे दी। यहां जमींदारी अबालीशन हुआ, उसका अधिनियम बना, नियम बने और फिर भी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपीलें कीं कि जमींदारी रह जाय।

दूसरे देशों की हम मिसाल तो देते हैं मगर दूसरे देशों में क्या परिस्थितियां रहीं, और उन परिस्थितियों में गवर्नमेंट के प्रति जो उनका रेस्पांस रहा उस ओर क्यों नहीं आपकी दृष्टि जाती। अमेरिका, रूस, चीन और इंग्लैन्ड आदि देशों की मिसालें हमारे सामने हैं और हमारे माननीय सूचना मंत्री जी ने उसको विस्तार के साथ यहां रक्खा भी है। हम यह कर सकते थे कि वितरण के साधनों को अपने कब्जे में कर लेते, सब साधनों को अपने काबू में कर लेते, मगर अपने संविधान को जनतांत्रिक संविधान बनाया है, इसलिये हम यह नहीं कर सकते। हमें तो जनतांत्रिक तरीके से अपनी पंचवर्षीय योजना को पूरा करना है, आज जमीन पर जो प्रेशर है उसको कम करना है।

श्री उपाध्यक्ष—कृपया ऐसा बोलिये ताकि समझ में आ सके और लिखा भी जा सके।

श्री बेचनराम—अगर दूसरी पार्टियों की सरकार होती, जो समाजवाद में विश्वास करते हैं, तो उनके सामने भी क्या रास्ता होता? वे भी यही करते। हमारा देश सामन्तवादी देश रहा है। इस देश का विकास कैसे हो, यह हमें सोचना होगा। कैसे हम बड़े बड़े उद्योगों का विकास कर सकते हैं। उसके लिये हमें अवश्य जनता पर कर लगाना होगा। कहीं से साधन जुटाने होंगे। माननीय भानुप्रताप सिंह जी ने कहा कि चूंकि ग्रामीणों पर कर लगाया जा रहा है, इसलिये उसकी भूमिका तैयार करने के लिये शहरों पर कर लगाने का यह विधेयक लाया गया है। यह एक बहाना मात्र है। यह बिलकुल नहीं के बराबर है। यह उन्होंने कहा। तो मैं यह निवेदन कर दूं कि हमने तो अपनी तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही, वित्तीय साधनों नामक हैडिंग में लिख ही दिया है "कि तीसरी योजना में कृषि उत्पादन को अत्यधिक प्राथमिकता दी गयी है और इस अवधि में उत्पादन दूसरी योजना से ३५-४० प्रतिशत अधिक बढ़ाया जायेगा। इसलिये, यद्यपि ग्रामीण आय का स्तर बहुत ही नीचा है, इस क्षेत्र को भी योजना से पहले से अधिक अंशदान करना होगा। नये करों का भार कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों को भी उठाना होगा।" यह चीज हम पहले ही कह चुके हैं। तो हम कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों पर भी कर लगावेंगे। यह कोई ऐसी बात हम नहीं कर रहे हैं जो कि आकस्मिक हो। बहुत सोच समझ कर हमने यह कर लगाने का निश्चय किया है, इसको हम लगायेंगे, क्योंकि हमें आय के साधनों को जुटाना है।

एक सदस्य—माईक पर बोलिये, समझ में नहीं आ रहा है।

श्री बेचनराम—हम तो अपनी गरदन खुद ही काट रहे हैं, फिर आपको क्यों एतराज हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष—माइक पर बोलिये और ऐसा बोलिये कि मेरी समझ में भी आये और रिपोर्टर्स लोग भी उसको लिख सकें।

श्री बेचनराम—मैंने यह निवेदन किया है कि हमारी सरकार जो यह कर लगा रही है और जो कर लगाने का उसने निश्चय किया है, उसने वह बड़े सोच समझ के साथ किया है।

यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है या उसने किसी भावावेश में आकर, या किसी लाभ या लालच या किसी भय-वश उसने ऐसा कार्य नहीं किया है, बल्कि उसने बहुत सोच समझ कर ठंढे दिल से, नियोजित रूप में इस निश्चय को किया है।

इस समय हमारे सामने जो परिस्थिति है, जिस समाजवादी समाज को बनाने का हमने प्रण किया है, उसी समाज को बनाने के लिये यह रास्ता हमने अपनाया है और उसी के लिये साधन जुटाने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। अपने प्रदेश और देश को हम औद्योगीकरण की ओर ले जाना चाहते हैं तथा समाजवादी समाज की स्थापना हम करना चाहते हैं। इसके अलावा जनतंत्रवादी विधान के अन्दर और कौन सा रास्ता हो सकता था? जो रास्ता है उसी का उपयोग किया जा रहा है और वह हमारी संस्था और पार्टी ने बड़ी सोच समझ कर वैज्ञानिक ढंग से उस रास्ते का उपयोग किया है हमारे देश की परिस्थिति, एकोनामिक और सामाजिक स्थिति के अनुकूल ही यह प्रस्ताव है। बिना साधनों के जुटाये कोई भी पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो सकती, न कोई प्लान ही बनाया जा सकता है, न बड़ी बड़ी नहरें और बांध बनाये जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर है कि देश का उत्पादन कभी नहीं बढ़ सकता है और यह भी जाहिर है कि इन साधनों को जुटाने के लिये हमें कर लगाने ही पड़ेंगे।

इस संबध में तरह तरह की बातें कही गयीं। कल कुंवर श्रीपाल सिंह ने कहा कि प्रभाष क्षेत्र में यादवों के विनाश की भांति इनका भी विनाश होने वाला है। वह तो पूर्ण सामन्ती शक्तियों की लड़ाई और विनाश था लेकिन हमारी सरकार तो सामंतवादी सरकार को खत्म कर रही है और किया है। वह तो जनतंत्र की सरकार की स्थापना करना चाहती है। कुंवर साहब तो सदा से सामंती सरकार के पोषक रहे हैं। लेकिन यह कांग्रेस की संस्था सदा से शोषणवाद, सामंतवाद के विरुद्ध रही है और समाजवाद, एकता और जनतंत्र की प्रतीक रही है और उसी प्रकार के राज्य की स्थापना करना इसका ध्येय है।

इस देश में ऐसे अवसर जब जब आये हैं तब तब देश में ऐसे तत्व भी पैदा होते रहे हैं जिन्होंने देश को बिट्रे किया है। मोहम्मद बिन कासिम के जमाने में उसको रास्ता बताया, जयचन्द ने पृथ्वीराज को मरवाया। आज भी जब हमारे सामने देश को ऊंचा उठाने का सवाल है, देश को आर्थिक आजादी दिलाने का सवाल है, और हमारी सरकार उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है तो उसके मार्ग में रोड़ा अटकाता जाता है। देश को आगे बढ़ाने के लिये सरकार ने यह निश्चय किया है कि उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिये सरकार को जो साधन अपनाने पड़ेंगे उनको वह अपनायेगी और उन साधनों का उपयोग करेगी।

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, आप इस तरह बोलिये कि वह लिखा जा सके। आप बहुत जल्दी बोलते हैं।

श्री बेचनराम—मैं, इस वजह से कि समय ज्यादा न लगे, अपनी बात को जल्दी ही कह देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप माइक पर बोलिये और ऐसा बोलिये कि लिखा जा सके।

श्री बेचनराम—अगर समय की बंदिश न होती तो ऐसा ही बोलता। श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे देश में जब भी ऐसा अवसर आया कि हमारे देश की आजादी, हमारे देश की सांस्कृतिक आजादी, आर्थिक आजादी या सार्वभौम सत्ता खतरे में रही तो हमारे देश में एक ऐसा तत्व रहा जो बराबर बड़ा से बड़ा त्याग व कुर्बानी करने के लिये तैयार हुआ लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में कुछ ऐसे भी तत्व रहे जिन्होंने हमारे देश के साथ विश्वासघात किया और हमारी पीठ में छुरा भोंका। मैं कहता हूं कि जिस तरह हमारा आर्थिक अभियान चला वह इस पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने का ही अभियान है। जब तक हमारा आर्थिक अभियान सफल नहीं होगा और हमें आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी तब तक हमारा देश सच्चे अर्थ में आजाद नहीं होगा। तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता जब तक

[श्री बेचनराम]

कि हमारे देश की सुरक्षा का खतरा बना रहेगा। इसके माने यह हैं कि हमारा देश वहीं का वहीं बना रहेगा। आज जनता के बीच में विरोधी दल के लोग जाकर कहते हैं कि ये जो गद्दी पर बैठे हुये हैं, बेकार आदमी हैं, ये कुछ नहीं करते। अगर आप कांग्रेस दल के लिये कहते तो बात दूसरी थी। अगर देश के कल्याण की दृष्टि से आप इस तरह की बात कहें तब तो ठीक है लेकिन आप यह तो सोचें कि इस अवसर पर अगर आप यहां होते तो क्या करते। आप किस तरह से योजना की सफलता के लिये साधन जुटाते। चीन की एक मिल में पाणिक्कर साहब एक बार गये थे तो एक मजदूर के पास जाकर रुके जो डबल ड्यूटी कर रहा था। उस मजदूर को देख कर उन्होंने कहा कि इतनी क्या जल्दी है जरा सुस्ता लो। इस पर उसने सामने ट्रूमैन की तस्वीर को दिखलाते हुये कहा—क्या आप नहीं जानते कि मुझे इस ट्रूमैन को पराजित करना है? इसी तरह से हमें भी चाऊ एन लाई, मा ओत्से तुंग व पाकिस्तानी एग्रेसर को डाउन करना है, उनको पराजित करना है और उसी लहजे में इस बिल को बनाया गया है। श्रीमन्, जब तक हमारे देश के लोग इस दृष्टि से नहीं सोचेंगे तक हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। आप तो किसी न किसी प्रकार, येन केन प्रकारेण हमें बदनाम करने के फेर में हैं। आप एक तरफ तो गाड़ी को रोक भी देते हैं और दूसरी तरफ पैसेंजर से भी कहते हैं कि देखो भाई इन्होंने गाड़ी रोक दी है। आप कृपा करके गाड़ी को चलाने तो दें, फिर देखेंगे कि गाड़ी किस तरह से रुकती है। माननीय सूचना मंत्री जी ने—अधिकारपूर्ण तरीके से सारी बातों का जवाब दे दिया है जिससे विरोधी दल भी सहमत होंगे।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, अभी जो माननीय सदस्य श्री बेचनराम जी बोल रहे थे, दुर्भाग्य से उन्होंने जो कुछ कहा—उसमें से कुछ भी हमारे पल्ले नहीं पड़ा। आपने हम लोगों के ऊपर बड़ी मेहरबानी करके कई बार चाहा कि हम लोगों के पल्ले कुछ पड़ जाय, लेकिन वह नहीं पड़ सका....।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह के पल्ले कभी भी सही बात नहीं पड़ती।

श्री गेंदासिंह—मैं देखता हूं कि हमारी सही बात किसके पल्ले पड़ती है। श्रीमन्, एक बात मेरे कान में पड़ी जो उन्होंने कहा कि हम तो अपनी गर्दन में ही फांसी लगा रहे हैं। श्रीमन्, भला यह इजाजत दी जायगी? यह कभी नहीं करने देंगे हमलोग। अगर हम यह करना चाहते हैं तब तो ताजीरात हिन्द की दफा के अन्तर्गत पकड़ लिये जाते हैं और जेलखाने चले जाते हैं, लेकिन अगर कहीं आप यह करने लगें तो हमलोग आकर जबरदस्ती बांह पकड़ कर आपको ऐसा करने नहीं देंगे, इतना वे समझ लें। यह जो विधेयक है वह फांसी लगाने जैसा ही है। तो अब आप बतायें कि हम लोग क्या करें इधर बैठे हैं यदि ऐसे फांसी वाले बिल पेश हों। बहुत ही अधिक खराब यह बिल है। मैं राम मूर्ति जी से कहूंगा कि उन्हें अपने ही एक मेम्बर की बात समझनी चाहिये कि वह समझ रहे हैं कि यह फांसी लगाने वाला बिल है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल आप किस लिये लाये हैं? इसलिये कि पैसा इकट्ठा हो, विकास के काम हों। लेकिन शहरों के डेवलपमेंट का कितना ध्यान है और आज शहरों में मकानों की बात तो जाने दीजिये झोपड़ियों की, कोठरियों की, गरीब आदमियों की चारपाई बिछाने की, रिक्शा छिपाने की और कहीं सिर छिपाने की जगह की शहरों में कितनी कमी है। छोटे शहरों की बात जाने दें, लेकिन बड़े शहरों में क्या हालत है? बहुत बुरी हालत है। मैंने ही सदन में एक बार सवाल किया था कि कितने लोगों को मकानों की कमी है। हमको महसूस नहीं होता है, लेकन जिसके पास इस बरसात में सोने के लिये स्थान न होगा उसकी समझ में यह बात आती होगी कि मैं किस दुनिया में रह रहा हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि विकास के कार्य के लिये रुपये की जरूरत है, उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये हाथ चाहिये, दिल चाहिये और रुपया चाहिये। हाथ मन और रुपया, अगर यह तीनों चीजें न रहें तो विकास का काम नहीं चल सकता। अगर हम मान लें कि कुछ रुपया किसी तरह से इकट्ठा कर लें, लेकिन हाथ और मन जो सारे देश की थाती हैं उनको आपने खो दिया तो काम कैसे चलेगा? आप ८०–८१ लाख जनता से इस बिल के द्वारा कुछ न कुछ लेना चाहते हैं और उसके अलावा एक और बिल जो आगे आया है उस पर हम विचार करेंगे, उस की मारफत हम जो गरीब से गरीब ग्रामीण है उस से भी कर लेना चाहते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप कर सब से लें, लेकिन जिन को पिछले दस बारह साल में हमने कुछ दिया है तो उनसे लेने में हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिये, लेकिन वह बहुत थोड़ी संख्या है जिनको हम ने पिछले साल में कुछ दिया है। अब हालांकि माननीय बनारसी दास जी ने जैसे बहस बनाई उसके अन्दर तो मैं न जाऊंगा, उनका असम्मान होगा जो मैं करना नहीं चाहता और मैं उसमें न जाकर केवल संक्षेप में ही कुछ कहूंगा। मैं इस पहल बिल पर ही अपने को सीमित रखना चाहता हूं। एक आध बात उन्होंने कही, चन्दे की बात और एक दो बातें उनका जवाब तो देना ही होगा। मैं बिल पर ही सीमित रहकर कहूंगा कि इस बिल में कहीं यह बात दिखाई गई है कि शहरों में जो निर्धन लोग हैं जिनको कि मकान की दिक्कत है, उनके लिये मकान बनाने की कोई योजना हमारे पास है? बम्बई महाराष्ट्र या दूसरे सूबों में जिस तरह से लोगों को मकान बनाने में मदद दी गई और जो ग्रेटर बम्बई है उस को भी माननीय मुख्य मंत्री और शर्मा जी ने देखा होगा जहां सारे देश भर के लोग इकट्ठा होते हैं और खास तौर से यू०पी० के लोग इकट्ठा होते हैं उन के लिये भी मकान की व्यवस्था हो जाय। लेकिन हम अपने यहां नहीं कर सकते। हम यह नहीं कहते कि बम्बई में सब के लिये मकान की व्यवस्था हो गई, लेकिन वहां मकानों पर जितना रुपया व्यय हुआ है, जितने मकान वहां बने हैं। कृपा कर के वह फिगर आप रख दें। मैं समझता हूं कि हम बहुत पीछे हैं मकान के मामले में और अगर हम आगे हैं तो वह बतायें। मैं उन लोगों में से हूं जिसको यह सुनकर सब से ज्यादा प्रसन्नता होगी। हम बहुत पीछे हैं। देश भर के लोग वहां जाते हैं, सिर्फ बम्बई के नहीं। इसलिये मजबूर हैं, उनको वहां पटरियों पर सोना पड़ता है। उनमें से ज्यादातर लोग इस प्रदेश के हैं जिनको मजदूरी और भीख मांगने के लिये जाना पड़ता है और जब बम्बई की सरकार कहती है कि भीख मांगने वालों को ले जाओ तो हमारी सरकार कहती है नहीं, यह तो हमारा अधिकार है, कहीं भी जा कर देश में अपनी आजीवका कमा खा सकते हैं।

इस विधेयक का क्या परिणाम होगा? माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने विस्तार से कहा। मैं एक बात जानना चाहता हूं। कितने शहरों के कागज आपके पास तैयार हैं कि शहरों में कितनी जमीन गैर मजरुआ है, कितने पर मकान हैं, कितनी जमीन खाली है? इसके कुछ आंकड़े तो मंत्री जी कल तक बता दें। मैं कहता हूं जमींदारी अबालीशन जब नगरों में करने की बात आयी तो कठिनाई यह आयी कि कागज ही नहीं हैं कि कितनी जमीन मजरुआ है, कितनी गैर-मजरुआ है, कितना ऐग्रीकल्चरल लैन्ड है, कितना नान-ऐग्रीकल्चरल लैन्ड है, इसीलिये वहां जमींदारी अबालिश जल्दी नहीं की गई। मैं सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जरा ग्रामीण नक्शों की तरफ जायं। जो गांवों के नक्शे बनते हैं, जहां घर होते हैं उन घरों का कोई नक्शा लेखपालों के कागज में सही होता है। उन गांवों में जो जमीन आबाद नहीं होती उसका कोई नक्शा होता है? कोई कागज नहीं होता। उसी तरह से आपके शहरों की हालत है बड़ी भारी दिक्कत आपके सामने होगी। इस कर से २ करोड़ रुपये की आमदनी होने वाली है जिसमें से २० लाख रुपया आप इस आमदनी को प्राप्त करने के लिये खर्च करेंगे। इस बात को क्यों नहीं जोड़ते हैं यह जो ८१ लाख की आबादी है उसको कितनी रिश्वत देनी पड़ेगी। आपने बिल में रखा है कैपिटल वैल्यू का कुछ परसेंटेज लेंगे। यह कैपिटल वैल्यू कौन बनायेगा? वही कर्मचारी जो आप रखेंगे। जमीन और मकान की कैपिटल वैल्यू निर्धारित करने में जो भ्रष्टाचार फैलेगा आप शायद उसकी कल्पना नहीं करते होंगे। अगर कल्पना करें तो भय खायेंगे। दो करोड़ रुपये आपको लेना है, यह बात सही है। ऐसी

[श्री ईदासिंह]

बात नहीं है कि आप बिलकुल नहीं जानते, क्योंकि बहुत साफ स्टेटमेंट में कहा गया है, जरा यह सेंटेंस पढ़ लें जिसमें कहा गया है ' यह पाया गया कि उक्त कर से वार्षिक लगभग १ करोड़ ८१ लाख रुपया बचेगा। इस आय में कुछ बढ़ोत्तरी की गुंजाइश इस बात में निहित है कि निर्धारण सही तौर पर हो"। इस बात की कल्पना आज ही से आप कर रहे हैं। दो करोड़ रुपया लेने के लिये शहर से कोई दूसरा उपाय ढूंढें। उन लोगों से लें रुपया, जैसा भानु प्रताप सिंह जी ने कहा, जमीन अगर खाली लोग रखे हैं तो उनसे कुछ रुपया लिया जाय। ऐग्रीकल्चरल लैन्ड का नहीं। जमीन जो शहर की खाली है अगर उससे कुछ रुपया ले सकें तो लें। मैं डरता हूं इसलिये उसमें भी फिर एक झंझट होगा, सरकार बदनाम होगी। इसलिये मैं तो दाना दुश्मन हूं, नादान दोस्त नहीं हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके दूसरे उपाय ढूंढें और उन लोगों से मांगिये जिनको हमने कुछ दिया है।

पर कैपिटा इन्कम जोड़ने का जो तरीका है वह गलत है और पुराने जमाने से चला आ रहा है। जब पर कैपिटा इन्कम निकाली गयी है तो पता चलता है कि शहरों की पर कैपिटा इन्कम बढ़ी है और ग्रामीण की कुछ घटी है। यह सही है कि ग्राम ण की पर कैपिटा इन्कम बहुत घटी है, लेकिन शहर की भी कहां ऊंची चली गयी है? शहरों में छोटे दूकानदार हैं, क्लर्क्स हैं, चपरासी हैं, भीख मांगने वाले हैं और रिक्शा चलाने वाले हैं। क्या उनकी आमदनी बढ़ी है? जिनकी आमदनी बढ़ी है उनकी कितनी संख्या है? उनकी आमदनी नहीं बढ़ी है और जब नहीं बढ़ी है तो उनसे टैक्स लेने का आपको कोई हक नहीं है। जिनकी आमदनी ऊंची है उन पर आप डेवलपमेंट लेवी लगाइये और मुल्क के वास्ते कुरबानी करने के लिये कहिये, लेकिन उनके पास जिनके लिये कुछ नहीं हुआ है, क्या है? उनसे हाथ और मन की कुरबानी करने के लिये कहिये, उनको उसके लिये तैयार कीजिये और बिना उनका हाथ और मन लगे हुये मुल्क नहीं सकता। मैं समझता हूं कि आप को जो यह विधेयक ले आये हैं इससे आप शहर वालों ब रह कर र हैं और जो दूसरा बिल आ रहा है उससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नाराज कर हैं। मुझे भय लगता है कि आप दोनों को नाराज कर रहे हैं और दोनों को नाराज करके कोई विकास योजना हो, कोई काम मुल्क की तरक्की का हो, उसमें सफलता नहीं मिल सकती, नहीं मिलेगी। मुझे लोग कमजोर कहते हैं। लेकिन मैं ऐसा कमजोर बना रहना चाहता हूं। कुछ लोगों को अगर आप नाराज करके पैसा ले सकें जो अपने को देशभक्त कहते हैं और देश की चिन्ता में दिनों रात चौबीसों घंटे देश विदेश सभी जगह मेहनत करने में लगे हैं और टेलीफोन पर बैठे रहते हैं, चिट्ठें लिखते रहते हैं, उनसे पैसा लीजिये, मुझे खुशी होगी अगर उनसे पैसा लिया जा सकता है और लेने में कोई दिक्कत भी नहीं है तो उनसे क्यों नहीं लेते?

लोग कहते हैं कि मुझे चीनी की बीमारी है। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बहुत नीरोग हूं। मैं चीनी बहुत ज्यादा खाता भी नहीं हूं, अगर बनारसीदास जी चीनी बहुत खाते हैं तो वह भुगतेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि माननीय बनारसीदास जी तो पार्लियामेंटरी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। अगर वह कोई बात कहें तो समझ बूझ कर कहें, क्योंकि उनकी बात की बहुत कीमत होती है। वह जरा बतायें कि ५,६ वर्षों में चीनी की उपज कितनी अनुपात में बढ़ी है और उसकी खपत किस अनुपात में बढ़ी है। न हो तो नेगी जी से पूछ लीजिये, लेकिन हमारी दिक्कत तो यह है कि आप लोगों की आपस में शायद बोलचाल नहीं है। अगर मैं कोई गलत बात कहूं तो मैं कह लूंगा कि मेरे पास कागज पत्र नहीं था, लेकिन आप कोई बात जब कहेंगे तो उससे कौन इंकार करेगा? आज चीनी की खपत उपज के अनुपात से बढ़ी नहीं है और नतीजा यह है कि आप को उसके लिये बाजार ढूंढना पड़ रहा है। मैं यह सब देखकर ही तो कह रहा हूं कि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बिना इस मुल्क का कल्याण नहीं है। आप उस मामले में दूसरे प्रदेशों को सामने न लावें। आप जानते हैं कि प्रदेश में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र हो गया

है और अगर मैं गलत नहीं करता तो महाराष्ट्र में कुछ ही मिलें प्राइवेट सेक्टर में हैं, सारी कोआपरेटिव में हैं। तो वहां राष्ट्रीयकरण करने का सवाल कहां उठता है ? हम समझ नहीं पाते कि पाटिल साहब और हमारे मुख्य मंत्री में भी पटरी है या नहीं। हम तो समझते हैं कि पाटिलसाहब से झगड़ा आपका है। आप कबूल करें या न करें और पाटिल साहब तुले हुये हैं यू० पी० को बरबाद करने के लिये। दो दिन से पार्लियामेंट में बहस हो रही है, मैं उसका ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आप समझ लें कि वह क्या कर रहे हैं ? जो करोड़ों रुपया किसानों के घर में जाने वाला था वह एक बिल ला कर उन्होंने धो दिया और उसमें सारे का सारा पैसा रिहैबिलिटेशन के नाम पर चीनी मिलों को दे दिया। एक कहावत है हमारे यहां कि "न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी"। अगर चीनी मिलें मिल मालिकों के हाथ में न रहें और रिहैबिलिटेशन एलाउन्स उनको मिले भी तो वह किस को मिलेगा ? किसानों को, गरीबों को और उत्तर प्रदेश सरकार को। आप देखें कि सन् १९५३ से ६२ तक, ८ वर्षों में कितने रुपये की छूट भारत सरकार उनको देने जा रही है। मैं ठीक हिसाब तो नहीं बता सकता, लेकिन वह करोड़ों में है। आखिर यह किस लिये ? मिलें पुरानी हो गयी हैं, उनकी कीमत कम है, कई फैक्टरियां हमारे यहां नीलाम भी हुईं, लेकिन किसी की कीमत २६ लाख से ऊपर नहीं आयी। ६५–६६ फैक्टरियां हमारे यहां हैं। उनकी इस हिसाब से कितनी कीमत होगी, यह हिसाब जोड़ने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब चूंकि ये मिलें पुरानी हो गयी हैं, इसलिये इनको बनाने की जरूरत है और इसके लिये काश्तकार और सरकार के पैसे से उनको रिहैबिलिटेट किया जा रहा है। तो हम खुद क्यों न रिहैबिलिटेट करें ? मैं माननीय बनारसीदासजी को डायरेक्टर मानने के लिये तैयार हूं। जैसे गाडगिल साहब महाराष्ट्र की फैक्टरियों की मदद करते हैं वैसे ही आप इन फैक्टरियों को लीजिये और इनको एफीशियन्ट बनाइये।

मैंने किसी वक्त कहा था कि १५ करोड़ साल का आपको इनसे मुनाफा होगा। दिक्कत हमारी यह है कि इस सदन में जब हम लम्बी बात करते हैं तो ग ऊब जाते हैं और हम भी समझते हैं कि यह काम ऐसा नहीं है कि इस सदन में खड़े हो कर १०–५ मिनट में एक बात हम कह दें और आप उसे अपनी रजामन्दी दे देंगे। हमने यह आग्रह किया था कि इधर और उधर के बैठने वाले कुछ लोगों को आप एक जगह बिठाइये। आप अपनी दिक्कत बताइये कि हमको इतने रुपये की जरूरत है। आखिर क्या आप समझते हैं कि हम लोग इस मुल्क को आगे बढ़ाना नहीं चाहते ? हम भी चाहते हैं कि यह मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे। हां, झगड़ा एक बात में है कि आप वहां बैठें या हम वहां बैठें। और यह ईमानदारी की बात है कि हम तो चाहते हैं कि आप वहां से उठें और हम वहां बैठें। तो इस बात को छोड़ कर विचार कीजिये कि रिसोर्सेज कहां से आयें। उस वक्त, मैं समझता हूं, समझाने का मौका मिलेगा और फिर, जो वारिस होता है उसका एक धर्म होता है कि वह निबाहे। आप तो तोड़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट के वायदे की जनता अगर समझ जाय कि कोई वक्त नहीं है तो फिर उसका नतीजा बहुत बुरा होता है। बाबू सम्पूर्णानन्द ने प्लानिंग बोर्ड में यह कहा था कि एक हम कमेटी बिठायेंगे जो शुगर इंडस्ट्री को नेशनालाइज करने के वेज ऐंड मीन्स पर विचार करेगी। तीन वर्ष इस बात को हो गये। आज तक वह कमेटी नहीं बैठी। मैं समझता हूं कि समाजवाद में जो तेज चलने वाले हैं उनको यह कमेटी बिठानी चाहिये, लेकिन न उन्होंने बिठाई न आपने बिठायी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कुछ आपके लिये भी तो छोड़ें या नहीं ?

श्री गेंदासिंह—हमारे लिये तो चीनी के बाद छोड़िये। सब काम खत्म थोड़े ही हो जायगा। मैं आप से कह रहा हूं कि हमारे लिये चीनी को छोड़ देना है तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस सूबे का विकास जो चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेगा उसके हाथ से नहीं हो सकता है। इसलिये कि २० लाख किसानों का परिवार जो गन्ना उत्पन्न करता है उस को आप प्रसन्न नहीं रख सकते हैं। जो भारत सरकार कदम उठा रही है उस को २० लाख किसान ही रोक सकते हैं। अगर आपने प्रोसीडिंग्स पढ़ी हों तो देख लीजिये कि कांग्रेस क्या कर रही है। मैंने कहा कि हाथ और मन से जनता विकास के साथ है। रुपये की कीमत ज्यादा

[श्री गेंदासिंह]

नहीं है । मैं चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण पर अधिक न कहकर इतना कहना चाहता हूं कि २,३ फैक्टरियां आपके हाथ में हैं, उनके परिणाम देख लें । खड्डा, मुहीनुद्दीनपुर और डोईवाला की फैक्टरियों ३-४ साल से आपके हाथ में है, इनके बारे में प्लानिंग और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बतायें कि क्या हालत है ? मैं कहना चाहता हूं कि उनकी रिकवरी बढ़ी है, ज्यादा चीनी बनाते हैं, ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, पहले के मालिकों के मुकाबले में मजदूरों को ज्यादा पैसा देते हैं और किसानों का कोई पैसा बकाया नहीं है । देवरिया में जो अन्य फैक्टरीज हैं उन पर बकाया है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--खड्डा की फैक्टरी तो नीलाम होने वाली है ।

श्री गेंदासिंह--ठीक है, सरकारी बकाया है, वह आपके हाथ में है, इसलिये नीलाम होने वाली है, दूसरी नहीं होंगी । राष्ट्रीयकरण के संबंध में इन फैक्टरियों का परिणाम देख लें । वैसे राष्ट्रीयकरण का सवाल बड़ा भारी हो, लेकिन इस समय इससे स्पष्ट हो जाता है ।

अब रही बात यह कि टैक्सेशन के जरिये आपको पैसा जरूर चाहिये और इसमें आपने बता दिया है कि आपको २ करोड़ रुपया मिलेगा । लेकिन किसानों के ऊपर जो टैक्स लगाने जा रहे हैं उससे शायद आपको दस करोड़ रुपया मिलेगा, यानी ५ वर्ष में आप उनसे ५० करोड़ रुपया लेंगे । अगर हम रास्ता बतायें तो उसको भी कबूल कर लें । हम अल्पमत में होते हुये बहुमत का फायदा नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर चाहते हैं कि धन एकत्रित होना चाहिये और आपके हाथ मजबूत करने में हमारे ऊपर थोड़ी सी बदनामी भी आये तो हम उससे डरते नहीं हैं । लेकिन जो रास्ता आप अपना रहे हैं वह ठीक नहीं है । इससे देश भर के लोग हम से रूठकर ही नहीं बैठ जायेंगे, बल्कि विकास के कार्य में सहयोग नहीं देंगे । मैं विकास के कार्यों पर अधिक नहीं कहना चाहता हूं, इसलिये कि जब प्लानिंग पर बहस होगी तो उस समय कहूंगा कि कितने लोग इसमें रूचि ले रहे हैं । यह हमारी बदकिस्मती है कि जब मैं खड़ा होता हूं तो माननीय गोविन्दसहाय जी चले जाते हैं । वह वैल्यूयेशन कमेटी में हैं और जो उन्होंने वैल्यूयेट किया है उसकी बड़ी भारी कीमत है । बलवन्तराय मेहता कमेटी जो बनी है । उसकी भी रिपोर्ट हमारे सामने आनी चाहिये और देखें कि कितने लोगों को हम मुंह छु पाये हैं और जिनको नहीं छु पाये हैं उनसे पैसा नहीं लेना चाहिये । मैंने कई बार कहा है आज फिर दोहराता हूं कि हमारे सूबे में सबसे ज्यादा बेकारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी । गांव का किसान और शहर का किसान यह सब बरदाश्त कर लेगा, लेकिन एक बात जरूर कर दें । सन् १९६५ में इस उत्तर प्रदेश से बेकारी दूर कर दें । तीसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि ४० लाख, ४१ लाख नौजवान बेकार खड़े होंगे और आप केवल ९ लाख आदमी को रोजगार दे पायेंगे । ३१ लाख आदमी ऐसे खड़े होंगे न तर धरती, न ऊपर बज्जर । आप स्कूल खोल रहे हैं । स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं इस खयाल से जाते हैं, कोई आदमी इस खयाल से बच्चों को नहीं भेजता कि हमारा यह बच्चा मैट्रिक पास कर के हल जोतेगा, खुर्पी और हंसुआ पकड़ेगा । हर बच्चा इसलिये स्कूल जाता है कि जब वह मैट्रिक पास करके जायगा तो कोई न कोई चीज बन जायगा । या तो आप स्कूल कालेज बन्द कर दें, और दूसरा प्लान करें । नहीं तो, अगर स्कूल कालेज खोलना है तो हम को अराजकता की तरफ न ले जायं । ३१ लाख नौजवान जिस वक्त मुल्क में बेकार होंगे, रोटी के लिये मोहताज होंगे, तो स्थिति अच्छी नहीं होगी । आपका कहना है कि अगर ५ अरब रुपया हो तो हम चालीसों लाख आदमियों को रोजी दे सकते हैं । मैं कहता हूं कि छोड़ दीजिये टैक्स का रास्ता । कर्जे का रास्ता पकड़िये । मैं जानता हूं कि अर्थशास्त्री लोग हमारा इस बात की बड़ी आलोचना करेंगे कि मालूम होता है कि यह स्टेट को दीवालिया करना चाहते हैं । स्टेट नहीं दीवालिया होगी । आपकी साख बनी हुई है । कर्जा लें । ९ करोड़ रुपया आपने मांगा, दो तीन दिन में, या एक दिन में १२ करोड़ आ गया । (व्यवधान) साढ़े तेरह करोड़ आ गया, आप दुरुस्त कर दीजिये । अगर आपको रुपया इनवेस्ट करना है लुटाना नहीं है, कोई नाच और बारात में खर्च करना नहीं है, अगर इनवेस्ट करना है तो निश्चित है कि जहां इनवेस्टमेन्ट होगा वहां रिटर्न आयेगा । नौजवानों को रोटी मिलेगी । अगर यह बात सही है कि हजार बदइन्तजामी होने के बाद चुर्क आज

मुनाफे में है, प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री मुनाफे में है, सब बदइन्तजामी के बाद रोडवेज को दो करोड़ का फायदा पिछले साल हुआ, तो इससे यह साबित होता है कि बदइन्तजामी के बाद भी अगर आप यह काम करेंगे तो इस टैक्स को लगाने से ज्यादा आपको उनसे मुनाफा होगा। अगर आप इनवेस्ट करेंगे तो मुल्क में लाखों आदमियों को रोजगार देंगे। जिस दिन यह सुनायी देगा कि टैक्सेशन के कुछ बिल आये थे हाउस में, लेकिन जनता के प्रतिनिधियों ने जब इसका विरोध किया तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात पर सोचा और उन्होंने उनको वापस ले लिया, तो आप समझ लें कि इस का मनोवैज्ञानिक प्रभाव जनता पर क्या होगा। वह यह नहीं सोचेंगे कि गेंदासिंह, उग्रसेन या दूबे जी कुर्सी पर बैठे थे। हम लोगों के लिये कुछ थोड़ा सा कंसीडरेशन रहेगा, लेकिन ज्यादा श्रेय आपको मिलेगा। देखिये, एक बार जब यह मालूम हो गया, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त मुनासिब नहीं है, इस वक्त पैसा नहीं लेना चाहिये। आज ही आप ऐलान कर दें कि हम इस वर्ष में जितने रुपये की जरूरत होगी कर्ज से लेंगे, हालांकि इस वर्ष में रुपयों की जरूरत आपको नहीं है, खर्च आप नहीं कर सकते, कोयला नहीं, सीमेंट नहीं, खर्च कैसे करेंगे? पूछिये नेगी जी से कहते हैं कि सीमेंट की जितनी जरूरत है उसकी आधी ही मिलेगी और कोयला, श्रीमन्, है ही नहीं, तो कहां खर्च करेंगे? यह ऐसे मेटीरियल्स हैं कि जिनके बिना विकास का कोई काम और खासकर कांस्ट्रक्शन का काम तो हो ही नहीं सकता, इमारतों का पुलों का कोई काम इनके बिना नहीं हो सकता। अच्छा जरूरत है, हम मान लेते हैं, झगड़ा नहीं करते। तो फिर एक कर्ज के लिये आप गवर्नमेंट आफ इंडिया से कहिये कि उत्तर प्रदेश में हम एक नया युग ले आ रहे हैं, हमको ले आने दो इस युग को और उसके लिये हम कर्जा ले रहे हैं। और अगर आपको जरूरत है ८ करोड़ और दो करोड़ दस करोड़ को तो दस करोड़ की एक किस्त और मांग लीजिये और आप देखिये कि एक साल या छः महीने के अन्दर वह रुपया आ जाता है या नहीं। अगर न मिले, आपकी साख बिगड़ जाय उस वक्त यह कहियेगा कि तुम लोग गलत बात कहते हो। मैं इत्मीनान दिलाता हूं और आपको इत्मीनान है कि एक दिन के लिये आप खोलेंगे कि दस करोड़ रुपये की जरुरत है विकास ऋण की तो वह ऋण मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हां, इतना हम जरूरत कहेंगे कि इस रुपये को ठीक से खर्च करेंगे और उस का ठीक से रिटर्न आवेगा तो उस से न आपको कष्ट होगा, न जनता को कष्ट होगा और न हमको कष्ट होगा। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मैं कुछ आपके सामने कहने को इस वक्त तैयार नहीं हूं। मैं बहुत नम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि इस वक्त तो आप जल्दी में इतना ही करें कि इन बिलों पर विचार करना बन्द कर दें और बन्द करके विकास के लिये ऋण मांग लें। मैं जो कह रहा हूं वह मैं बहुत व्यवहारिक एक बात आपके सामने रख रहा हूं। कर्जा आप मांग लें और उसके बाद अपने काम में कहीं भी ढिलाई आप न करें। विकास का काम चलता जायगा।

एक बात और। मैं यह नहीं कहता कि मेरे इस कहने से आप शुगर इंडस्ट्री का और एलेक्ट्रिसिटी का नेशनलाइजेशन कर लें, लेकिन आप जरूर एक मर्तबे बैठने की कोशिश करें और लोगों को भी बैठायें, अर्थशास्त्री बैठें, हम लोग भी जो ले मैन हैं, बैठें और आप बैठें और बैठकर के सोचें कि यह पांच छः अरब रुपये का बन्दोबस्त किस तरह से कर सकते हैं जिससे कि अपने सूबे के सारे नौजवान जो कि वर्किंग हेंड हैं उनको हम रोजी दे दें। मैं आपसे कहता हूं कि इस तरफ के बैठने वाले जितने लोग हैं वह इस काम में आपका हाथ बटायेंगे और ऐसा हाथ बटायेंगे कि जिसकी हम आज कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाथ बटायेंगे एक उत्साह के साथ, एक नये जोश के साथ। इतना कहते हुये मैं आशा करता हूं कि इसकी अनुकूल प्रतिक्रिया आपके ऊपर होगी और इस पर आप विचार करके इन बिलों के ऊपर विचार स्थगित करेंगे।

श्री शौकत हमीद खां (जिला मेरठ)—श्रीमन्, इस वक्त जो बिल आपके सामने मेरे बहस है उस पर बहुत सी तकरीरें दोनों जानिब से हो चुकी हैं और अभी माननीय गेंदा सिंह जी ने आपके सामने एक निहायत अहम तकरीर फरमायी है। मैं बराबर यह गौर करता रहा कि गेंदा सिंह जी जैसे तजुर्बेकार आदमी अब कोई खास सुझाव हाउस के सामने देने वाले हैं और हम सब लोगों का फर्ज हो जाता है कि निहायत गौर से उनके उस सुझाव को सुनें। लेकिन

[श्री शौकत हमीद खां]

मैंने यह महसूस किया कि यह मानते वह भी हैं कि जरूरत है कि किसी न किसी तरह से रुपया फराहम किया जाय जिससे विकास के काम चलें, फर्क सिर्फ इतना है कि हम यह कहते हैं कि टैक्स के जरिये से वह रुपया फराहम हो और उनका खयाल है कि नहीं, कर्ज लेकर इस विकास के काम को चलाओ। सच बात तो यह है कि उन्होंने वही मश्विरा दिया जो आज से थोड़े दिनों पहले महाजन बेचारे गरीब और अनपढ़ काश्तकार को दिया करते थे कि भाई, शादी आन पड़ी है, या लड़की को भात देना है, शादी कर लो, भात दे दो, कर्ज ले लो, कोई बात नहीं, अदा कर देना। तो उन्होंने इस खूबसूरती से इस बात को कहा है कि गोया अदायगी की जिम्मेदारी के बारे में तो सरकार को सोचना ही नहीं है। उसके बाद क्या होगा, यह न उन्होंने सोचने की कोशिश की और न उनको उसकी फिक्र है। और उसकी फिक्र हो भी क्यों? क्योंकि निहायत खूबसूरती से उन्होंने फरमाया कि हम लोग तो यही कहते रहेंगे कि किसी तरह भी टैक्स नहीं लगना चाहिये जब तक कि हमारी कुर्सियों की अदलाबदली न हो जाय, हम उधर न बैठ जायं और वह इधर न बैठ जांय। तो बात यह है कि सिर्फ कुर्सी का फर्क है और वही पुराना मश्विरा है जो आज से पहले महाजन काश्तकार को दिया करता था। बहरहाल, रुपये की इस वक्त दिक्कत जरूर है कि किस तरह से रुपया फराहम हो और किस तरह से हम अपने विकास के कामों को जारी रख सकते हैं और किस तरह से हम अपनी पंचसाला स्कीम को कामयाब बना सकते हैं। यह जाहिर सी बात है कि उसके लिये हमको टैक्स लगाना पड़ेगा और वह रुपया टैक्स के जरिये से वसूल किया जायगा। चाहे उसमें लोगों को कुर्बानी देनी पड़े और उसके लिये कोई तकलीफ भी हो। बहरहाल, मैं आपके सामने जो मौजूदा बिल है उसके सिलसिले में चन्द बातें अर्ज करना चाहता हूं। इस बिल के अन्दर एक लफ्ज आया है कैपिटल वैल्यू। अगर आप इस बिल को गौर से पढ़ें तो मालूम होगा कि उसका मतलब एनुअल रैन्टल वैल्यू से है। लेकिन यहां पर जो यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कैपिटल वैल्यू, वह असल में उस सेन्स में उस लफ्ज की टर्मिनालाजी में नहीं आता है। इस वजह से मेरी समझ में नहीं आया कि यहां पर उस लफ्ज का इस्तेमाल किस तरह से किया गया है, क्योंकि उसके माने असल में मुख्तलिफ है। इसलिये मेरी गुजारिश है कि अगर उसको एनुअल रैन्टल वैल्यू कर दिया जाय तो ज्यादा जहमत का बायस नहीं होगा।

इसके अलावा जहां पर एग्जैम्प्शन की लिस्ट दी गई है वहां पर कोआपरेटिव सोसाइटी की बिल्डिंग को भी एग्जैम्प्शन मिलना चाहिये, क्योंकि कोआपरेटिव सोसाइटी के साथ हर जगह पर रियायत बरती गई है। बाज लेजिस्लेशन में कोआपरेटिव सोसाइटी के सिलसिले में इस तरह से रियायत दी गई है तो इस टैक्सेशन के सिलसिले में भी, जहां पर आपने दीगर इदारों को जैसे अस्पताल या एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन को, कन्सेशन दिया है, वहां कोआपरेटिव सोसाइटी को भी कन्सेशन देना चाहिये। एक बात और इस सिलसिले में काबिले तवज्जह है कि आपने स्टेट की हर मिल्कियत को इस टैक्स से मुस्तस्ना किया है। अब यह गौर फरमाया जाय कि बाज लोकल बाडीज के बीच में कोई निजी प्राइवेट रेलवे निकलती है तो उनके लिये क्या किया जायगा। अगर उनके लिये भी टैक्स का प्रपोजल रहेगा तो उनके लिये चलना और उनका जारी रहना तकरीबन नामुमकिन हो जायगा। कुछ इस तरह की बातें हैं जो बिलकुल समझ में नहीं आती हैं। आपने टैक्स के सिलसिले में इस मौजूदा बिल के तहत यह हक लिया है कि टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड में मकानों और जमीन पर टैक्स लगा दिया जाय और इसके अलावा आपने यह हक सरकार में रखा है कि वह चाहे तो नोटिफाइ करदे कि फलां लोकल बाडी पर हम टैक्स लगाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह फर्क मुनासिब नहीं है क्योंकि यह बात समझ में नहीं आती है कि क्यों कुछ लोकल बाडीज को इसमें ले लिया गया है और कुछ को छोड़ दिया गया है।

इसके अलावा एक बात यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि बाज छोटी छोटी लोकल बाडीज हैं, उनकी बहुत सी जमीन शामलात देह पड़ी हुई हैं, जिसमें हजारों हिस्सेदार हैं। वह किस तरह तकसीम किया जायगा? इसमें शक नहीं है कि वहां पर आबादी बन सकती है लेकिन अगर वह इस टैक्स के प्रयोजन के अन्दर आजाती हैं तो उनके ऊपर किस तरह से टैक्स लगाया जायगा और

उस टैक्स को किस तरह से तकसीम किया जायगा ? बाज जगहों पर ४ हजार, ५ हजार और १० हजार आदमी उसमें शरीक हैं तो किस तरह से उनके ऊपर टैक्स लगेगा ? किस तरह से उनके ऊपर टैक्स तशखीस किया जायगा यह बात समझ में नहीं आती । इसके अलावा अगर गौर किया जाय और सोचा जाय तो यह टैक्स एक तरह से हाउस टैक्स हो जाता है । मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि यह टैक्स हाउस टैक्स की तरह से क्यों न लगाया जाय और जो रेट आज हाउस टैक्स का है उसी रेश्यो से टैक्स लगाया जाय । अगर इसको अजसरेनौ तशखीस किया जायगा तो इसमें बहुत दिक्कत पैदा होगी । हो सकता है उसमें करप्शन पैदा हो । जहां पर आज हाउस टैक्स नहीं लगा हुआ है उनके ऊपर भी यह टैक्स लगाया जा सकता है और ऐसे रकबों पर जहां कोई टैक्स नहीं है वहां अलग टैक्स तशखीस किया जा सकता है । या तो दुबारा हाउस टैक्स में जो आपने कीमतें लगायी हैं वह न हों या नयी कीमतें अलग हों । बहर-हाल, आपको जब दोनों को एक साथ करना है तो क्यों नहीं आप हाउस टैक्स के साथ ही इसको संबंधित करदें ? जितनी उस के हिसाब से मिल्कियत हो उसी के हिसाब से ही यह भी हो जाय इसके अलावा मैं यह भी उम्मेद करता हूं कि जब आप यह टैक्स लगा रहे हैं तो ऐसा प्राविजन भी आप ले आयेंगे कि जिससे आइन्दा हाउस टैक्स का रेट न बढ़ने पाये, वरना यह टैक्स तो लग ही जायगा और हाउस टैक्स भी बढ़ाया जा सकेगा । वह एक ऐसी दिक्कत होगी कि जिसको हम बरदाश्त नहीं कर सकेंगे । इन अल्फाज के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि काफी समय बाद आज आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया । विधेयक के पक्ष में बोलने वालों ने जो नारा लगाया है कि हमें योजनाओं को पूरा करना है और उनको कार्यान्वित करने के लिये हमें काफी पैसे की आवश्यकता है और इस कारण हमें ऐसे विधेयक लाने पड़ रहे हैं, उसमें कोई औचित्य नहीं है । यह भी कहा गया है कि जनता जानती थी कि हमें योजनाओं को पूरा करना है और उन के लिये उस पर टैक्स लगाये जायेंगे, इसलिये हम विधेयक लाये हैं, लेकिन मैं आवाहन करता हूं माननीय मंत्री जी को कि वे जनता में जा कर इन विधेयकों के बारे में, जो सदन में पेश किये गये हैं, उनकी भावनाओं को देखें । ऐसा करने पर उन्हें मालूम हो जायगा कि किस प्रकार उनका स्वागत होता है, किस प्रकार उनकी आव-भगत होती है । चुनाव के अवसर पर जनता के समक्ष टैक्स लादने की बात नहीं कही गयी । अब यह कहा जाता है कि योजनाओं को पूरा करने के लिये हमें पैसे की आवश्यकता है । विरोधी पक्ष की ओर से कई बातें और सुझाव ऐसे रखे गये थे कि जिनको मानने से बजट का घाटा पूरा किया जा सकता था और कई स्थानों से उस घाटे की पूर्ति की जा सकती थी, लेकिन वे सुझाव सरकारी पक्ष को पसंद नहीं आये, यद्यपि वे सुझाव ऐसे हैं कि जिनकी बिना पर किसी प्रकार का टैक्स लादना उचित नहीं है । फिर भी सरकार पता नहीं किन आधारों पर इस प्रकार के टैक्स वाले विधेयक ला रही है ।

इस विधेयक द्वारा हम देखते हैं कि किसी भी गरीब व्यक्ति को लगान से मुक्त नहीं रखा गया है । म्युनिसिपल बोर्डस् में, हम देखते हैं कि गरीब व्यक्तियों पर टैक्स नहीं लगाया जाता, विधवाओं पर टैक्स नहीं लगाया जाता है और आज नगरों में सैकड़ों हजारों विधवायें ऐसी हैं कि जो हाउस टैक्स तक देने में समर्थ नहीं हैं । उनको इस विधेयक द्वारा बाध्य किया जायगा कि वे अपने पेट काट कर, मकान बेच कर, इस टैक्स को अदा करें । मैं मंत्री जी को सुझाव देता हूं कि कम से कम वे उन विधवाओं को, जिनका कोई और दूसरा सहारा नहीं है और किसी प्रकार जो अपनी जीविका चलाती हैं, उनके लिये कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालें । चाहे वह सीमा ६०० की हो अथवा १००० की अथवा कितनी भी हो, उस से कम की आय जिनको मकानों से हों, उन्हें इस टैक्स से मुक्त किया जाय । यदि ऐसा नहीं किया गया तो पता नहीं ऐसी विधवायें जिनके पास जीविका का और कोई अन्य साधन नहीं है, किस प्रकार अपनी जीविका चला सकेंगी । ऐसे अनेकों व्यक्ति हैं जो बेरोजगार हैं, ऐसे अनेकों व्यक्ति हैं जो भूखों मर रहे हैं । ऐसी स्थिति में उनके ऊपर यह कर लगाना ठीक नहीं है । उन्हें कर से

[श्री दयाराम शाक्य]

मुक्त करना चाहिये। यदि ऐसी हालत रही तो ऐसे लोग जिनकी जीविका के साधन नहीं हैं वे कैसे इसको अदा कर सकेंगे ? उन पर जबर्दस्ती यह कर लगाया जा रहा है। आप खेदें कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा, है, जरायम बढ़ रहे हैं और फिर भी आप टैक्स लगा रहे हैं। जनता को सुख शांति और सुरक्षा आज दुर्लभ है। पर आप कह देते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिये खर्चे को पूरा करने के लिये हम टैक्स लगा रहे हैं। पर जिनकी जीवका के कोई साधन नहीं हैं, उनके लिये आपको कोई न कोई उपाय सोचना पड़ेगा।

बहुत सी बातों के साथ साथ यह कहा जाता है कि आज योजनाओं के लिये हमें धन की आवश्यकता है पर आप धन लेने में उचित और अनुचित का भी ध्यान रखें। जैसा कि हमारे बड़े भाई साहब ने जो, पी० एस० पी० के सदस्य हैं कहा कि कर्जा लेकर भी काम चलाया जा सकता था तो उनको गलत कह कर टाल दिया जाता है। यह मेरी समझ में नहीं आता है। जो भी विरोधी पक्ष से उचित सुझाव आते हैं उनको आपको मान लेना चाहिये और उनको कार्यान्वित करना चाहिये। मेरी समझ में उनसे अच्छा फल निकल सकता है, यदि आप उन पर गौर करें, परन्तु आप ऐसा नहीं करते हैं। आप यह कहते हैं कि विरोधी पक्ष को हमें सहयोग देना चाहिये पर आप हमारा सहयोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। आप के इस तरीके से योजनायें पूरी होने वाली नहीं हैं। आपको, हम को आमंत्रण देना चाहिये कि तुम हमसे सहयोग करो। हमारे सुझावों को कार्यान्वित यदि वे उचित हों तो करना चाहिये, परन्तु धांधलेबाजी यह देखने में आती है कि आपने अपने एकाधिपत्य और बहुमत के बल पर जनता के ऊपर इस प्रकार से गलत टैक्स लादने आरंभ कर दिये हैं। सरकार को चाहिये कि वह स्थिति को और जेबों को देखते हुये और उनकी जीविका के साधनों को देखते हुये कर लगाने का प्रयास करें। यह भी देखने में आता है कि इस विधेयक में झोंपड़ी और छप्पर तक को नहीं छोड़ा गया है। यह उचित नहीं हैं। जो अपने छप्पर के स्थान पर टीन तक नहीं डलवा सकता है उससे आप को कर नहीं लेना चाहिये। इसलिये इसमें कोई न कोई प्रतिबन्ध अवश्य होना चाहिये। जैसे विधवाओं के विषय में कोई न कोई अवश्य प्रतिबन्ध होना चाहिये था। आप को कम मूल्य वाले मकानों पर भी छूट देनी चाहिये, जैसे ५ या १० हजार से कम मूल्य वाले मकानों पर यह कर नहीं लगेगा। ऐसा करने से शहरों के उन गरीब लोगों को कम से कम राहत मिल सकती थी जिनकी जीविका के साधन बहुत ही कम हैं, सीमित हैं।

इसके बदले में सरकार जिनके पास अधिक संपत्ति है, अधिक मकान हैं, उन पर उसी अनुपात से कर लगाये, तो अधिक न्यायसंगत होगा। जिनकी आमदनी कम है उनसे आपको यह टैक्स नहीं लेना चाहिये, परन्तु जिनकी आमदनी बहुत अधिक है उनसे आप क्यों नहीं वसूल करते हैं ? पर आपने उनको तो मुक्त कर रखा है। आप ऐसे व्यक्तियों पर कर लगा कर इस कमी को पूरा कर सकते हैं।

अब मैं कुछ और बातें कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मुझे यह मालम हुआ है कि लखनऊ नगरमहापालिका ने इस विधेयक के प्रस्तुत होने के पश्चात् ही बड़ी बहादुरी के साथ यह नया प्रस्ताव पेश किया है कि हम गृह कर के पश्चात् और किसी तरह का भी नया टैक्स नागरिकों से नहीं वसूल करेंगे।

मैं समझता हूं कि यहां की नगरपालिका का यह बड़ा बहादुरी का कदम है। अगर उसी प्रकार के कदम उठाये जायेंगे और सभी नगरमहापालिका और नगरपालिकाएं यह घोषित करेंगी कि जो टैक्स लगे हैं वही काफी हैं, तो इस प्रकार से वह सरकार को जता देंगी कि सरकार का कदम अनुचित है और उसका जितना विरोध किया जाय वह उचित है। सरकार की तो यह नीति है कि अगर जनहित में कोई नरगपालिका टैक्स कम वसूल करती

है तो सरकार उसको हस्तगत कर लेती है। कुछ हमारे पूर्व कहा गया कि सरकार इसी प्रकार से टैक्स लगाती चली आ रही है मगर फिर भी बहुमत में आती है।

(इस समय ४ बज कर ४६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इससे यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि जनता हमारी योजनाओं से सहमत है और टैक्स देने के लिये तैयार है। परन्तु में चुनौती देता हूं कि सरकार जो बहुमत में आ रही है उसका कारण दूसरा ही है। आज हर प्रकार के प्रलोभन, धमकी और डर दिखाया जाता है और इस प्रकार से बहुमत में आने का प्रयास किया जाता है। अगर सदन में ऐसी बात रखी जाती है तो चुनाव से पूर्व इस्तीफा देकर उसी इश्यू पर चुनाव लड़ा जाय, तब वास्तविक स्थिति का पता लगेगा कि कितने बहुमत में चुनकर आते हैं और अनुचित रूप से जनता पर टैक्स लगाने का क्या परिणाम होता है।

कुछ समय पूर्व मंत्री महोदय ने एक बात रखी कि रूस में योजनाओं पर योजनाएं जनता पर लादी गयीं। उन्होंने माना कि पहले तो कोई प्रगति नहीं हुई और जनता को परेशानी हुई, परन्तु अपने वक्तव्य में उन्होंने स्वीकार किया है कि दूसरी योजना में देश प्रगति की ओर बढ़ा और जनता को राहत मिली और बराबर तरक्की होती रही। लेकिन हम अपने यहां देखते हैं कि एक योजना आई, दूसरी आई, वह भी समाप्त हुई, फिर तीसरी आयी, लेकिन किसी प्रकार की प्रगति देश और प्रदेश में दिखाई नहीं देती। जनता चुप-चाप देखती रही कि शायद सरकार का कार्य जन हित में हो और हम भी सुखी हों, देश और प्रदेश के निवासी सुखी हों, लेकिन जनता ने जब देखा कि एक के बाद दूसरी योजना लादी जा रही है तब उसने विरोध करना शुरू किया। अब हालत यह है कि आपबस में, ट्रेन में सफर कीजिये, हर जगह इस विषय में चर्चा चल रही है। आप देखिये कि इन योजनाओं का किस तरह से विरोध किया जा रहा है और जनता इन योजनाओं के लये खुशी से पैसा देना चाहती है या जबरदस्ती पकड़ कर उनकी जेब से निकाला जाता है। इन सब चीजों से प्रकट हो जाता है कि जनता खुश नहीं है। ऐसी दशा में इस प्रकार का विधेयक प्रदेश के लिये कभी हितकर नहीं होगा और न ही वह सरकार के लिये हितकर होगा। इसका फल कुछ समय पश्चात् दिखाई देगा। आज यह सोचना कि इसके आधार पर हम प्रगति करेंगे, यह बिलकुल असम्भव है। आपकी योजनायें तब तक सफल नहीं होंगी जब तक कि आपको जनता का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। जब प्रदेश की जनता का आपको सहयोग मिलेगा तभी आपकी योजनायें सफल होंगी। किंतु आपतो जनता की हड्डियों से पैसा खींच रहे हैं, वह सहयोग कैसे देंगे? जब उनका सहयोग नहीं होगा तो आपकी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। जिस तरह से आपकी पहली योजना विफल हुई, दुसरी हुई, उसी तरह से आपकी यह तृतीय योजना भी विफल हो जायगी। आपको चाहिये कि आप प्रदेश की जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त करें, तभी आपकी योजना सफल होगी। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इन सारी बातों को दृष्टि में रख कर इसविधेयक को प्रवर समिति में भेजने का कष्ट करे और फिर वहां से आने पर इस पर विचार हो।

श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले मैंने माननीय गेंदासिंह जी और माननीय भानुप्रतापसिंह जी के भाषणों को सुना। जहां तक माननीय गेंदासिंह जी के भाषण का संबंध है, वे बोलने में बड़े निपुण हैं और जो मनुष्य बोलने में निपुण होता है वह अपने कमजोर प्वाइन्ट को भी बड़ी अच्छी तरह से सामने रखता है। यहां जो चीज सामने रखी गयी है उसको एक गलत चश्मा दे दिया गया है, उसको गलत समझा गया है। माननीय गेंदासिंह जी ने यह कहा कि जो बिल यहां पेश किया गया है उससे शहरों की और गांव की जनता नाराज हो जायेगी। इसमें सन्देह नहीं कि जब कर लगाया जाता है तो वह किसी को पसन्द नहीं आता है और उसका कारण यह है कि अभी प्रजातंत्र प्रणाली हमारे यहां अच्छी तरह से फलीफूली नहीं है। दूसरे, गरीबी भी उसका एक मुख्य कारण है। किन्तु हमें यह सोचना चाहिये कि सरकार की तरफ से जो यह चीज लायी गयी है वह इसलिये

[श्री तमेश्वर प्रसाद]

नहीं कि किसी ने नशा पी रखा हो, बल्कि वास्तव में कोई परिस्थिति उसके सामने ऐसी है जिसके कारण उसको यह चीज लानी पड़ी है और कर को लगाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है।

भानुप्रताप सिंह जी ने यह कहा कि शहरों में जो भूमि पड़ी हुई है उस पर कर रेन्टल बेसिस पर होगा और वह कर काश्तकारों के कर से बहुत कम होगा और उन दोनों में बड़ा फर्क है। उन्हें यह मालूम होना चाहिये कि जो भूमि शहरों में खाली पड़ी हुई है वह बिलकुल बेकार पड़ी हुई है जब कि देहात में जो जमीन होती है वह अन्डर कल्टीवेशन होती है। तो शहरों में जो जमीन बेकार पड़ी हुई है अगर उस पर कर लगा दिया जायेगा तो एक इन्सेन्टिव मालिक को यह होगा कि क्यों अब उस भूमि का उसको कर देना पड़ रहा है। इसलिये या तो उस भूमि को निकाल दे या उस पर भवन बनवा कर उसको किराये पर दे। इसलिये आज शहरों की जमीन पर कर लगाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इससे और मकानात शहरों के अन्दर बनेंगे। हमारे माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा था कि इस विधेयक के अन्दर कोई ऐसी बात नहीं रखी गयी है जिसके द्वारा शहरों के अन्दर मकान बनाये जा सकें। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, लोग जानते हैं कि आज पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शहरों में भी मकानात बनाने की योजना है और उसके अन्तर्गत बहुत सा कर्जा उन लोगों को भी दिया जाता है और उसी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये यह कर लगाया जा रहा है। इसलिये उनका यह कहना कि इस विधेयक के अन्दर नये मकानात के शहरों में बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, यह उचित नहीं है।

दूसरी बात विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा यह कही गयी कि लोन लेकर ही क्यों न काम चलाया जाय, क्यों जनता पर कर लगाया जाय। तो आप जानते हैं कि खाली लोन लेकर ही काम नहीं चल सकता है, इस कारण कि जो लोन लेकर के और अपने ऊपर कर्जा लाद कर के कोई काम आप करेंगे योजना के मुताल्लिक तो वह योजना सफल नहीं होगी। इसलिये कि जिसके लिये आप काम करने जा रहे हैं वह यह समझेगा कि मुझे कोई भाग देने की आवश्यकता इसमें नहीं है और वह यह समझेगा कि यह योजना हमारी नहीं है, बल्कि दूसरों की है और उसी के लिये सरकार लोन लेने जा रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस योजना में जनता अपना रूपया लगाती है, जिस योजना में जनता सहयोग देती है, उसको वह अपनी चीज समझती है और वह योजना सफल होती है। इसलिये इस दृष्टि से भी यदि देखा जाय तो यह कर जो लगाया जा रहा है उससे कोई हानि नहीं होगी। हां, यह जरूर है कि आर्थिक दृष्टि से देखने पर यह जरूर मालूम होगा कि बोझ सा लदता जा रहा है। लेकिन जब देश का निर्माण करना है, देश को आगे बढ़ाना है, देश की तरक्की करनी है तो बिना त्याग किये हुये कोई काम नहीं चल सकता है, कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है।

मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि वह जर्मनी जो दो बार हार चुका है, उसने भी अपने यहां टैक्स लगाकर आपको लोन दिया, अमेरिका जो बड़ा ही समृद्धिशाली देश है वह भी आपको अंडर डेवलप्ड कंट्री समझ कर अपनी जनता पर टैक्स लगा कर आपको लोन देता है और दिया है। तो जब बाहर वाले अपने देश के रहने वालों पर टैक्स लगा कर भी आपको लोन और सहायता देते हैं तो कोई कारण नहीं मालूम होता कि जिसके लिये यह पंचवर्षीय योजना बनायी गयी है, जिसके जीवन को सुखी बनाने की कल्पना इस योजना में है, जिसके अन्तर्गत गांवों की गरीबी, शहरों की गरीबी को दूर करने का नक्शा सभी दल के लोगों ने मिल कर बनाया है, उसके लिये आप कुछ न दें और यह कहें कि सरकार लोन ले, सरकार दूसरों से कर्जा ले और सरकार जनता पर कोई बोझ न लादे। तो इससे काम नहीं चलेगा। यह तो बार बार कहा जाता है, जब कोई टक्स का विधेयक यहां आया है तो हमेशा यह कहा जाता है कि यह विधेयक जनता पर बोझ लादने वाला है। हम भी यह कहते हैं कि यह विधेयक जनता पर बोझ लादने वाला है लेकिन साथ ही साथ यह भी कहता हूं कि यह निर्माण का जो बोझ है वह ऐसा नहीं है जो कर्जे के जरिये उस बोझ को उठाया जा सके। यह ऐसी चीज नहीं है जिसका बोझ केवल सरकार को ही उठाना चाहिये, क्योंकि सरकार जितना उस बोझ को उठावेगी उतना ही आगे चल कर उसकी परे-

शानी बढ़ेगी। जब सरकार के पास कोई रिसोर्सेज या उसके पास धन नहीं हो और जब तक वह न होगा तब तक यह कहना कि सरकार कर्जा ले ले या राष्ट्रीयकरण कर ले, यह सब कहने से काम नहीं चलेगा। इस का मतलब तो केवल यह होगा कि गाड़ी के सामने काठ डाल देना है। जब आप यह कहेंगे कि कर नहीं लगाना चाहिये तो आप को दूसरा जरिया बताना होगा। आप बताते हैं कि सेस की बकाया वसूल करो और चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करो। यह सब बातें ऐसी हैं जो जनता में भ्रम पैदा करती हैं। आप यह समझाने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने जो कदम उठाये हैं वह गलत हैं, इससे बुरा असर पड़ता है। विरोधी दल की भी जिम्मेदारी है कि जो कल्याणकारी काम देश के हित के लिये आयें और उन के लिये सरकार पैसा मांगे या कर लगावे तो उन का भी कर्त्तव्य हो जाता है कि वह भी ठीक ठीक राय और ठीक ठीक नेतृत्व अपनी जनता का करें और बतायें कि हां, वाकई में टैक्स का बोझ जरूर पड़ेगा लेकिन फिर भी यह अति आवश्यक है कि उन को जनता खुशी से दे। मुख्य प्रश्न को गौड़ बन कर वीर पापुलैरिटी गेन करने के लिये ऐसी बहस से नुकसान होता है। जो योजना प्रदेश को उन्नतिशील बनाने वाली चीज है उस कल्याणकारी योजना को हमें पीछे नहीं खींचना चाहिये और न यह उचित ही है। यदि हम ऐसा करेंगे तो यह पंचसाला योजना बेकार हो जायगी और उस का फल बुरा होगा। इस पर हमें विचार करना चाहिये कि आने वाली सन्तानें हमारे बारे में क्या सोचेंगी, वह यही कहेंगी कि जब देश के बनाने का मौका आया, जब कुरबानी और त्याग का मौका आया तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप ने हमारे चाचा ने त्याग नहीं किया और देश पीछे रह गया। इसलिये मैं बहुत अदब से विरोधी पक्ष के भाइयों से निवेदन करूंगा कि जिस स्प्रिट और रूपरेखा में यह बिल सदन के सामने पेश किया गया है उस पर वह ठंडे दिल से विचार करें और अपने दृष्टिकोण को संकीर्ण न कर के इस पर बहुत दूर तक सोचने की कृपा करें। इससे उन को मालूम होगा कि यह बिल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये बहुत आवश्यक है और रही इसकी खामी और कमी की बात, तो यह मानी हुई बात है कि जब भी कोई कानून बनता है तो अमल में आने पर उस की दिक्कतों का पता चलता है क्योंकि कानून ऐसी चीज है कि जो एक बार में ही सर्वांगपूर्ण नहीं हो सकती। अनुभव के आधार पर, कार्यरूप में आने पर उस में रद्दोबदल करने पड़ते हैं। इसलिये मैं नम्रता के साथ विरोधी पक्ष के भाईयों से निवेदन करूंगा कि वे भी इस बिल पर अपनी सहमति प्रदान करने की कृपा करें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मान्यवर, माननीय गेंदा सिंह जी की समझाने वाली मास्टर स्पीच के बाद मुझे विश्वास था कि सरकार और उस के मुख्य मंत्री को कुछ समझ आ जायगी और शायद वह उनकी सलाह मान कर अपने विधेयकों को वापस ले लेंगे, फिलहाल, वापस कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास सा होने लगा था। लेकिन स्कूलों में ऐसे भी कुछ लड़के होते हैं मास्टर चाहे कितना भी मेधावी हो, चाहे वह दस साल तक समझायें, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन उनकी समझ में आता ही नहीं। मान्यवर, मैं सरकार की और मुख्य मंत्री जी की मजबूरियों से पूरी हमदर्दी रखता हूं और मैं उसका इजहार करना चाहता हूं। माननीय गेंदा सिंह को विश्वास था कि केवल समझाने से ही सब काम चल जायगा, लेकिन समझाने से सरकारों और उसके प्रमुखों के वर्ग चरित्र और वर्ग सम्बन्ध कभी नहीं टूटते और न बदलते हैं। वह हावी और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जो प्रगतिशील दल होते हैं उनकी चोटों के सामने बदलते हैं, यह मानव समाज का इतिहास हमको बताता है। हमारी हमदर्दी इस माने में है कि आज हमारी योजनायें साधनों के संकट में फंसी हैं, खुद पूंजीवादी सरकार की पूंजीवादी योजना भी साधनों के संकट में फंस गई है, वह साधन ढूंढ़े जा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री और उनके सलाहकार जो हैं उन्होंने यही सलाह दी कि अपने चौखट के अन्दर जिस फ्रेम वर्क में आप काम कर रहे हैं जिसको आप तोड़ना नहीं चाहते उसके अन्दर आपको सिवाय इन करों के लगाने के और कोई उपाय है ही नहीं। वरना उपाय दूसरा वही है जो यहां कई बार बताया गया और जिसके लिये माननीय गेंदा सिंह जी ने इतना जोर दिया, लेकिन वह तब होगा जब बुर्जआ फ्रेम वर्क टूटेगा।

[श्री झारखंडेराय]

अब यह है असली सवाल कि आज चौखट को तोड़ कर साधन जुटाये जायं या उसी के अन्दर तूंबाफेरी की जाय । सरकार ने यह तय किया है कि वह इसी के अन्दर काम करेगी । इसलिये इनके पास सिवाय जनता पर लगाने के और कोई उपाय नहीं है, इसीलिये मेरी हमदर्दी है । मान्यवर, मैं इस विधेयक को शहर के गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के खिलाफ लड़ाई का एलान समझता हूं और जो दूसरा बिल आया है जिस पर बहस बाद में होगी वह देहात की हमारी जो करोड़ों जनता है उसके खिलाफ लड़ाई का एलान है । मुख्य मंत्री जी और उनकी सरकार ने दो तरफा हमला किया है, प्रदेश की पूरी जनता के ऊपर लड़ाई का एलान किया है । अब इसका जवाब जनता को देना होगा, उसके प्रतिनिधियों को देना होगा । बिल के पढ़ने से, इसकी मुख्य धाराओं को देखने से साफ जाहिर होता है कि इस सरकार का जो क्लास कैरेक्टर है वह बहुत से मामलात में तो स्पष्ट हुआ ही था, इस पर भी स्पष्ट हो गया । बजाय इसके कि शहरों में जो बड़े बड़े मकानों के मालिक हैं, जिनके पास कई कई हजार रुपये की आमदनी मकानों से होती है, उन पर कर भार बढ़ाया जाता है और इस बात का कट्रोल किया जाता कि वह एक पैसा अपने किराये में न बढ़ाते और वह आमदनी सरकार को उन धनी मानी लोगों की तिजोरी से मिलती, तब तो ठीक था । यह भी देखना पड़ेगा, अगर टैक्स उनसे वसूल किया जाता और उनको इस बात की छूट होती या गुंजायश होती कि नीचे के किरायेदार से किराया बढ़ा कर लें तब तो अन्ततोगत्वा बोझ उन्हीं पर पड़ता जिनसे आज सरकार लेने जा रही है, लेकिन अगर टैक्स उन पर बढ़ाया जाता जो हम समझते हैं बढ़ाया जाना चाहिये और इस बात का पूरा नियंत्रण हो कि वह नीचे किसी प्रकार से किराया नहीं बढ़ा सकते, तो इसका बोझा उन पर पड़ेगा जिनके पास देने की क्षमता है । ऐसी हालत में उन लोगों की तरफदारी, उनके साथ अपने सम्बन्धों को कायम रखने की कोशिश और उनकी हिफाजत में उन लाखों आदमियों के ऊपर जो छोटे-छोटे कमरों में, थोड़ी जगहों में रहते हैं, जिनके पास अपने पूरे परिवार के रहने लायक भी जगह नहीं हैं, उन सब पर टैक्स लगा देना हम समझते हैं कि नैतिकता और मानवता के परे तो हैं ही, लेकिन जो सरकार का क्लास कैरेक्टर है उसके बहुत ही वीभत्स रूप को वह प्रगट करता है ।

माननीय बनारसी दास जी की बहुत लम्बी चौड़ी तकरीर हुई, भारी भरकम जैसे किसी बड़े पब्लिक स्टेज से बोल रहे हों और सारे विकास मार्ग की बात, भावनाओं की बात, इच्छाओं की बात और सदिच्छाओं का वर्णन । विकास की यहां डिबेट नहीं है, लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूं कि जब उसका मौका आयेगा तो बोला जायगा कि मौजूदा सरकार का विकास मार्ग सारा का सारा त्रुटिपूर्ण है । विकास मार्ग तो ऐसा होना चाहिये जो हिन्दुस्तान और प्रदेश के करोड़ों किसान और मजदूर और गरीब जो कल तक दुखी थे जिनको अंग्रेजी राज्य के समय तकरीबन दो सौ साल तक यह आशा दिलाई गई थी कि अंग्रेजी राज्य के खात्मे के बाद आपके जीवन में बेहतरी आयेगी और इसी आशा और भरोसे पर राष्ट्रीय आन्दोलनों में लोग अंग्रेजों के खिलाफ डटे और जो भी नेताओं ने आवाहन किये उनमें सभी ने भरसक योगदान किया, लेकिन आज उनकी आशाओं पर पानी फिर गया कि प्रति वर्ष हमारी बेहतरी होगी । पर कैपिटा आय बढ़ने वाली बात कही गयी । मैं कहता हूं कि हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इनकम नहीं के बराबर बढ़ी, शहरों की कुछ बढ़ी, देहात की घटी, लेकिन अगर पूरी बढ़ भी जाय, पूरे प्रदेश के पैमाने पर, तब भी पर कैपिटा इनकम निकालने का जो तरीका है कि एक तरफ कुछ ज्यादा आमदनी वालों को लेकर और दूसरी तरफ करोड़ों गरीबों की आमदनियों को लेकर एक में जोड़ कर पर कैपिटा इनकम निकाल लिया जाय, इससे समाज और गरीबों की सही तस्वीर नहीं आ सकती ।

फिर भी विकास के मार्ग पर चलने पर करोड़ों आदमियों, किसानों, मजदूरों, मध्यम वर्ग के लोगों में अगर यह भावना पैदा होती कि प्रति वर्ष उनकी जिन्दगी में कुछ बेहतरी आयी, उनकी आमदनी बढ़ी, उनकी टेंट में कुछ पैसे आये हैं, तो विकास का मार्ग सही होता और हम समझते कि चलो धीरे धीरे ही सही कभी वह दिन भी आयेगा जब हम ऐसी जगह पर पहुचेंगे जहां देश का

स्तर ऊंचा हो जायगा, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है, विकास कुछ लोगों का हो रहा है। इसमें शक नहीं कि राष्ट्रीय आय बढ़ी है, बढ़ती जा रही है, यह हम सब मानते हैं, मानते रहे हैं, आंकड़ों में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है हमारे और सरकार के, लेकिन राष्ट्रीय आय बढ़ी है इसमें दो रायें नहीं हैं, परन्तु राष्ट्रीय आय भी बढ़ी है और दूसरी ओर उसके साथ साथ विषमता भी बढ़ती जा रही है। यह बहुत गम्भीर बात है हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन के लिये। इस खतरे को समझना चाहिये।

मान्यवर, साधनों के संकट के विषय में क्या सरकार यह नहीं कर सकती कि जो सचमुच धनीमानी लोग इस प्रदेश के हैं उनकी आमदनियों पर और उनकी सपत्ति पर टैक्स का बोझ ज्यादा आवे, उन पर उनकी आय पर कोई सीलिंग लगायी जावे? जमीन पर सीलिंग लगाने की बात जब हम कहते थे तो यहां पर चरण सिंह जी उसको सुनना नहीं पसन्द करते थे। वे भारी भरकम आदमी हैं, आंकड़ेबाज भी बहुत ज्यादा हैं और आंकड़ों से हम लोगों को पाट दिया करते थे कि सीलिंग गलत चीज है और जो योजना उनकी है हदबन्दी की वही कृषि सुधार की अन्तिम योजना है। लेकिन बाद में अनेक कारणों से, किन्हीं अनेक हालात से मजबूर हो कर वह लम्बी कहानी है, सीलिंग बिल इस प्रदेश में भी अन्य प्रदेशों की भांति आया। तो अगर सीलिंग जमीन पर लागू हो सकती है तो इन धनीमानी लोगों की सम्पत्तियों तथा आय पर भी लागू हो सकती है। यद्यपि उस जमीन वाली सीलिंग के बारे में भी जो विधेयक था वह स्पष्ट नहीं था कि उससे कितनी जमीन मिलेगी। १५ लाख एकड़ से होते होते डेढ़ लाख एकड़ पहुंच गया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुद कहा कि जो जमीन मिलेगी वह नहीं के बराबर है। आज भी जब पूछा गया तो बताया गया कि उनको पता नहीं है। बिनोबा जी के भू दान में हमारे प्रदेश में जितनी जमीन मिली उतनी भी सीलिंग से नहीं मिली। विनोबा जी को ४ ।। लाख एकड़ मिली और इससे केवल १ ।। लाख एकड़ मिलने की आशा है। फिर भी जब सरकार जमीन के ऊपर सीलिंग का बिल लायी तो क्यों नहीं अन्य प्रकार की सम्पत्तियों पर सीलिंग लगायी जाय? यह तरीके हैं जिनसे सम्पत्तिशाली लोगों के ऊपर कर भार बढ़ा कर देश का विकास किया जा सकता है। मतभेद बुनियादी है, दृष्टिकोण का फर्क है। केवल कानूनी बहसों में, धाराओं और उपधाराओं की बाल की खाल निकालने से कुछ नहीं निकलेगा, जैसा कि हमारे मुजफ्फर नगर के एक साथी ने अभी बोलते हुये कोशिश की।

शहर और देहात में जो मध्यम वर्ग रहता है उसकी हालत इतनी दयनीय है, वह जो खुद उस वर्ग का है या उसके सम्पर्क में रहता है, उसे मालूम है। देहाती जनता में मध्यम वर्ग की आमदनी का, उसकी लूट खसोट का जो जरिया था वह समाप्त हो गया। देहाती क्षेत्रों में मझोले किस्म के जमींदार थे। जमींदारी खत्म होने से जो उनकी लूट खसोट थी वह समाप्त हो गयी, जो उनकी कानूनी आमदनी थी वह खत्म हो गयी। अब उनके पास थोड़े से खेत रह गये हैं। आदतें पुरानी, खर्चे पुराने, तौर तरीके पुराने, सोचने समझने का तरीका पुराना लेकिन आमदनी खत्म! नतीजा यह हो रहा है कि देहाती मध्यम वर्ग की स्थिति आज इतनी दयनीय है कि एक बार पत्थर भी पसीज जाता है।

दूसरी तरफ शहर के मध्यम वर्ग की हालत आकाश को छूने वाली मंहगाई की रफ्तार को देखते हुये इतनी खराब हो चुकी है कि इन्तहा नहीं है। ऐसे मध्यम वर्ग के ऊपर इस बिल के द्वारा जबर्दस्त चोट लगेगी। जिनके खाने और रहने की चीजें पहले से ही मंहगी थीं सरकार उनको और मंहगा कर देगी। आखिर उनका जीवन कहां पहुंचेगा? इसीलिये मैंने कहा कि शहर की गरीब जनता और मध्यम वर्ग के ऊपर यह लड़ाई का एलान है।

सिद्धान्तों के बारे में जब मैं सोचता हूं तो दिमाग स्वाभाविक तौर पर किफायतशारी की ओर जाता है। और माननीय गुप्ता जी जब बरसरे इक्तिदार हुये तो बड़ी आशा थी, बड़ा ढिंढोरा पीटा गया, भाषण हुये—वह दौरा काफी करते हैं न और भाषणों में नीति का प्रतिपादन भी करते हैं—तो ऐसी आशा बंधी कि बड़ी किफायत होगी। उसके तुरन्त बाद उन्होंने लगाम खींची और यह एलान किया कि श्री सम्पर्णानन्द के पुराने मंत्रिमंडल और उनके मंत्रिमंडल की

[श्री झारखंडेराय]

नीतियों में कोई बुनियादी फर्क नहीं होगा। मैं आज भी कहता हूं कि माननीय गुप्ता जी और उनकी सरकार यह आंकड़े पेश करें और हम चाहेंगे कि इस बहस के दौरान में वे आंकड़े लाये जायं कि माननीय गुप्ता जी के मुख्य मंत्री होने और किफायतशारी की योजना चलाने के बाद जिसमें चपरासी निकाल दिये गये, क्लर्कों के ऊपर नंगी तलवार लटका दी गयी, उन सब अच्छी योजनाओं के बाद कितना रुपया बचा है। हमें आज तक इन आंकड़ों का पता नहीं है और हम यह जानना चाहते हैं। लेकिन किफायतशारी के बारे में मैंने पहले भी कहा और मैं उसे दोहराऊंगा, माननीय चरण सिंह जी बहुत बहस किया करते थे और बहुत से आंकड़े भी दिया करते थे, लेकिन आज कल मालूम होता है कि उन्होंने मौन धारण कर लिया है। उनका यह दृढ़ मत था कि १५ से २० करोड़ रुपये तक की एकोनामी की जा सकती है। मैं कहता हूं कि उसमें से ५ करोड़ छोड़ दीजिये अतिशयोक्ति और गलत अन्दाजे के लिये, तो १० करोड़ रुपये की बचत कर के दिखायें। वे तो मंत्रिमंडल में हैं, असरदार आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, मजबूत आदमी हैं, उनके विरोधी भी उनको मानते हैं। नवल किशोर जी आज बड़े हावी मिनिस्टरों में हैं। वे उप मंत्री हैं, उनका निश्चित मत था जब वे एस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन थे कि ८–१० करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। कहां वह स्कीम गई, कहां उनके प्रयास चले गये? ये कम से कम बचत करने के भरसक प्रयास तो करें और फिर बचत न हो सके तो कहें कि हमने भरसक कोशिश की, लेकिन अब बचत नहीं हो सकती तो हम भी सोचेंगे कि कोई उपाय नहीं है और चुप रह जायंगे।

मान्यवर, म्युनिसिपैलिटी के अधिकारों पर भी यह हमला है। प्रजातंत्र के ढांचे पर भी यह आक्रमण हो रहा है और प्रजातंत्र पर भी यह एक चोट है। म्युनिसिपैलिटी के अधिकारों के ऊपर यह कुठाराघात है। विकेन्द्रीकरण के मातहत एक संस्था जो कार्य कर रही है उसमें यह हस्तक्षेप है। उस संस्था ने किराया बढ़ाया है और उसके ऊपर और किराया बढ़ाना मैं समझता हूं कि गरीबों का चमड़ा ही नहीं नोचा जा रहा है, मांस ही नहीं खाया जा रहा है, हड्डिया ही नहीं निचोड़ी जा रही हैं, बल्कि मज्जा भी चूसा जा रहा है।

मान्यवर, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जब सरकार बुनियादी समस्या को हल करने में असफल हो रही है और हल नहीं कर पा रही है तो उसे इस तरह से जनता के ऊपर हमला करने का क्या अधकार है। बेकारी की बात कही गई। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस हिसाब से यह बढ़ रही है उसमें इतना स्पष्ट है कि सरकार की नीति असफल हो रही है। इसके बाद भी सरकार का यह हमला ठीक नहीं है। मंहगाई थम नहीं रही है, जितनी पकड़ने की कोशिश की जाती है उतनी ही बढ़ती जाती है और यह कहां पर पहुंचेगी, इसका पता नहीं। १९३९–४० में चीजों के क्या दाम थे और आज क्या दाम हैं? बीच बीच में मंहगाई कुछ रूक जाती है, लेकिन फिर वही रफ्तार हो जाती है। मंहगाई बढ़ रही है और मध्यम वर्ग के लोग जिनकी तनख्वाह २००, ३०० और ४०० रुपये है वे सब लोग इससे परेशान हैं। इसके बाद भी सरकार का यह दुस्साहस कि टैक्स बढ़ायगी, यह क्या बात है? यह क्या उसका नैतिक अधिकार है? इसकी योजना से कोई बेहतरी नहीं आ रही है, लेकिन टैक्सों में बढ़ती हो रही है।

मान्यवर, मुझे ऐसा लगता था और एक पत्रकार ने मेरी बात सुन कर कहा था कि मैं भावुक आदमी हूं इसलिए ऐसा सोचता हूं। अब जैसा भी मैं हूं। मुख्य मंत्री जी बाढ़ एरिया में गये थे और उन्होंने बड़े पैमाने पर एरियल सर्वे की थी। मैंने भी जितना सम्भव हो सका उस पैमाने पर देवरिया, गोरखपुर और आजमगढ़ को देखा और मैं वहां के बाढ़ दृश्य को खंड प्रलय कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब घोषणा है और जिलाधीशों को अधिकार दिये गये हैं कि काफी हद तक जनता को सहायता पहुंचाई जाय तो ऐसे समय में टैक्स बढ़ाने कहां का न्याय है? मैं समझता हूं कि यह घोर अनुचित है। हमें तो यह पाशविक प्रवृत्ति लगती है, मुर्दे से कफन खींचना ऐसा लगता है। ऐसी हालत में मुझको यह खयाल था कि कम से कम लैन्ड वाला टैक्स मुल्तवी हो जायगा। मैंने अपने साथियों से कहा भी था कि शायद भाई बाढ़

के प्रकोप के कारण टल जाय। लेकिन दुस्साहस है। शायद यह मरने के पहले का दुस्साहस है, मैं कहूंगा कि यह दुस्साहस है।

आखिर में मैं कहूंगा, जैसा कि शुरु में कहा था, अगर साधनों का सवाल है, तो फ्रेम वर्क को तो तोड़िए। साधन जुटाने हैं, और अगर यह नहीं होगा, तो सरकार यह भी करेगी कि चाहे जनता आन्दोलन करे, चाहे हजारों आदमी जेल में बन्द हो जायं, चाहे जनता पर फायरिंग हो, चाहे लाठी चार्ज से सर पैर ध्वस्त हों, लेकिन सरकार वह करके छोड़ेगी। इसलिए सवाल यह है कि फ्रेम वर्क को तोड़ा जाय। मुझे कोई मुगालता नहीं है। जो समाजवाद की बात कही जाती है, आप गौर कीजिये, आपने बजट भाषण पढ़ा होगा, तो समाजवादी प्रकार का समाजवाद, उसकी एक लम्बी डेफिनीशन, उसके बाद समाजवादी समाज, उसके बाद समाजवाद यह सब या तो दिमाग के भ्रम की सूचना है, दिमाग साफ नहीं है कि समाजवाद क्या है, या जानबूझ कर आत्मप्रवंचना और पर प्रवंचना करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि समाजवाद का नाम लेकर समाजवाद के दुश्मन भी आज काम कर रहे हैं, समाजवाद को पीटने के लिए समाजवाद के नाम पर उपाय कर रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि जब समाजवादी समाज या समाजवाद को लाना है तो हम चाहते हैं कि बुर्जआ फ्रेम वर्क को तोड़िए। पूंजीवादी ढांचे का जो फ्रेम वर्क है जिसके अन्दर साधनों को जुटाने की बात सोच रहे हैं और मजबूर हो कर टक्स लगा रहे हैं, उस चौखटे को तोड़िए। तब गवर्नमेंट को साधन मिलेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाये। करोड़ों रुपया सरकार पूंजीपतियों को दे रही है कि वह अपनी इंडस्ट्री बढ़ावें। इसकी क्या जरूरत है? उन करोड़ों रुपयों को ले कर और जो सम्भव हो वह रुपया लेकर पब्लिक सेक्टर बढ़ाया जाय, ताकि इंडस्ट्री बढ़ें और सरकार की कुछ आय बढ़े। हमारे भाई गेंदासिंह ने कहा कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी, प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी और जो गवर्नमेंट रोडवेज तथा तीन चीनी मिलों में तमाम कुप्रबन्ध के बावजूद भी कुछ मुनाफा हो रहा है, तो अगर पब्लिक सेक्टर बढ़े तो गवर्नमेंट की आय बढ़ेगी और बिना टैक्स के बढ़ेगी। पब्लिक सेक्टर में जो रुपया लग रहा है उस अनुपात से जो प्राइवेट सेक्टर में लग रहा है, दोनों की तुलना करें, तो मालूम हो जायगा कि कितना प्रतिशत पब्लिक सेक्टर पर लगा रहे हैं। नहीं के बराबर। जिस रफ्तार से ये लोग चल रहे हैं, उस रफ्तार से कितने दिन में समाजवादी प्रकार का समाज कायम होगा? जरा उस दिन, मास और वर्ष को भी बता दें; तो उनकी उम्र में तो समाजवाद कायम नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—अब समय हो गया। कल आप अपना भाषण जारी रखेंगे। अब हम उठते हैं, कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १०-१।२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
५ सितम्बर, १९६२।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे ९५० पृष्ठ पर]

नक्शा, आमदनी व खर्च के आधार पर

वर्ष		आय			व्यय		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१९५४–५५	..	३१,६३८	१४	०	३१,६२३	११	०
१९५५–५६	..	२१,२०५	९	०	१८,१६३	१३	३
१९५६–५७	..	२२,७१२	३	६	२२,६५५	०	९
१९५७–५८	..	१७,३०७	६३	न० पै०	१७,०१३	२९	न० पै०
१९५८–५९	..	१७,१६८	२८	,,	१७,२०२	९५	,,
१९५९–६०	..	२७,९०५	१६	,,	२८,३८५	७७	,,
१९६०–६१	..	२,३८६	१३	,,	१,५७५	१८	,,

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५६ पर]

सूची

बदायूं जिला सहकारी विकास संघ में १९५६–५७ से १९५९–६० तक के समय में ३४,२९५ रुपये ३७ नये पैसे का गबन हुआ था।

६,०७८ रुपये ४७ नये पैसे तथा ८०० रुपये ८५ नये पैसे के दो गबनों के मामलों में दो सेल्समैन हाई कोर्ट द्वारा दंडित किये गये। एक को हाई कोर्ट से १ साल की सख्त कैद और ३,००० रुपये जुर्माना हुआ जिसको अदा न करने पर २ साल की सख्त कैद की सजा हुई थी।

दूसरे पर केवल २५० रुपये जुर्माना हुआ जिसे उसने अदा कर दिया था।

६,४१६ रुपये ५ नये पैसे का एक गबन केस पुलिस की जांच में है। वारन्ट गिरफ्तारी जारी हो गया है परन्तु अपराधी सेल्समैन भागा हुआ है।

सेल्समैन के विरुद्ध १४,००० रुपये का एक गबन का मामला कागजात पूरे न होने के कारण अभी पुलिस में नहीं दिया जा सका। ७,००० रुपये के एक अन्य गबन के मामले में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के सम्बन्ध में विभागीय जांच हो रही है।

संसदीय प्रलेख सेवा

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५८ पर]

सन् १९५७ से इस वर्ष तक हरिजनों के पक्के मकान बनाने के लिये राज्य एवं केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत सहारनपुर जिले को अलग-अलग वर्षों में स्वीकृत किये गये अनुदानों का विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष		राज्य योजना	केन्द्रीय योजना	योग
१९५७–५८	..	१२,५००	..	१२,५००
१९५८–५९	..	३,६००	..	३,६००
१९५९–६०	..	४,०००	१७,२५०	२१,२५०
१९६०–६१	..	४,०५०	९३,०००	९७,०५०
१९६१–६२	..	३७,५००	४,५००	४२,०००
१९६२–६३	..	११,२५०	४,५००	१५,७५०

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५८ पर]

सूची

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गोरखपुर जिले के विभिन्न विकास क्षेत्रों को कूप निर्माण हेतु दी गई सहायता का विवरण :

विकास क्षेत्रों के नाम		१९५६–५७	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१—फरेंदा	..	३९०	..	..	३५०	९७०
२—पाली	..	४२०	८०	..	१०५०	२,०५०
३—पिपरौली	..	९००	१५०	५५०	..	५५०
४—सरदारनगर	..	३००	२५०	४७५	१३०	१,६५०
५—ब्रह्मपुर	..	६७५	६००	५००	१३३०	५७५
६—बांसगांव	..	४००	..	७००	४५०	५,०७५
७—बड़हलगंज	..	४५०	..	५००	..	८८०.४०
८—सहजनवां	..	३००	..	..	१५६	१,५९४
९—गगहा	..	२७५	..	८००	३५०	५,२५०
१०—नवतनवां	..	५००	..	..	..	९००
११—सोरावार	..	३००	..	१००	१५०	१००
१२—सिसवां	..	..	२५०	..	३००	४७०
१३—पिपराइच	..	..	१५०	१००	..	..
१४—कौड़ी राम	..	..	२००	४००	..	२,२५०
१५—चुरली	..	..	२००	२००	..	..
१६—मिठौरा	..	..	२५०	२००	६९०	..
१७—महराजगंज	..	..	२५०	२००	५००	३०५
१८—जंगल कौड़िया	..	..	१५०	..	२००	१,९५०
१९—खजनी	..	..	२००	५००	१३००	१,८००
२०—उरुवी	..	..	..	५००	..	१,१००
२१—बेलघाट	..	..	..	५००	७००	७५०
२२—गोला	..	..	..	२३००	..	२,७९६
२३—पनिवारा	..	..	..	..	४५०	१००
२४—कैम्पियरगंज	..	..	..	..	१५०	..
२५—बृजमनगंज	..	..	..	..	..	८८५
२६—लक्ष्मीपुर	..	..	..	..	..	८५०
२७—चरगांवा	..	..	१२,०००	२४,७५०	३९,०००	..	..
योग	..	१६,९१०	३७,४८०	४७,५७५	८,२५६	३२,८५०.४०

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५९ पर]

शिकायत करने वाले के नाम	समिति का नाम	विवरण	कार्यवाही जो की गई
१—श्री शीतला प्रसाद	नरौरा-मररापुर	कहना है कि मुबलिग ४०० रुपया पुरनोट उसके पिता विजयराज द्वारा पर्यवेक्षक ने धोखे से भराया और उनको रुपया नहीं मिला ।	सहायक विकास अधिकारी सहकारिता इटियाथोक द्वारा जांच में समिति के सरपंच, खजांची और उनके जामिनदार ने यह बयान दिया है कि पुरनोट सही है और उन के सामने मु० ४०० रुपया श्री विजयराज को दिया गया है ।
२—श्री शमशुल्ला खां	रानीपुर	कहना है कि पर्यवेक्षक ने कुछ सदस्यों को ऋण नहीं दिया जबकि कागजात में देना दिखाया जाता है ।	सहायक विकास अधिकारी सहकारिता की जांच रिपोर्ट दिनांक १३-५-६२ के अनुसार श्री मु० रफीक खां, सुपरवाइजर समिति के कागजात रखते थे तथा लिखते थे और उन्होंने ही कार्यवाही पुस्तिका तथा पुरनोट समिति से गायब किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि पर्यवेक्षक २,२३,५०० रुपये के गबन कराने तथा सदस्यों को ऋण न देने के जिम्मेदार हैं । साथ ही साथ खजांची तथा सरपंच समिति भी पर्यवेक्षक के साथ मिल कर गड़बड़ी तथा गबन करने में सहायक हैं । सरपंच शमशुल्ला खां, खजांची बचेखां तथा सुपरवाइजर श्री रफीक खां के ऊपर सालसी कार्यवाही कर दी गई है ।
३—श्री सहदेव प्रसाद	नरे महरीपुर	कहना है कि वे समिति के खजांची हैं और मु० १७५ रु० तहवील का पर्यवेक्षक ने बैंक में जमा करने हेतु ले लिया पर जमा न किया ।	सहायक विकास अधिकारी सहकारिता की जांच रिपोर्ट दिनांक १३-५-६२ के अनुसार यह जाहिर है कि पर्यवेक्षक श्री रफीक खां ने मु० १७५ रु० कैश बुक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शिकायत करने वाले के नाम	समिति का नाम	विवरण	कार्यवाही जो की गई
			बैंक में जमा करना अपने हाथों से ही लिखा है। पर पया बैंक में जमा नहीं है। अतः इस मु० १७५.०० रु० के जमा न करने तथा गबन करने का आरोप पर्यवेक्षक पर ही उचित रूप से लगता है और उन्हीं की जिम्मेदारी है।
४—श्री लुटावन इत्यादि	रूदापुर	कहना है कि पर्यवेक्षक व सरपंच समिति में कर्जा बांटते समय खाद का रुपया काट लिया पर खाद न दी गयी।	सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता की रिपोर्ट दिनांक २०—६—६२ के अनुसार यह ज्ञात होता है कि ऋण वितरण समिति में सरपंच द्वारा किया गया था और खाद की कोई कटौती नहीं की गई और सभी सदस्यों से समिति ने कुछ ऋण की वसूली कर ली है।

उपरोक्त शिकायतों तथा सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता की रिपोर्ट दिनांक १३—२—६२ के आधार पर दिनांक १७—४—६२ को स्थानीय अनुशासन समिति द्वारा, पर्यवेक्षक श्री रफीक खां को मुअत्तल किया गया। श्री खां के केस की सुनवाई स्थानीय अनुशासन समिति के समक्ष विचारार्थ है, तदुपरान्त क्षेत्रीय समिति, फैजाबाद को फैसले के हेतु भेज दी जायगी।

नत्थी 'च'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६३ पर]

जिलों की सूची

क्रम सं०	जिला	पुरुष	स्त्री
१	कानपुर	११७	०
२	झांसी	३७	३१
३	रायबरेली	२३	२४
४	आगरा	६७८	१५८८
५	नैनीताल	१२	२६
६	फैजाबाद	१८	१८७
७	वाराणसी	१२०	८२१
८	देवरिया	२२	१९
९	बुलन्दशहर	९६	२
१०	सहारनपुर	३६	८९
११	बहराइच	८	१२
१२	इलाहाबाद	८०	५३९
१३	फतेहगढ़	६२	३०
१४	बाराबंकी	४	१८
१५	प्रतापगढ़	०	५
१६	बस्ती	५	३८
१७	जालौन	०	५
१८	बिजनौर	२६	१७
१९	अलीगढ़	७१	३४
२०	सुल्तानपुर	२	०
२१	गोरखपुर	५४	३७०
२२	बदायूं	१२	५८
२३	मुरादाबाद	९७	५६
२४	बलिया	२८	३९
२५	गोंडा	४	०
२६	सीतापुर	१५	३
२७	लखनऊ	१०५	५३५
२८	मेरठ	१४१	१०१
२९	मिर्जापुर	३६	३५
३०	देहरादून	३०	०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६३ पर]

निवेदन पत्र की मुख्य बातों का विवरण

१—विधायक निवास के लगभग १५० कर्मचारियों को, जो उत्तर प्रदेश सिविल सेक्रेटेरियट कोआपरेटिव सोसाइटी के लगभग ७ वर्ष तक सदस्य रहे और उन्होंने ५० रु० प्रति सदस्य की दर से सहायता शुल्क (सम्भवतः हिस्से का धन) भी उक्त समिति में जमा किया था, उन्हें लगभग २ १/२ वर्ष पूर्व उक्त समिति से अलग कर दिया गया क्योंकि विधायक निवास के कर्मचारी हो जाने के नाते वह अब उक्त समिति के सदस्य नहीं रह सकते ।

२—प्रार्थीगण के अनुसार विधायक निवास अलग नहीं वरन् मुख्य सचिवालय का एक भाग है अतः उन्हें समिति से अलग न करके उन्हें भी पूर्वतः ऋण आदि की सुविधा दी जाये ।

———

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

सूची–१

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६५ पर]

डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव लिमिटेड, फैजाबाद के विभिन्न वर्ष के सभापतियों के नाम

वर्ष	सभापति का नाम
१९५२–५३ १९५३–५४ १९५४–५५ १९५५–५६ १९५६–५७	श्री जयराम वर्मा
१९५७–५८ १९५८–५९ १९५९–६०	श्री मदन गोपाल वैद्य
१९६०–६१ १९६१–६२	श्री जयराम वर्मा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६५ पर]

सूची –२

डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव सभा लि०, फैजाबाद में वर्ष १९५९–६० के स्पेशल आडिट द्वारा पकड़ी गयी अनियमितताओं की सूची :

१—भट्ठों के कारोबार में भारी घाटे :—

(क) कोयले की अत्यधिक खपत दिखाकर ।

(ख) पकी हुई ईंटों की न्यून प्रतिशत तथा कच्ची ईंटों के टूटने के कारण ।

२—कटेहरी भट्ठों पर कोयले का स्टाक कम दिखाना ।

३—लोरपुर भट्ठे के कोयले के स्टाक में घपला ।

४—सभा की "फेयर प्राइस ग्रेन शाप्स" में :—

(क) गल्ले की निर्धारित सीमा से अधिक क्षति,

(ख) विक्रय मूल्य से कम वसूली ।

५—कुछ केन्द्रों, दूकानों तथा सामग्रियों से संबंधित लेखे-जोखों को आडिट पार्टी को न दिखाना ।

६—स्टाक सूची का सभा के अधिकारियों द्वारा ठीक-ठीक वेरीफिकेशन न करना तथा स्टाक के कुछ मदों का गलत अथवा ऊंचा मूल्यांकन ।

७—लेखे जोखों की दुरुस्ती तथा बैलेन्स का कनफर्मेशन न करना ।

८—पिछले आडिट नोट्स तथा स्पेशल आडिट रिपोर्टों की ओर ध्यान न देना ।

९—बैंक डेट में अधिकाधिक बढ़ोत्तरी तथा गबनों, घपलों एवं कमियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही न करना ।

१०—सभा की इमारत में सभा के पदाधिकारियों का बिला किराया आदि दिये रहना ।

नत्थी 'ञ'

सूची–३

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६६ पर]

डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव सभा लि०, फैजाबाद में वर्ष १९६०–६१ के स्पेशल आडिट द्वारा पकड़ी गयी अनियमितताओं की सूची:

१—निबन्धक की स्वीकृति तथा किसी इंजीनियर की राय लिये बिना सभा द्वारा एक ऐसी इमारत का खरीदना जिस पर एक भाग पर एक किरायेदार का आजीवन कब्जा रहेगा।

२—कार तथा ट्रक की मरम्मत कर के घाटे से बेच डालना।

३—भट्ठों के कारोबार में भारी घाटे।

४—खादों के लेखे-जोखों की सामयिक जांच-पड़ताल में ढिलाई के कारण स्टाक में भारी कमियां।

५—सीमेन्ट, खादों तथा गल्लों आदि के स्टाक में गबन, घपले तथा कमियां।

६—पिछली स्पेशल आडिट रिपोर्टों पर पूरी कार्यवाही न करना।

७—बैंक डेट की अधिकाधिक बढ़ोत्तरी तथा बहुत समय से न अदा किये धनों की वसूली हेतु पर्याप्त कार्यवाही न करना।

———

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ट'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७० पर]

सूची—क

निम्नलिखित धनराशि की मांग की गई :—

			रु० नये पैसे
१९५६–५७	..	..	९,४४०
१९५७–५८	..	..	२५,६२५
१९५८–५९	..	..	३३,६०९.२५
१९५९–६०	..	..	२६,५८२.२५
१९६०–६१	..	..	३६,९२०.५०

निम्नलिखित धनराशि उनके वेतन से काटी गई :—

१९५६–५७	..	..	१२,५४१.४६
१९५७–५८	..	..	१३,१२८.२७
१९५८–५९	..	..	१०,१६५.६१
१९५९–६०	..	..	२८,०४२.३१
१९६०–६१	..	..	२७,६९७.८३

विधान सभा सचिवालय पटना

नत्थी 'ठ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७२ पर]

सूची–१

यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन को पिछले दस वर्षों में प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित अनुदान प्राप्त हुये :

वर्ष			अनुदान
			रु० नये पै०
१९५२–५३	..	..	२२,१४,४००
१९५३–५४	..	..	२१,११,९००
१९५४–५५	..	..	२१,०८,४००
१९५५–५६	..	..	२५,६०,९००
१९५६–५७	..	..	२७,६९,६६८.५०
१९५७–५८	..	..	३३,८६,४००
१९५८–५९	..	..	५०,८२,५८८
१९५९–६०	..	..	६४,५७,३२४
१९६०–६१	..	..	७१,३६,९००
१९६१–६२	..	..	६५,१८,६७०.१६

अनुदान के रुपयों का उचित प्रयोग, जिसके लिये अनुदान दिया जाता है, की जांच आडिट आर्गनाइजेशन (सहकारिता) द्वारा होती है। इसके अतिरिक्त एकाउन्टेन्ट जनरल, यू० पी०, इलाहाबाद के आडिट विभाग के द्वारा भी तत्संबंधी लेखा की जांच होती है।

संसद पुस्तकालय सभा

नत्थी 'ड'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७२ पर]

सूची—२

यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन के सहायक मंत्री को पहली जनवरी, सन् १९६२ से अब तक निम्नलिखित यात्राओं का उनके सामने लिखी हुई रकम यात्रा की अंकित श्रेणी के आधार पर दी गई:—

कहां से	कहां को	श्रेणी	रकम
			रु० न० पै०
लखनऊ	फतेहगढ़	प्रथम	९३.४९
फतेहगढ़	लखनऊ		
लखनऊ	इलाहाबाद		
इलाहाबाद	लखनऊ		
लखनऊ	इलाहाबाद	प्रथम	१५८.१४
इलाहाबाद	लखनऊ		
लखनऊ	रामपुर		
रामपुर	इलाहाबाद		
इलाहाबाद	लखनऊ	प्रथम	९१.०६
लखनऊ	इटावा		
इटावा	लखनऊ		
लखनऊ	इलाहाबाद		
इलाहाबाद	लखनऊ		
लखनऊ	इटावा	प्रथम	७९.९५
इटावा	इलाहाबाद		
इलाहाबाद	लखनऊ		
लखनऊ	बरेली	द्वितीय	३५.०५
बरेली	लखनऊ		
लखनऊ	इटावा	द्वितीय	७५.९६
इटावा	लखनऊ		
लखनऊ	शाहगंज		
शाहगंज	लखनऊ		
लखनऊ	बरेली	द्वितीय	४३.८१
बरेली	लखनऊ		
लखनऊ	इलाहाबाद	द्वितीय	३१.८९
इलाहाबाद	लखनऊ		
लखनऊ	काठगोदाम	द्वितीय	८०.००
काठगोदाम	लखनऊ		
लखनऊ	इलाहाबाद	द्वितीय	३२.२५
इलाहाबाद	लखनऊ		
लखनऊ	इलाहाबाद	द्वितीय	३९.१०
इलाहाबाद	लखनऊ		
लखनऊ	देहली	द्वितीय	९५.३६
देहली	लखनऊ		
लखनऊ	इलाहाबाद	द्वितीय	३३.६०
इलाहाबाद	लखनऊ		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ढ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत ताराँकित प्रश्न ७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७४ पर]

क्रम-संख्या	पद	१९५९–६० संख्या	१९५९–६० परिगणित जाति	१९५९–६० पिछड़ी जाति	१९६०–६१ संख्या	१९६०–६१ परिगणित जाति	१९६०–६१ पिछड़ी जाति	१९६१–६२ संख्या	१९६१–६२ परिगणित जाति	१९६१–६२ पिछड़ी जाति
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	हाउस विजिटर	०	०	०	११०	१७	०	१३	३	०
२	ड्राइवर	८	०	०	१	०	०	१	०	०
३	सुपीरियर फील्ड वर्कर १२ माह के लिये ..	४	०	०	४	१	०	०	०	०
४	सुपीरियर फील्ड वर्कर २ १/२ माह के लिये ..	३४	१०	०	३२	९	०	३२	१०	०
५	फील्ड वर्कर १२ माह के लिये	१३	०	०	६	०	०	११	०	०
६	फील्ड वर्कर २ १/२ माह के लिये	१७१	५०	०	१६५	४८	०	१६९	४५	०
७	क्लीनर	६	०	०	४	०	०	०	०	०
८	चपरासी	४	०	०	२	१	०	०	०	०
९	चौकीदार	१	०	०	०	०	०	०	०	०
१०	भंगी	१	१	०	०	०	०	०	०	०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७६ पर)

सूची

(मनों में)

वर्ष			रबी	खरीफ
१९५८–५९	..	..	४०,९५३	९,०२१
१९५९–६०	..	..	४,७३,१६९	३५,४९७
१९६०–६१	..	..	३,७९,१३०	३८,३४८

कृषि विभाग से प्राप्त स्वस्थ बीज :—

(मनों में)

१९५८–५९	..	..	१,४५,३९६	६५,३१६
१९५९–६०	..	..	२,३६,०५१	५६,९७०
१९६०–६१	..	..	१,५२,७८५	४३,६५४

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'त'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७७ पर)

सूची

१—१९६०–६१ में नगर समाज कल्याण समितियों के अन्तर्गत, इलाहाबाद में २० मुहल्ला समाज कल्याण समितियों का संगठन किया गया। इन समितियों को कुल ४,४५० रु० का अनुदान दिया गया।

२—१९६०–६१ में समाज कल्याण विभाग द्वारा इलाहाबाद जिले की १८ समाज सेवी अशासकीय संस्थाओं को विभिन्न समाज कल्याण कार्यों के लिये निम्नलिखित रूप से अनुदान दिया गया :—

क्रम-संख्या	संस्था का नाम	१९६०–६१ में प्राप्त अनुदान	अनुदान का उद्देश्य
१	२	३	४
		रु०	
१	नवीन सेवा आश्रम, करेलाबाग ..	१,०००	औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु कच्ची सामग्री का क्रय।
		३,०००	सामान्य व्यवस्था हेतु।
२	समाज सेवक समिति, कर्नलगंज ..	१,५००	सामान्य व्यवस्था हेतु।
३	हिन्दू अनाथालय कटघर	२,०००	" "
४	मुस्लिम अनाथालय, कोटगंज ..	१,०००	सामान्य व्यवस्था एवं प्रगति हेतु।
५	स्ट्रेन्जर्स होम	१,८००	सामान्य व्यवस्था हेतु।
६	स्वराज भवन बाल भवन	२,०००	सामान्य व्यवस्था हेतु।
		५४,२०१.२९	पाकिस्तान से आये हुये बच्चों की व्यवस्था हेतु।
७	स्कूल होम फार ब्लाइन्ड	२,६००	५०० रु० का फर्नीचर तथा सामग्री क्रय हेतु।
		२,१००	सामान्य व्यवस्था हेतु।

क्रम-संख्या	संस्था का नाम	१९६०–६१ में प्राप्त अनुदान	अनुदान का उद्देश्य
१	२	३	४
		रु०	
८	कमला नेहरू विद्यालय	२,०००	सामान्य व्यवस्था हेतु
९	मूक बधिर विद्यालय	११,२०६	६५० रु० व्यवस्था हेतु। १०,५५६ रु० सामान्य व्यवस्था हेतु।
१०	मानव सेवक समाज, चौक	१,०००	सामान्य व्यवस्था हेतु।
११	आल इंडिया सेवा समिति, रामबाग ..	१७,०००	सामान्य व्यवस्था हेतु।
१२	लोकनाथ व्यायामशाला, लोकनाथ ..	५००	सामान्य व्यवस्था हेतु।
१३	चिंतामणि स्मारक पुस्तकालय, सेवा समिति बिल्डिंग, सेवा समिति रोड।	५००	पुस्तकों के क्रय हेतु।
१४	आदर्श शिशु शिक्षा सदन, संगीत समिति बिल्डिंग, अल्फ्रेड पार्क, कमला नेहरू मार्ग।	५००	फर्नीचर के क्रय हेतु।
१५	लोक सेवा मंडल, ३६५, पुराना कटरा ..	३००	संस्था के शिविर कार्यों की सामान्य व्यवस्था हेतु।
१६	कमला सेवा सदन, १४, बरुआघाट राजेन्द्रनगर	३००	व्यावसायिक शिक्षा के लिये सामान।
१७	भारत स्काउट ऐन्ड गाईड डिस्ट्रक्ट एसोसियेशन	५००	फर्स्ट एड की सामग्री क्रय हेतु।
१८	भारत युवक समाज	५००	युवक कल्याण कार्यों के सामान्य व्यवस्था हेतु।

३.—१९६०–६१ वर्ष में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत ६ महिला मंगल केन्द्र निम्नलिखित विकास क्षेत्रों में चलाये गये—(१) चौक, (२) कोरांव, (३) करछना, (४) सरसवा, (५) मंझनपुर तथा (६) प्रतापपुर।

विधान सभा

४—उत्तर प्रदेश महिला तथा बाल संस्था नियंत्रण अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत १९६०–६१ में इलाहाबाद जिले की निम्नलिखित समाज सेवी संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई :—

(१) हिन्दू अनाथालय, कटघर,

(२) मुस्लिम अनाथालय कीटगंज, कृष्णनगर,

(३) अनाथ शिल्प विद्यालय, कटरा,

(४) स्ट्रेन्जर्स होम नूरुल्ला रोड, इलाहाबाद,

(५) नवीन सेवा आश्रम, करेलाबाग,

(६) स्वराज भवन, बाल भवन, कर्नलगंज ।

५—१९६०–६१ में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण युवक समाज कल्याण शिबिर, करछना में ५० ग्रामीण युवकों का १५ दिन का एक शिविर आयोजित किया गया ।

६—१९६०–६१ में इलाहाबाद में स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को नोटिस दी गई, तथा ७ वेश्याओं को गिरफ्तार किया गया ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १५७ एल० ए०—१९६२—८४५ ।